

सोल आई डी तिथि शास्त्रा सार्वजानिक क्षेत्र के सभी बैंकों के लिए सामान्य सीआईएफ सह खाता खोलने का फॉर्म (गैर-वैयक्तिक) आवेदन का प्रकार* नया अद्यतन कार्यालयीन उपयोग हेतु ख) जहां लागू हो 🗹 टिक करें ग) तिथि को डीडी-एमएम-वाईवाईवाई फोर्मेट में भरें . सीआईएफ़ संख्या शाखा कोड घ) कृपया फॉर्म पठनीय स्पष्ट अक्षरों में भरें ङ) कृपया खंडवार विस्तृत दिशानिर्देश/अनुदेश पढ़ें। च) भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार दो अक्षरों वाले आईएसओ खाता संख्या योजना का प्रकार 3166 देश कोड और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कोड की सूची सामान्य निर्देशों में उपलब्ध है। सीकेवाईसी नंबर (सीकेवाईसी अद्यतन अनुरोध हेतु अनिवार्य) छ) किसी विशेष खंड को अद्यतन करने के लिए खंड संख्या से पहले उपलब्ध बॉक्स में (√) टिक करें और जो लाग न हों उन्हें काट दें। (कृपया सामान्य अनुदेशों की मद सं.'क' देखें) खाताधारक का प्रकार* यूएस रिपोर्टेबल अन्य रिपोर्टेबल ज) अद्यतन आवेदन के लिए केवाईसी नंबर अनिवार्य है झ) महत्वपूर्ण शर्तों की परिभाषा इस फॉर्म के अंत में दी गई है मेरा/हमारा पीएनबी में खाता नहीं है या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार चालु खाता खोलने हेतु अपनी पात्रता की जाँच करने के लिए कृपया अनुबंध V पहले भरें है। मेरा पीएनबी में खाता है जिसकी खाता संख्या संस्था का विवरण (कृपया सामान्य निर्देश की मद सं.'ग' देखें) 1. संस्था का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) पहचान का प्रकार* (कृपया सामान्य अनुदेशों की मद सं.'ग2' देखें) यदि o- अन्य (उल्लेख करें) (केवल भारत में कर निवास इकाईयों के लिए पैन टीआईएन के समतुल्य है) पैन * (सामान्य अनुदेश देखें) या फॉर्म 60 (कंपनियों तथा भागीदारों के अलावा अन्य इकाइयों हेतु) एनपीओ (गैर लाभकारी संगठन) हाँ नहीं यदि हाँ तो पंजीकरण सं. बताएं 2. पहचान का प्रमाण (पीओआई)* (कृपया सामान्य अनुदेशों की मद सं 'घ' देखें) निगमन/गठन का स्थान* निगमन/गठन की तिथि * (सामान्य अनुदेश देखें) कारोबार शरू करने की तिथि* निगमन/गठन का देश*(कोड-आईएसओ 3166): (पब्लिक लिँमिटेड कंपनी के मामले में लागू) जीएसटीएन (कृपया सामान्य अनुदेशों में अनुदेश ख देखें) इकाई के गठन का प्रकार* (केवल कम्पनी के मामले में लागू) सीआईएन इसकी ओर से लेनदेन करने हेतु इसके प्रबंधक, अधिकारियों या कर्मचारियों को दिया गया मुख्तारनामा पंजीकरण प्रमाण पत्र निगमन/गठन का प्रमाणपत्र लेनदेन करने हेत् अधिकृत व्यक्ति के आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओं) बोर्ड/प्रबंध समिति का संकल्प यआरसी संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम/भागीदारी विलेख/न्यास दस्तावेज गतिविधि का प्रमाण (केवल एकल स्वामित्व इकाई के लिए) (उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र) संबंधित व्यक्ति/लाभार्थी स्वाभी का विवरण* (प्रत्येक संबंधित व्यक्ति के लिए अलग-अलग 'अनुलग्नक II' भरना है, कृपया सामान्य अनुदेशों की मद सं.'छ' देखें) (संबंधित व्यक्ति निदेशक, प्रमोटर, कर्ता, ट्रस्टी, भागीदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, लाभार्थी, लाभार्थी स्वामी, न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी हो सकता है) संबंधित व्यक्तियों की संख्या (यद्यपि लाभार्थी स्वामी, संबंधित व्यक्ति है, लाभार्थी स्वामी की संख्या संबंधित व्यक्तियों में से अलग रूप से तय की जाएगी, लाभार्थी स्वामियों की संख्या* लाभार्थी स्वामी संबंधित व्यक्ति का अंश/उपअंश है|) (परिभाषा के लिए पृष्ठ 18 देखें) 4. पते का प्रमाण (पीओए)* (यथा लागू दस्तावेजों की सत्यापित प्रति, प्रस्तुत करें) (कृपया अंत में दी गई अनुदेश सं. 'ङ' (देखें) 4.1 वर्तमान/स्थायी/विदेश पता विवरण* भारत में पंजीकृत कार्यालय (यदि लागू है)/कारोबार स्थान का पता* पते का प्रकार* आवासीय/कारोबार आवासीय कारोबार पंजीकृत कार्यालय अनिर्दिष्ट पते का प्रमाण* निगमन/गठन का प्रमाणपत्र पंजीकरण प्रमाणपत्र पंक्ति*1 : पंक्ति*2: पंक्ति*3 : शहर/नगर/गांव*: जिला*: पिन/पोस्ट कोड*: राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम* देश कोड*(आईएसओ 3166) 4.2 पत्राचार/स्थानीय पते का विवरण* वर्तमान/ स्थायी पते के अनुसार (एक से अधिक पत्राचार/स्थानीय पते होने के मामले में, कृपया 'अनुबंध III' भरें) पते का प्रकार* आवासीय/कारोबार आवासीय कारोबार पंजीकृत कार्यालय अनिर्दिष्ट निगमन/गठन का प्रमाणपत्र पते का प्रमाण* पंजीकरण प्रमाणपत्र पंक्ति*1 : पंक्ति*2: पंक्ति*3 : शहर/नगर/गांव*: पिन/पोस्ट कोड*: जिला* : राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम* देश कोड*(आईएसओ 3166)

PNB-1251R2/LOT NO.01/APR25/32/OMSAI



| BRANCH | | | | | | | | | | | | | | SOLIE |) | | | | | | | | | | | | | | ا | DATE | | | | | | |
|-------------|---------|----------------------|---------|-----------|-------------------|-----------|----------|-------|------------|--------|----------|----------|---------|---------|-------|--------|-------|-------------|------------------|--------|--------|--|----------------|---------|-----------|------------------|-------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|---------|----------|
| | | | | CC | ۹МС | 10 | ΝС | IF C | UM | AC | col | JNT | ОР | ENII | NG F | ORI | M FC | OR A | ALL F | UB | LIC | SEC | СТОІ | R BA | NKS | 6 (N | ON | IND | IVIC | UAL | _) | | | | | |
| APPLICAT | TON T | YPE*: | | NE | :w [| | U | PDAT | E [| | | | | | | | | FOR | OFFI | CE US | SE ON | ILY | | | | | B. Ticl C. Plea D. Plea | k '☑ ' v ase fill ase fill | vhere thed the Fo | ver app ate in D orm in B | olicabl D-MN Englisl | e. 1-YYY handlı | ory field Y forma n BLOC | at. CKLet | | - / |
| CIF NO. | | | | | | | <u> </u> | | _ | _ | _ | | | | | | | | | | | | | | | | Inst F. List | truction truction truction to the second truction truction to the second truction truction truction to the second truction truc | ons o cha | racter | ISO 3: | 166 co | etailed untry c | odes | and Lis | st of |
| A/C NO. | | | | | | | | | | | <u> </u> | <u> </u> | | | Ц | | Ц, | Scher | me Tyr | e _ | | | 1 1 | | _ | | ava G. For | ilable parti | in the cular : | Genera section | allnsti upda | ruction ate, pla | ease ti | ck () | in the | box |
| CKYC NU | MBER | (MANI | DATO | ORY FO | OR CK | YCl | JPDA | TE RE | QUES | iT): | | | | | | | | | | | | | | | | | ava sec | ilable tions | befor not re | e the : | sectio to be | n num update | nber an | nd stri | ke for | the |
| ACCOUN | THOL | DER T | YPE* | : | | U | S REP | ORTA | ABLE | | | | | PORTA | | | ASE R | EFER | TO GE | NER/ | AL | | | | | | I. Det | finitio | noflm | nporta | nt Ter | ms are | at the l | End | | , to |
| I/W | /E DO | NOT H | IAVE | ANY A | ACCO | TNU | WIT | H PNE | B OR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | the RBI | | | ш |
| I/W | /E HAV | E AN A | ACC | TNUC | WITH | I PNI | B & TI | HE AC | ccou | NT NI | UMBE | RIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ENT | ITY C | DETA | ILS | * (Ple | ase | ref | er G | ene | ral Ir | stru | ıctio | ns P | oint | 'C') | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| NAME OF TH | | | L | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \perp | _ | | _ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | \perp | | |
| PAN*: | | | | | | | | | | (F | OR EN | NTITIE | ES TAX | (RESII | DENT | | | | N TYPE PAN IS | | | | | | NERAL | _ | | | | , IF O-0 NSTRI | | | ECIFY) | | | — |
| OR FORM 60 | | (FOF | ? FN | TITIES | ОТН | FRT | HFN | СОМІ | PANIF | S AN | D PAR | TNFF | SHIPS | s) NI | o (r | non- | orofi | t ord | anizo | ntior | n) v [| | N [| \Box | If Ye | _ s. sr | pecify | v Red | nistr | ation | no. | | | — | | \neg |
| 2. PRO | OF O | J | | | | | | | | | | | | | | | | | , | | ۰, ۰ | | | | | , o _r | | ,, | 9.04. | | | | | | | |
| PLACE OF IN | CORP | ORATI | NC | FORM | OITA | V*:_ | | | | | | | | DAT | E OF | INCO | RPOR | ATIOI | N/ FOF | MATI | ON*: | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| COUNTRY OF | FINCO | RPOR | ATIC | N/FC | RMAT | ΓΙΟΝ | 1* (CC | DDE- | ISO 3 | 166): | | | (RE | FER G | ENER | AL INS | STRU | OITO | NS) D (A | ATE C | OF CO | MMEI IN C | NCEM ASE OF | ENT C | F BUS | SINES | S*: COMI | PANIE | s) | | Ī | Ī | | \Box | | |
| GSTN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | ı | ENTIT | / CO1 | NSTIT | UTIO | N TYP | E*: | | (PLE | ASE RI | EFERI | NSTR | UCTIC | N B II | 1 GEN | ERAL II | NSTR | UCTIO | NS) |
| CIN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10) | NLY AP | PLICA | BLE IN | V CAS | SE OF | A COI | MPAN | Y) | | | | | | |
| CE | ERTIFIC | CATE | OF IN | CORF | ORAT | 101 | I/FO | RMAT | ΓΙΟΝ | | | | | | | | | | POWE | | | | | | | | | HALF | | R | EGIST | RATIC | ON CER | TIFIC | ATE | |
| OF | FFICIA | LLY VA | LID | DOCL | JMEN ⁻ | T(S) | IN RE | SPEC | T OF | PERS | ON AL | JTHO | RIZE | тот | RANS | ACT | | | RESO | LUTIC | ON OF | ВОА | RD / M | IANAC | SING C | COM | MITTE | E | | 0 | THER | | | | | _ |
| ME | EMOR | ANDU | M AN | ID AR | ΓICLE | OF. | ASSC | CIAT | ION/ | PART | NERS | HIP D | EED/ | TRUST | DOC | CUMEN | 1T [| | ACTIV | 'ITY P | ROOF | (FO | R SOL | E PRO | PRIET | ORSI | 1O AIF | ILY) | | | | | /am R | egis | tratio | on |
| 3. DETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | , | | | | | | | | | — с | ertiii | cate | | | | |
| (An 'An | nexu | ire II | tot | e fill | edfo | or e | ach | _ | | ' | • | | | | | | | | | | | NED . | ALITU(| DICE | SICN | IATO | OV DEN | JEEIC | IADV I | DENIEEI | CIAL (| JWNE | R, COU | DT | | |
| NUMBER | OF REL | ATED P | ERS | ONS*: | | | | | APPO | INTEC | OFFI | CIAL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,000 | K I | | |
| NUMBER | OF BE | NEFIC | IAL (| OWNE | RS*: | | | - 1 | | | | | | | | | | | NNER | | | | | | | | | | | | | | O. 18) | | | |
| 4. PRO | | | | | | | | | | | | ne do | ocun | nents | s, as | appl | icab | le, n | eed t | o be | sub | mitt | :ed) (| Pleas | se se | e in | struc | ction | ' E' a | at the | end |) | | | | |
| 4.1 CURR | | PERM RED O | | | | | | | | | | CE O | F BUS | INESS | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADDRESS | S TYPE | *: | | RESID | DENTI | AL/ | 'BUSI | INESS | 5 | | RES | SIDEN | TIAL | | | BUSIN | IESS | | | REGIS | STERE | D OF | FICE | | ٦, | UNSF | ECIFI | ED | | | | | | | | |
| PROOF O | F ADD | RESS' | * : | | CERTI | FICA | ATE O | F INC | L CORPO | DRATI | ION/I | FORM | IOITA | ا ا | | | RE | ∟ GISTI: | RATIOI | N CEF | RTIFIC | ATE | | | | | | | | | | | | | | |
| LINE 1*: | | | T | \exists | | 1 | | | | | Г | | | | | Г | | | | | | | | | | | | | Т | | | | | | | |
| LINE 2: | H | + | t | $^{+}$ | | \dagger | | | | | \perp | | \perp | | | | | | | | | | | | | | | | $^{+}$ | | | \vdash | \Box | \dashv | | \dashv |
| LINE 3: | - | + | $^{+}$ | \pm | | \forall | | | | | + | | + | | | + | | | | | CI | L TY/ TO | `\MWC | /ILLA | J GE*: | \vdash | + | | + | | \perp | \vdash | \Box | _ | | \dashv |
| DISTRICT | *: | + | $^{+}$ | \pm | | \forall | | | | | \vdash | | + | | | + | | | | | | PI | N/POS | т соі | DE*: | \vdash | + | $^+$ | <u> </u> | + | + | \vdash | \forall | | | |
| STATE / U | | .ME*: | \perp | $^{+}$ | | \exists | | | | | | | | | | | | | | |] | | OUNT | | | | + | \perp | | +- | | | | | | |
| 4.2 CORR | ESPO | NDEN | CE/ | LOCA | L ADI | DRE | SS DI | ETAIL | .s* | | 1 | | | | | | | ļ | | | J | (15 | SO316 | 6) | | | | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | LS (IN | I CASI | E OF N | 4ULTI | PLE CO | ORRE: | SPONI | DENC | E/LC | OCAL A | DDR | ESSES | S, PLE | ASE F | ILL 'AN | INEXU | JRE II | l') | | | | | | | | | |
| ADDRESS | TYPE | *: | R | ESIDE | NTIAI | L/B | USIN | ESS | | F | RESIDI | ENTIA | \L [| | BUS | INESS | | | REGI | STERI | ED OF | FICE | | (| JNSPE | CIFIE | ED | | | | | | | | | |
| PROOF O | FADD | RESS* | *: [| С | ERTIF | ICAT | ΓE OF | INCO | ORPO | RATIC | ON / FO | ORMA | TION | | REG | ISTRA | TION | CERT | TIFICAT | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINE 1*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINE 2: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINE 3: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CI | TY/ TO | '\NWC | /ILLA | GE*: | | | | | | | | | | | |
| DISTRICT | *: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PI | N/POS | т соі | DE*: | | | | | | | | | | | |
| STATE / U | JT NA | ME*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OUNT SO316 | | DE*: | | | | | | | | | | | |

| 4.3 कारोबार का मृ | ाूल स्था | न (पंज | ीकृत | पते व | र्क सम | ान) ह | វ៉ា 📗 | नः | हीं | (ર | ादि न | हीं है, | कृपर | ग्रा नि | म्न वि | विरण १ | ारें) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------|----------|---------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------|----------|------------------|-------------|------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|----------|---------|----------|--------|-----------|--------|------------|
| पते का प्रकार* | 3 | भावासी | य/कार | रोबार | | | अ | वासी | य | | | कारो | बार | | | पंजीवृ | ृत क | गर्याल | य | | 3: | निर्दिष्ट | į | | | | | | | | | | |
| पते का प्रमाण* | f | नेगमन | /गठन | का प्र | माणप | न्त्र | | | | | | पंजीव | करण | प्रमाण | पत्र | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पंक्ति*1 : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पंक्ति*2 : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पंक्ति*3 : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | शहः | र/नगर, | /गांव | *: | | | | | | | | | | | |
| जिला* : | | Ť | | | | | | | | | | | | | | | | | पिन | /पोस्ट | कोड | 5*: | | | | | | | | | | | |
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | का नाम | 1* | | | | | | | | | | | | | | | | | देश | कोड* | (आः | ईएसअं | 310 | 66) | | | | | | | | | |
| 4.4 जहां संस्था क | र उद्देश | यों के ि | लेए भ | गरत | से बाह | इर का | निव | सी है | , तो उ | उस अ | धिक | ार क्षेत्र | में उ | सका | पता | | | | | | | | | | | | • | • | _ | | | | |
| वर्तमान/स्थार्य | गि/विदेः | श के प | ते के ि | वेवरप | ा के अ | अनुसार | <u> </u> | | पत्राचा | र/स्था | नीय प | रते के | विवर | ण के | अनुस | सार | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| पते का प्रकार* | 3 | भावासी | य/कार | रोबार | | | _] आ | ावासी —— | 4 | | | कारो | बार | | | पंजीवृ | ृत क | गर्याल | य | | 3 | निर्दिष्ट | [| | | | | | | | | | |
| पते का प्रमाण* (भा | रत के | बाहर पं | जीकृत T | ा इक । | ाईयों व | के लिप —— | (})* | | निगम | न/गत | उन क ा | प्रमा | णपत्र | | | पंजीव | रण ! | प्रमाण T | पत्र या | समतुर | ल्य प्र ा | माणप | त्र T | _ | | _ | | | _ | _ | | | _ |
| पंक्ति*1 : | + | | <u> </u> | | | | | | | | _ | _ | | _ | _ | <u> </u> | + | <u> </u> | _ | + | Ļ | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | _ | <u> </u> | <u> </u> | 4 | _ | 4 | _ | | _ |
| पंक्ति*2 : | _ | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | _ | | _ | | | | | _ |
| पंक्ति*3 : | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | - | गर/गांव | ₹: | | | | | | | | | | | | |
| राज्य* : | | | | | | | | | 'पोस्ट | | _ | | | | | | | (3 | | ओ ३१० | | | | | | | | | | | | | |
| 5. संपर्क विवरण (र | सभी प | त्राचार | दिए | गए । | गोबाइ | ल नं. | ./ई-i | मेल अ | गईडी | पर १ | भेजे ज | (एंगे |) (कृप | ाया ३ | नंत मे | ों दी ग | ई अन् | नुदेश | सं.'च | ' देखें) | ١ | | | | | | | | | | | | |
| टेलिफोन (कार्या.): | | | | | | | | | | | | टेर्ी | लेफो | न (नि | त्रास) | : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| फैक्स : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मोबाइल 1 : | | | | | | | | | | | | | 1 | गोबाइ | ल 2 | : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ई-मेल आई डी 1: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ई-मेल आई डी 2: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. कारोबार का प्रव | भार | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| निर्माता | | | | ट | गपारी | | | ₹ | बुदरा ' | विक्रेत | П | | सेव | प्रदा | ता | | | | | नि | र्यात | 'आया | त | | | | | अन्य | ī | | | | |
| उद्योग कोड*: | | (| कृपया | उद्यो | ा को | ह के वि | लेए पृ | ष्ठ 5 दे | खें) | | | | | | | | | | अन | य : | | | | | | | | | | | | | |
| वार्षिक टर्नओवर रु. अनुमानित वार्षिक क्रे | | | | | | — कृ | पया : | संबंधि | त दस् | तावेज | या स्व | व-घोष | ग्णाप्र | इान व | ठरें (बैं | कं द्वारा | यथा | निर्धा | रित नि | श्चित सं | रीमा ' | तक ल | गगू) | | | | | | | | | | |
| एमएलएम वचनपत्रः | _ | | णा करत | ग/करत | ती/करत | ने हैं/हैं वि | के मेरी/ | 'हमारी व | क्रंपनी/ | फर्म ए | मएलए | — म (बह | स्तरीय | मार्केटि | ग) कं | पनी/फर्म | नहीं है | है या | "甫/ | /हम घोष | णा क | रता/कर | ती/क | रते हैं/ | 'हैं कि मे | री/हम | नारी एम | नएलए | म (बहस | तरीयः | मार्केटिं | ग) कंप | नी/फर्म है |
| और कंपनी बहुस्तरीय मार्वे स्थित है, उस राज्य सरका | र्कटिंग क | कारोबार | करती | है एवं उ | सने उप | भोक्ता म | नामले व | ह विभा | ग को ए | क वचन | र पत्र दि | या है वि | ह कंपर्न | र उपभो | क्ता मा | मले, खाद | और स | गार्वजन <u>ि</u> | — क वितर | रण मंत्राल | ाय द्वा | ! जारी प्र | ात्यक्ष रि | बेक्री वि | देशानि | र्देश, 2 | 2016 | तथा ज | हाँ कंपन | ो का | पंजीकृ | | |
| 7. खाते का प्रकार | ic gici oi | ा प्रस्पद् | ТЧЯЛТ | QXIII-I | प्रा प्र | ાળગુવા | रान प्रम | vii 61 s | 2(147 0) | ાલાવાવ | 12411111 | रुगाना | 1400 | IC G-1 | गरपार | ाग (भाषप | 1) 011 | याः। अन | 1776 | यम् आपप <u>ा</u> | 1111 42 | 00019 | -1 -161 | 19291 | 6 0110 | 56619 | 411114 | 7(-1 47 | 1441 | 4(II G | 1 | | |
| चालू खाता | | | | | बचत | खाता | | | | | | | अन्य | 1 | कृप | या उल्ले | ख क | र्ग् रे — | | | | | | | | | | | | | | | |
| आवर्ती जमा | खाता | | F | | स्वीप | सुविध | ग | | | | | | J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| योजना का प्रकार | | | | | | ँ राशि _ | | | | | | | | अर्वा | धे | | | | | स्व नर्व | ीनीव | र ण | | हाँ | | नहीं | : | | | | | | |
| 8. परिचालन का त | ारीका | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| एकल | | संयुक्त | रूप से | 1 | 3 | लग- | अलग | · [| | बोर्ड | के सं | कल्प | के अ | नुसार | | | अ | न्य (व | ह ुपया ३ | उल्लेख | करें |) . | | | | | | | | | | | |
| 9. अपेक्षित सेवाएं | (अपेरि | क्षेत सेव | वा पर | टिक | लगा | एं (प्र | भार ल | नागू ह | ो सव | व्ते हैं |) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंवि | केंग : वें | केवल दे | खने हे | तु | | | | | | | देखन | एवं र | लेन-व | न हेत् | Ţ _ | | | | | | चे | क बुव | Б | | | | | | | डेबि | टि क | र्ड | |
| पीओएस की सुविधा | (कार्ड | स्वाइप | करने | ँ की म | शीन) | Ī | | | | | | एसए | मएस | अलव | £ | | | | | डोर | स्टेप | बैंकिंग | η | | | | | फी | स भुग | ातान | सुवि | धा 🖟 | |
| | | | | | | L | | | | | प्ले | टिनम | डेबि | ट का | £ | | | | | | | | L | | | | | | अ | य _ | | | |
| खाता | विवरप | गी की ः | अवधि | : मार्गि | सेक | | | | | | | | f | तेमार्ह | t 🔚 | | | | | | | छमाह | हो | | | | | | | | दैनि | नेक | |
| ई-विवरणी भेजने के | लिए ई | -मेल | आईडी | | | Τ | T | | | | | | | | | | | | | | | | Ť | _ | | | | | | | | Τ | |
| मोबाइल जिस पर एस | गएमएस | अलर्ट | भेजा उ | जाना है | 2 | İ | | | İ | | İ | | | | (कृ | पया ए | भोएफ | 5 भाग | 1 में सं | पर्क वि | वरण | में दि | ए गए | र मोब | बाइल | नंबरो | ां का | संदर्भ | लें) | | - | | |
| 10. खाते का प्रका | र: | | | | | | <u> </u> | ' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| खाते के प्रकार का ना (अधिक जानकारी के | | व्यसा ह | मारी ने | त्रमार | ट देखें | ਹਾ ⊐ | m Z Z | П 9117 | खा में : | जाएँ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. वचन पत्रः बैंकिं | | | | | | ना । ग | 1476(1 | 17 KII | जाम' | ગા ડ/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| बैंकिंग प्रणाली से ऋ | ण सुवि | धा का | लाभ ः | | | | नही | | हाँ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (यदि हाँ, तो कृपया र मैं /हम आपको तत्काल य मैं/हम यह भी समझते है वि | अनुबंध गह सूचित के उट | v भरें, करने क |) 1 वचन वं | देता/दे | ती/देते | हूँ/हैं कि | - इ जब १ | े भेरे/ विकास | – हमारी त्र ने जण | हण सुनि जो नेन | वेधाओं ।/हरण | का ला१ | भ रु० 5 भ रु० 5 | .00 क | रोड़ या | उससे अं | धेक हं _{शिक्ट} र | ो जाता रोट रि | है | ш | | | | | | | | | | | | | |
| ୩/୧୩ ଏହି ୩୮ଖ୍ୟରିପ ହିଲ | √৴ অ অ ⊁ | 11 MY Y | বল ধার্ | , eu 5 | .იი თ | ત્રણ લા | ज्लल उ | गायफ (| ા जાડ, | ता मर | ı/ 64 ⊀ | लाता - | তাংগ্ৰাং | ıış IÇ | तामदर | તા ધ્રાંત ઉ | ानरा।l | v1(1 197 | ना जाए | 11 | | | | , | आवेढ | क./ <i>क</i> | तें के | ट्यम | ध्य | | | | |

| 4.3 Principa | ıl place o | f Bus | iness (| (as sar | ne reg | istere | ed add | ress) | Y | N | | if no | please | e fill d | etails | as un | der) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------|---------|---------|--------|--------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------|--------|---------|----------|-------------------|--------|-------------|-----------------|----------|----------|---------------|----------|----------|--------|-------|---------|--------|---------------------|---------|--------|----------|---------|--------|
| ADDRESS | ADDRESS TYPE*: RESIDENTIAL / BUSINESS RESIDENTIAL BUSINESS REGISTERED OFFICE UNSPECIFIED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROOF OF | ADDRE | SS*: | | CERT | ΓIFICA | TE O | FINC | ORPO | RATIC | N / F0 | ORMAT | ION | | REG | GISTR | ATIO | N CEF | RTIFI | CATE | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINE 1*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Τ | Т | | П | | |
| LINE 2: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | İ | | | | İ | T | | T | | | | T | Ť | T | T | | |
| LINE 3: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (| CITY/ | TOW | 1/VILL | .AGE* | ·: | | | | | | | Ť | Ť | T | T | | |
| DISTRICT* | : 🗍 | | | | | | | | | | | | | | | | Ť | | | | | PIN/P | OST C | ODE* | ·. | | | | | | | Ť | Ť | 寸 | | | |
| STATE / U | П NAME | *: | | | | | | | | | | | | | | | Ť | | | | | | NTRY (| CODE | *: - | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 ADDRES | SINT | łE JU | RISD | ICTIC | N WI | HERE | ENT | ITY IS | RESI | DENT | OUTS | SIDE | NDIA | FOF | TAX | PURI | POSE | S* | 1 | | | (ISO3 | 100) | | | | | | | _ | | | | | | | |
| SAN | 1E AS C | URRE | NT/F | PERMA | ANEN. | T / O\ | /ERSE | AS AI | DDRES | SS DE | TAILS | Į | | SA | ME AS | COF | RESP | ONE | DENCE | /LOC | AL A | DDRE | SS DE | TAILS | | | | | | | | | | | | | |
| ADDRESS | TYPE*: | | RES | IDENT | TIAL / | BUSII | NESS | L | F | RESID | ENTIA | L [| | BU | SINES | ss | | R | EGISTE | ERED (| OFFIC | CE | | UNS | SPECI | IFIED | | | | | | | | | | | |
| PROOF OF | ADDRE | SS (F | OR EN | NTITIE | S REC | SISTE | RED C | OUTSI | DE INI | DIA)* | : | REC | SISTR. | ATIO | N CEF | RTIFIC | ATE (| OR E | QUIVA | LENT | | CER | TIFIC | ATE O | FINC | ORP | ORAT | ION/ | FORM | ATIC | N | | | | | | _ |
| LINE 1*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | | \perp | | $\underline{\perp}$ | | L | L | | |
| LINE 2: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINE 3: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CITY | / TO | WN/ | VILLA | GE*: | | | | | | | | | | | | | |
| STATE*: | | | | | | | | | | ZIP/ | POST | CODI | E*: | | | | | | | | COL (ISC | JNTR\ 0 3166 | (COD | E*: | | | | | | | | | | | | | |
| 5. CONT | ACT | DET/ | AILS | (All | comi | mun | icati | ons | will b | e se | nt or | pro | vide | ed M | obile | e no. | /Em | nail- | - ID) (| Pleas | se re | efer l | nstrı | uctic | n 'F ' | 'at | the e | nd) | | | | | | | | | |
| TEL. (OFF) | : | | | | | | | | | | | | TE | L. (RE | :S): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAX: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | · | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOBILE 1: | | | | | | | | | | | | | _ M(| OBILE | 2: | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| EMAIL ID 1 | : | | | | | | | | | | | | | | · | | | | 1 | | | l | | | | | Ī | Τ | | T | T | Т | | | Г | T | 7 |
| EMAIL ID 2 | : 🔚 | | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | $^{+}$ | | $^{+}$ | 1 | \dagger | | | \vdash | | 1 |
| 6. NATU | RE OF | BU | SINE | SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MA | MANUFACTURER TRADER RETAILER SERVICE PROVIDER EXPORT / IMPORT OTHERS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDUSTRY | NDUSTRY CODE*: (PLEASE REFER TO INDUSTRY CODES PAGE ON PAGE 5) OTHERS: (PLEASE REFER TO INDUSTRY CODES PAGE ON PAGE 5) ANNUAL TURNOVER RS. (PLEASE PROVIDE SUPPORTING DOCUMENTS OR SELF DECLARATION (Applicable upto certain limit as decided by Bank) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANNUAL T | URNOV | ER RS | j | | | | | F | PLEAS | E PRC | VIDE S | SUPP | ORTIN | NG DO | CUM | IENTS | ORS | ELF | DECLA | RATIO | ON (A | pplica | ble up | to cer | tain li | mit a | s deci | ded b | y Bar | nk) | | | | | | | |
| EXPECTED | | Г | | | Doolo | +b. | at marri | /a C | | m. //Eiw | Ia m | -+ MI | м /м | | aval I | Maulca | \ | C | | Firm (| Sp. [| | 1/\\/o a | الممامسا | | | C. | | /Fi | irna ia | N | ALM / | Mult | مرده ا | ıl Max | leatio. | ۵۱ |
| MLM UND Company/ issued by t | Firm an | d the | Comp | any is | doing | busii | nesso | fMult | i-Leve | Mark | eting a | ind ha | s give | en an i | under | taking | g to th | e De | npany/ epartme | ent of | Cons | umer/ | I/We o | that t | he Co | mpa | ny is ir | com | plian | ce wit | h Dir | rect Se | elling | Guid | leline | s, 201 | 16 |
| Further, the | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e Stat | e Gov | emm | ent, | where | uiei | egist | ereu (| JITICE | 3 OI LI | ie CC | лпраг | iy is i | ocate | ·u |
| 7. TYPE | OF AC | CCO | UNT | • | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CU | RRENT | ACCC | UNT | | L | _ | : | SAVIN | IGS BA | ANK A | ccou | NT | | | 0 | THER | 2 | PLEA | ASE SP | ECIFY | :— | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| REC | CURRIN | G DEF | POSIT | | | | ! | SWEE | P FACI | ILITY | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | , | | | | | | | | |
| SCHEME T | YPE | | | | | | | AMOL | JNT _ | | | | | - [| | PER | IOD . | | | | | _ A | UTO F | RENEV | VAL | | YES | | NO | | | | | | | | |
| 8. MODI | | PEF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GLY | | | JOINT | | L | | EVER | | | | | | | | | TION | | | ОТ | 'HERS | S:(PL | EASE S | SPECI | FY) | | | | | | | | | | | | _ |
| 9. SERV | | | | | | | | Г | ervio | ce (C | harg | | | | | | Г | | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | |
| CORPOR | | | | | | | | L | | | | | VIEW | | | | F | | | | | | | QUE | | F | = | | | | | DAY | | BIT CA | | | - |
| | POSF | ACIL | IIY(C | ARDS | WIPII | NG MA | ACHIN | NE) | | | | | | | | ALERT | F | | | | | DOO | R STE | PBAN | IKING | ' L | | | | | | | | FACIL | .IIY | | _ |
| | | | | | | | | ١ | | | | F | PLATII | NUM | DEBIT | ΓCAR | ╸┌ | _ | | | | | | | | | _ | | | | | OTF | HER . | | | | _ ¬ |
| | | | | FREQ | | | НТИС | LY [| \perp | | 1 | _ | | | QUAF | RTERI | _Y _ | <u> </u> | | | | | HA | LF-YE | ARLY | <u> </u> | | | 1 | | | _ | _ | DA | AILY | Ļ | |
| E-STATEM | ENT TO | BE SE | ENT T | O EMA | AIL ID | : | _ | <u> </u> | | | _ | <u> </u> | | | + | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | \perp | | \perp | | |
| SMS ALER | | | | | BILE | | | | | | | | | | | | (PLE | ASE | REFER | TO TI | HE M | OBILE | NUME | BERS | GIVEN | N IN C | ONT | ACT | DETA | ILS IN | AOF | PAR | Γ1) | | | | |
| 10. ACC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACCOUNT VARIANT NAME: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. UND | | | | | | | | | | = | Г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ING CR | | | | | | ING S | YSTEN | 1. | N | 10 | | YES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/we under | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | gnat | ure c | of App | olica | nt/s | | | | | |

| 12. अन्य संस्था का विवरणः | |
|--|---|
| सुनिश्चित करें कि वह संस्था ''वित्तीय संस्था' या 'गैर वित्तीय संस्था' है (कोई भी संस्था 'एफआई' या 'एनएफई' हो सकती है | |
| वित्तीय संस्थान (एफआई): (यदि वित्तीय संस्थान है तो कृपया सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए अनुबंध I और अनु (बैंक, बीमा एजेंसियां, एनबीएफसी आदि) या | |
| गैर वित्तीय संस्थान (एनएफई): यदि संस्थान एनएफई है, तो क्या वह सिक्रिय एनएफई या निष्क्रिय | य एनएफई है। |
| (एक संस्थान या तो सक्रिय एनएफई या निष्क्रिय एनएफई हो सकती है, दोनों नही, कृपया सक्रिय निष्क्रिय एनएफई के स | संबंध में सामान्य दिशानिर्देश 'ज' देखें) |
| नियंत्रक व्यक्तियों की संख्या (केवल निष्क्रिय एनएफई के मामले में लागू, प्रत्येक संबंधित व्यक्ति के लिए अनु | बंध II भरें) |
| प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग करने वाली गैर-वित्तीय विदेशी संस्था : हाँ नही | |
| यदि हाँ तो कृपया प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग करने वाली एनएफएफई का जीआईआईएन दर्शाएं : | |
| विधिक इकाई पहचानकर्ता (एल.ई.आई कोड सं.) : (जहां कहीं लागू हो) | |
| 13. कर नियमों के अनुसार निवास का देश | |
| केवल भारत के कर निवासी है भारत के बाहर किसी अन्य देश के नहीं हाँ नहीं (यदि नहीं है, तो कृपया 3 | अनुबंध –VI के विवरण भरें) |
| आयकर नियम, 1962 फ़ार्म 60 [नियम 114बी का द्वितीय परं | रंतुक देखें] |
| 14 फॉर्म 60 कंपनियों और भागीदारों के अलावा अन्य इकाईयों के लिए | , लागू ह (जिनक पास पन उपलब्ध नहा) |
| नाम : | |
| यदि पैन के लिए आवेदन किया हुआ है और जारी नहीं किया गया है, तो आवेदन की तिथि | तथा पावती संख्या |
| यदि पैन के लिए आवेदन नहीं किया है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 64 के अनुसार उस वित्त वर्ष जिसमें उपर्युत्त (पति,पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की आय सहित) | त लेन-देन किया गया है, की अनुमानित कुल आय भरें |
| कृषि आय (रू. में) कृषि आय के | अलावा अन्य आय |
| सत्यापन | 31.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1 |
| मैं एतदद्वाराय | यह घोषणा करता हूँ/ती हूँ कि उपर्युक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है मैं |
| आगे यह घोषणा करता/ती हूँ कि मेरे पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और जिस वित्तीय वर्ष में उक्त लेनदेन किया गया है, उसमें मेरी/हमा के प्रावधानों के अनुरूप आयकर अधिनियम की धारा 64 के अनुसार गणना की गई है, जो कर योग्य अधिकतम राशि से कम ही होगी | ारा अनुमाानत कुल आय (पात,पत्ना, अवयस्क सतान आदि का आय साहत) आयकर अधानयम 1961 |
| वर्षदिन को सत्यापित | |
| स्थान : | घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर |
| | जान-गजरमा जर हरसाद्वार |
| 15. नामांकन : केवल एकल स्वामित्व के लिए लागू | |
| में आने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती है गा मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं क | |
| में आने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती है गा मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं क | रुरना चाहता/चाहती हैं |
| मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ या मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं कर (नामांकन सुविधा के लाभ मुझे/हमें बता दिए ज्ञामांकन फॉर्म (डीए 1) बैंक जमाराशियों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45z और बैंकिंग कम्पनी (नामांकन) नियमाव | जरना चाहता/चाहती हूँ गए हैं तथापि मैं/हम खाते में किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं) वली 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन |
| मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ या मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं कर (नामांकन सुविधा के लाभ मुझे/हमें बता दिए ज्ञामांकन फॉर्म (डीए 1) बैंक जमाराशियों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45z और बैंकिंग कम्पनी (नामांकन) नियमाव मैं/हमव्यक्ति को नामित करता/करती हूँ/करते हैं, जिसे मेरी/हमारी/अवर किए गए हैं, पंजाब नैशनल बैंक द्वारा वापस कर दी जाए | रुरना चाहता/चाहती हूँ गए हैं तथापि मैं/हम खाते में किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं) वली 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन यस्क की मृत्यु होने पर जमाराशि जिसके विवरण नीचे प्रस्तुत नामांकन क्रम सं |
| मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ या मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं कर (नामांकन सुविधा के लाभ मुझे/हमें बता दिए नामांकन फॉर्म (डीए 1) बैंक जमाराशियों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45z और बैंकिंग कम्पनी (नामांकन) नियमाव मैं/हमव्यक्ति को नामित करता/करती हूँ/करते हैं, जिसे मेरी/हमारी/अवर्ष किए गए हैं, पंजाब नैशनल बैंक द्वारा वापस कर दी जाए उस शाखा/कार्यालय का नाम व पता जहां जमाराशि रखी गई है | रुरना चाहता/चाहती हूँ गए हैं तथापि मैं/हम खाते में किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं) वली 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन यस्क की मृत्यु होने पर जमाराशि जिसके विवरण नीचे प्रस्तुत नामांकन क्रम सं |
| मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ या मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं कर (नामांकन सुविधा के लाभ मुझे/हमें बता दिए जामांकन फॉर्म (डीए 1) बैंक जमाराशियों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45z और बैंकिंग कम्पनी (नामांकन) नियमाव मैं/हमव्यक्ति को नामित करता/करती हूँ/करते हैं, जिसे मेरी/हमारी/अवर किए गए हैं, पंजाब नैशनल बैंक द्वारा वापस कर दी जाए उस शाखा/कार्यालय का नाम व पता जहां जमाराशि रखी गई है | रुरना चाहता/चाहती हूँ गए हैं तथापि मैं/हम खाते में किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं) वली 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन यस्क की मृत्यु होने पर जमाराशि जिसके विवरण नीचे प्रस्तुत नामांकन क्रम सं |
| मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ या मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं कर (नामांकन सुविधा के लाभ मुझे/हमें बता दिए ज्ञामांकन फॉर्म (डीए 1) बैंक जमाराशियों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45z और बैंकिंग कम्पनी (नामांकन) नियमाव मैं/हम | रुरना चाहता/चाहती हूँ गए हैं तथापि मैं/हम खाते में किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं) वली 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन यस्क की मृत्यु होने पर जमाराशि जिसके विवरण नीचे प्रस्तुत नामांकन क्रम सं |
| मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ या मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं कर (नामांकन सुविधा के लाभ मुझे/हमें बता दिए नामांकन फॉर्म (डीए 1) बैंक जमाराशियों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45z और बैंकिंग कम्पनी (नामांकन) नियमाव मैं/हम | रुरना चाहता/चाहती हूँ गए हैं तथापि मैं/हम खाते में किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं) वली 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन यस्क की मृत्यु होने पर जमाराशि जिसके विवरण नीचे प्रस्तुत नामांकन क्रम सं |
| मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ या मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं कर (नामांकन सुविधा के लाभ मुझे/हमें बता दिए ज्ञामांकन फॉर्म (डीए 1) बैंक जमाराशियों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45z और बैंकिंग कम्पनी (नामांकन) नियमाव मैं/हम | रुरना चाहता/चाहती हूँ गए हैं तथापि मैं/हम खाते में किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं) वली 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन यस्क की मृत्यु होने पर जमाराशि जिसके विवरण नीचे प्रस्तुत नामांकन क्रम सं |
| मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ या मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं कर तामांकन फॉर्म (डीए 1) बैंक जमाराशियों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45z और बैंकिंग कम्पनी (नामांकन) नियमाव मैं/हम | रुरना चाहता/चाहती हूँ गए हैं तथापि मैं/हम खाते में किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं) वली 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन यस्क की मृत्यु होने पर जमाराशि जिसके विवरण नीचे प्रस्तुत नामांकन क्रम सं |
| मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ या मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं कर तामांकन फॉर्म (डीए 1) बैंक जमाराशियों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45z और बैंकिंग कम्पनी (नामांकन) नियमाव मैं/हम | हरना चाहता/चाहती हूँ गए हैं तथापि मैं/हम खाते में किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं) बली 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन यस्क की मृत्यु होने पर जमाराशि जिसके विवरण नीचे प्रस्तुत क्रम सं |
| मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ या मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं कर (नामांकन सुविधा के लाभ मुझे/हमें बता दिए जामांकन फॉर्म (डीए 1) बैंक जमाराशियों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45z और बैंकिंग कम्पनी (नामांकन) नियमाव मैं/हम | जरना चाहता/चाहती हूँ गए हैं तथापि मैं/हम खाते में किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं) बली 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन यस्क की मृत्यु होने पर जमाराशि जिसके विवरण नीचे प्रस्तुत क्रम सं |
| मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ या मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं कर (नामांकन सुविधा के लाभ मुझे/हमें बता दिए जामांकन फॉर्म (डीए 1) बैंक जमाराशियों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 452 और बैंकिंग कम्पनी (नामांकन) नियमाव मैं/हम | हरना चाहता/चाहती हूँ गए हैं तथापि मैं/हम खाते में किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं) बली 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन यस्क की मृत्यु होने पर जमाराशि जिसके विवरण नीचे प्रस्तुत क्रम सं |
| मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ या मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं कर तामांकन फॉर्म (डीए 1) बैंक जमाराशियों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45z और बैंकिंग कम्पनी (नामांकन) नियमाव मैं/हम | हरना चाहता/चाहती हूँ गए हैं तथापि मैं/हम खाते में किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं विवाध किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं विवाध किसी विवाध किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं विवाध किसी विवाध किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं विवाध किसी व्यक्ति के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन प्रथम की मृत्यु होने पर जमाराशि जिसके विवाध नीचे प्रस्तुत नामांकन क्रम सं |
| मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ या मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं कर (नामांकन सुविधा के लाभ मुझे/हमें बता दिए समारे का मांचिकन फॉर्म (डीए 1) बैंक जमाराशियों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45z और बैंकिंग कम्पनी (नामांकन) नियमाव मैं/हम | हरना चाहता/चाहती हूँ गए हैं। तथापि मैं/हम खाते में किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं) वली 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन यस्क की मृत्यु होने पर जमाराशि जिसके विवरण नीचे प्रस्तुत नामांकन क्रम सं |
| मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ या मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं कर (नामांकन सुविधा के लाभ मुझे/हमें बता दिए नामांकन फॉर्म (डीए 1) बैंक जमाराशियों के संबंध में बैंककारी विनयमन अधिनयम 1949 की धारा 45z और बैंकिंग कम्पनी (नामांकन) नियमाव मैं/हम | हरना चाहता/चाहती हूँ गए हैं। तथापि मैं/हम खाते में किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं) वली 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन यस्क की मृत्यु होने पर जमाराशि जिसके विवरण नीचे प्रस्तुत नामांकन क्रम सं |
| मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ या मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं कर (नामांकन सुविधा के लाभ मुझे/हमें बता दिए समारे का मांचिकन फॉर्म (डीए 1) बैंक जमाराशियों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45z और बैंकिंग कम्पनी (नामांकन) नियमाव मैं/हम | हरना चाहता/चाहती हूँ गए हैं तथापि मैं/हम खाते में किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं) वली 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन त्यस्क की मृत्यु होने पर जमाराशि जिसके विवरण नीचे प्रस्तुत नामांकन क्रम सं गामिती की जन्मतिथि : नामिती का सीआईएफ नंबर : आयु वर्ष |
| में अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ या में अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं कर (नामांकन सुविधा के लाभ मुझे/हमें बता दिए जिस्ता के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 452 और बैंकिंग कम्पनी (नामांकन) नियमाव मैं/हम | हरना चाहता/चाहती हूँ गए हैं तथापि मैं/हम खाते में किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं) वली 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन त्यस्क की मृत्यु होने पर जमाराशि जिसके विवरण नीचे प्रस्तुत नामांकन क्रम सं गामिती की जन्मतिथि : नामिती का सीआईएफ नंबर : आयु वर्ष |
| मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ या मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं कर त्यामांकन फॉर्म (डीए 1) बैंक जमाराशियों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनयम 1949 की धारा 452 और बैंकिंग कम्पनी (नामांकन) नियमाव मैं/हम | हरना चाहता/चाहती हूँ गए हैं तथापि मैं/हम खाते में किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं वली 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन यस्क की मृत्यु होने पर जमाराशि जिसके विवरण नीचे प्रस्तुत नामांकन क्रम सं गामिती की जन्मतिथि : नामिती का सीआईएफ नंबर : आयु वर्ष ररने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं |
| मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ या मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं कर मामांकन फॉर्म (डीए 1) वैंक जमाराशियों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45z और वैंकिंग कम्पनी (नामांकन) नियमाव मैं/हम | हरना चाहता/चाहती हूँ गए हैं तथापि मैं/हम खाते में किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं) वली 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन यस्क की मृत्यु होने पर जमाराशि जिसके विवरण नीचे प्रस्तुत नामांकन क्रम सं गामिती की जन्मतिथि : नामिती का सीआईएफ नंबर : ——————————————————————————————————— |
| मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ या मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं कर जमाराशियों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 452 और बैंकिंग कम्पनी (नामांकन) नियमार मैं हम | तरना चाहता/चाहती हूँ गए हैं तथापि मैं/हम खाते में किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं वली 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन यस्क की मृत्यु होने पर जमाराशि जिसके विवरण नीचे प्रस्तुत नामांकन क्रम सं |

| 12. OTHER ENTITY DETAILS: | |
|--|--|
| DETERMINE* WHETHER THE ENTITY IS 'FI' OR 'NFE' [AN ENTITY CAN BE EITHER AN 'FI' OR 'NFE', IT CAN NOT BE BE | |
| FINANCIAL INSTITUTION (FI): (IF FINANCIAL INSTITUTION (FI) IS TICKED, PLEASE ALSO FILL ANNEXURE I (BANKS, INSURANCE AGENCIES, NBFCS ETC.) OR | & ANNEXURE II FOR ALL THE RELATED PERSON) |
| NON FINANCIAL ENTITY (NFE): IF ENTITY IS NFE, WETHER IT IS*: ACTIVE NFE OR PASSIVE | NFE |
| (AN ENTITY CAN BE EITHER AN 'ACTIVE NFE' OR A 'PASSIVE NFE', IT CAN NOT BE BOTH - SEE INSTRUCTIONS 'H' IN | GENERAL GUIDELINES FOR ACTIVE & PASSIVE NFE) |
| NUMBER OF CONTROLLING PERSON(S): (APPLICABLE ONLY IN CASE OF PASSIVE NFE, FILL ANNEXUF | RE II FOR EACH CONTROLLING PERSON) |
| DIRECT REPORTING NON FINANCIAL FOREIGN ENTITY (NFFE): YES NO | |
| IF YES PLEASE PROVIDE GIIN OF DIRECT REPORTING NFFE: | |
| LEGAL ENTITY IDENTIFIER (L.E.I CODE. NO.): (AS & WHEN APPLICABLE) | |
| 13. COUNTRY OF RESIDENCE AS PER TAX LAWS* | |
| TAX RESIDENT OF INDIA ONLY AND NOT OF ANY OTHER COUNTRY OUTSIDE INDIA YES NO (IF | F NO, PLEASE FILL THE DETAILS ANNEXURE -VI) |
| Income-tax Rules, 1 FORM 60 [see second proviso | |
| 14 FORM 60 ONLY FOR ENTITIES OTHER THAN COMPANIES AND PA | ARTNERSHIPS (In Case PAN is not Available) |
| NAME: | |
| (SAME AS ID PROOF) IF APPLIED FOR PAN AND IT IS NOT YET GENERATED, ENTER DATE OF APPLICATION | S TUE ASWAGON EDGENENTANINGED |
| IF PAN IS NOT APPLIED, FILL ESTIMATED TOTAL INCOME (INCLUDING INCOME OF SPOUSE, MINOR CHILD, ETC | & THE ACKNOWLEDGEMENT NUMBER |
| ABOVE TRANSACTION IS HELD | |
| AGRICULTURE INCOME (RS) OTHER THAN AGE | RICULTURAL INCOME |
| VERIFICATION | |
| of my knowledge and belief. I further declare I do not have a permanent account number and my/our estimated t | do hereby declare that what is stated above is true to the best otal income (including income of spouse, minor child, etc.) as per section 64 of Income Tax |
| Act 1961 computed in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 for the financial year in which the a Verified today, the | above transaction is held will be less than maximum amount not chargeable to tax. |
| Place: | |
| Tidee: | Signature of the Declarant |
| 15 NOMINATION: Applicable Only For Sole Proprietorship | Signature of the Declarant |
| 15 NOMINATION: Applicable Only For Sole Proprietorship WE DO NOT WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR | MINATION IN MY/OUR ACCOUNT |
| 15 NOMINATION : Applicable Only For Sole Proprietorship I/WE WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR The benefit of nomination facility has | |
| 15 NOMINATION: Applicable Only For Sole Proprietorship WE DO NOT WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR | oMINATION IN MY/OUR ACCOUNT is been explained to me/us . However I/we don't want to nominate any person in the account) |
| 15 NOMINATION: Applicable Only For Sole Proprietorship I/WE WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR I/WE DO NOT WANT TO MAKE A NO (The benefit of nomination facility has NOMINATION FORM (DA1) Nomination under Section 45Z of the Banking Regulation Act , 1949 and Rule 2(1) of Banking Companies (Now 1/We | omination) Rules 1985 in the respect of Bank Deposits. //Our /minor's death the amount of Deposit, particulars whereof are NOMINATION |
| 15 NOMINATION: Applicable Only For Sole Proprietorship I/WE WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR I/WE DO NOT WANT TO MAKE A NO (The benefit of nomination facility has NOMINATION FORM (DA1) Nomination under Section 45Z of the Banking Regulation Act , 1949 and Rule 2(1) of Banking Companies (No I/We | omination in My/Our Account seen explained to me/us. However I/we don't want to nominate any person in the account) omination) Rules 1985 in the respect of Bank Deposits. |
| 15 NOMINATION : Applicable Only For Sole Proprietorship I/WE WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR I/WE DO NOT WANT TO MAKE A NO (The benefit of nomination facility has NOMINATION FORM (DA1) Nomination under Section 45Z of the Banking Regulation Act , 1949 and Rule 2(1) of Banking Companies (Nomination facility was nominated the following person to whom in the event of my given below, may be returned by Punjab National Bank | omination in My/OUR ACCOUNT is been explained to me/us. However I/we don't want to nominate any person in the account) comination) Rules 1985 in the respect of Bank Deposits. Cour /minor's death the amount of Deposit, particulars whereof are |
| 15 NOMINATION: Applicable Only For Sole Proprietorship I/WE WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR I/WE DO NOT WANT TO MAKE A NO (The benefit of nomination facility has NOMINATION FORM (DA1) Nomination under Section 45Z of the Banking Regulation Act , 1949 and Rule 2(1) of Banking Companies (No I/We | omination in My/OUR ACCOUNT is been explained to me/us. However I/we don't want to nominate any person in the account) comination) Rules 1985 in the respect of Bank Deposits. Cour /minor's death the amount of Deposit, particulars whereof are |
| 15 NOMINATION: Applicable Only For Sole Proprietorship I/WE WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR I/WE DO NOT WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR I/WE DO NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR I/WE DO NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR I/WE DO NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR I/WE DO NOMINA | omination in My/OUR ACCOUNT is been explained to me/us. However I/we don't want to nominate any person in the account) comination) Rules 1985 in the respect of Bank Deposits. Cour /minor's death the amount of Deposit, particulars whereof are |
| 15 NOMINATION: Applicable Only For Sole Proprietorship I/WE WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR I/WE DO NOT WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR I/WE DO NOT WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR (The benefit of nomination facility has NOMINATION FORM (DA1) Nomination under Section 45Z of the Banking Regulation Act , 1949 and Rule 2(1) of Banking Companies (Nomination under Section 45Z of the Banking Regulation Act , 1949 and Rule 2(1) of Banking Companies (Nominate the following person to whom in the event of my given below, may be returned by Punjab National Bank DETAILS OF DEPOSIT: Type of Deposit: DETAILS OF THE NOMINEE | omination in My/OUR ACCOUNT is been explained to me/us. However I/we don't want to nominate any person in the account) comination) Rules 1985 in the respect of Bank Deposits. Cour /minor's death the amount of Deposit, particulars whereof are |
| 15 NOMINATION : Applicable Only For Sole Proprietorship I/WE WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR | MINATION IN MY/OUR ACCOUNT s been explained to me/us . However I/we don't want to nominate any person in the account) omination) Rules 1985 in the respect of Bank Deposits. /our /minor's death the amount of Deposit, particulars whereof are (Name and address of branch / office in which the deposit held). SERIAL NO. |
| 15 NOMINATION : Applicable Only For Sole Proprietorship I/WE WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR I/WE DO NOT WANT | MINATION IN MY/OUR ACCOUNT s been explained to me/us . However I/we don't want to nominate any person in the account) omination) Rules 1985 in the respect of Bank Deposits. /our /minor's death the amount of Deposit, particulars whereof are (Name and address of branch / office in which the deposit held). SERIAL NO. |
| 15 NOMINATION : Applicable Only For Sole Proprietorship I/WE WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR I/WE DO NOT WANT | MINATION IN MY/OUR ACCOUNT s been explained to me/us . However I/we don't want to nominate any person in the account) omination) Rules 1985 in the respect of Bank Deposits. /our /minor's death the amount of Deposit, particulars whereof are (Name and address of branch / office in which the deposit held). SERIAL NO. |
| 15 NOMINATION : Applicable Only For Sole Proprietorship I/WE WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR I/WE DO NOT WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR I/WE DO NOT WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR I/WE DO NOT WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR I/WE DO NOT WANT TO MAKE A NOMINE IN MY/OUR ACCOUNT OR I/WE DO NOT WANT TO | MINATION IN MY/OUR ACCOUNT s been explained to me/us . However I/we don't want to nominate any person in the account) omination) Rules 1985 in the respect of Bank Deposits. /our /minor's death the amount of Deposit, particulars whereof are (Name and address of branch / office in which the deposit held). AGE: DATE OF BIRTH OF NOMINEE: |
| 15 NOMINATION : Applicable Only For Sole Proprietorship I/WE WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR | MINATION IN MY/OUR ACCOUNT s been explained to me/us . However I/we don't want to nominate any person in the account) omination) Rules 1985 in the respect of Bank Deposits. /our /minor's death the amount of Deposit, particulars whereof are(Name and address of branch / office in which the deposit held). AGE: DATE OF BIRTH OF NOMINEE: STATE: CIF NO. OF NOMINEE: |
| 15 NOMINATION : Applicable Only For Sole Proprietorship I/WE WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR | MINATION IN MY/OUR ACCOUNT s been explained to me/us . However I/we don't want to nominate any person in the account) omination) Rules 1985 in the respect of Bank Deposits. /our /minor's death the amount of Deposit, particulars whereof are (Name and address of branch / office in which the deposit held). AGE: DATE OF BIRTH OF NOMINEE: STATE: CIF NO. OF NOMINEE: |
| 15 NOMINATION: Applicable Only For Sole Proprietorship I/WE WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR | MINATION IN MY/OUR ACCOUNT s been explained to me/us. However I/we don't want to nominate any person in the account) comination) Rules 1985 in the respect of Bank Deposits. //our /minor's death the amount of Deposit, particulars whereof are (Name and address of branch / office in which the deposit held). AGE: DATE OF BIRTH OF NOMINEE: CIF NO. OF NOMINEE: age years the minority of the nominee. |
| 15 NOMINATION : Applicable Only For Sole Proprietorship I/WE WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR | MINATION IN MY/OUR ACCOUNT is been explained to me/us. However I/we don't want to nominate any person in the account) omination) Rules 1985 in the respect of Bank Deposits. //our /minor's death the amount of Deposit, particulars whereof are (Name and address of branch / office in which the deposit held). AGE: DATE OF BIRTH OF NOMINEE: CIF NO. OF NOMINEE: age years the minority of the nominee. Signature / Thumb impression of the Applicant(s) |
| 15 NOMINATION: Applicable Only For Sole Proprietorship I/WE WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR | MINATION IN MY/OUR ACCOUNT is been explained to me/us. However I/we don't want to nominate any person in the account) omination) Rules 1985 in the respect of Bank Deposits. //our /minor's death the amount of Deposit, particulars whereof are (Name and address of branch / office in which the deposit held). AGE: DATE OF BIRTH OF NOMINEE: CIF NO. OF NOMINEE: age years the minority of the nominee. Signature / Thumb impression of the Applicant(s) |
| 15 NOMINATION: Applicable Only For Sole Proprietorship I/WE WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR | MINATION IN MY/OUR ACCOUNT is been explained to me/us. However I/we don't want to nominate any person in the account) omination) Rules 1985 in the respect of Bank Deposits. /our /minor's death the amount of Deposit, particulars whereof are (Name and address of branch / office in which the deposit held). AGE: DATE OF BIRTH OF NOMINEE: CIF NO. OF NOMINEE: CIF NO. OF NOMINEE: age |
| 15 NOMINATION: Applicable Only For Sole Proprietorship I/WE DO NOT WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR | MINATION IN MY/OUR ACCOUNT is been explained to me/us. However I/we don't want to nominate any person in the account) omination) Rules 1985 in the respect of Bank Deposits. /our /minor's death the amount of Deposit, particulars whereof are (Name and address of branch / office in which the deposit held). AGE: DATE OF BIRTH OF NOMINEE: CIF NO. OF NOMINEE: CIF NO. OF NOMINEE: age |

1. मैं/हम एततद्वारा घोषणा करता/करती हूं/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और इसमें परिवर्तन होने पर मैं आपको स्वित करने का वचन देता /देती हूं। यदि कोई जानकारी गलतु या झूठी या भ्रामक या मिथ्या प्रस्तुत की जाती है तो मैं/हम उसके लिए जिम्मेदार रहंगा/रहंगी/रहेंगे।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नियमों भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनसार मैं/हम प्रमाणित

कप्रांप प्रत्येत कर बाड़ के नियम मारताय रिजय कर के दिशानियश के जुसार महिम प्रमाणत करता/करती,करते हूं,हैं कि मैं/हम इकाई की ओर से हस्ताक्षर करने की क्षमता रखता/रखती,रखते हूं, हैं। मैं/हम प्रमाणित तथा घोषणा करता हूं, करती हूं/ करते हैं कि यह कंपनी नियम 2017 (श्रेणियों की संख्या पर प्रतिबंध) के उप नियम दो में निर्दिष्ट कंपनियों की श्रेणियों से संबंधित नहीं है और इसकी (कंपनी) दो श्रेणियों से अधिक अनुषंगियाँ नहीं है (कॉरपोरेंट कार्य मंत्रालय के दिनांक 21 सितंबर 2017 के राजपत्र की अधिसूचना

अधिक अनुषान्या नहा है (कारिपारट काव मंत्रात्य के प्रनाव 21 तिविष्य 2017 के विश्वास ने निवास के स्वास अधिक अनुसार में/ हम घोषणा करता/ करती हूं/ करते हैं कि मैंने/हमने पंजाब नैशनल बैंक के तथा बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं जिसमें डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, व्हाट्सएप्प बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग तथा अन्य सुविधाएं शामिल है से संबंधित नियमों एवं विनियमों को पढ़ लिया है। मैं हम उनका अनुपालन करने के लिए जुपदार शानते हैं से राजायता राजायता के तिया है। सहमति देता हूं/देते हैं, जो बैंक विनियामक सरकार द्वारा परिपन्न, अधिसूचनाओं, सूचनापट्ट, वेबसाहट/ समाचार पत्र प्रकाशन के जरिए समय-समय पर संशोधित की जाएगी। ऐसे संशोधनों के संबंध में व्यक्तिगत समाचार पत्र प्रकेंगशन के जिएए समय-समय पर संशोधित की जाएगी। ऐसे सैशोधनों के संबंध में व्यक्तिगत सूचना लेने के अधिकार को में /हम परित्याग करता/करती/ करते हुं, हैं मेरे हमारे खाते में मेरे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इंटरनेट, मोबाइल, टेली बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के माध्यम से मेरे/ हमारे यूजर आईडी तथा पासवर्ड/पिन/ ओटीपी द्वारा किए गए लेन-देन या अनुरोध मुझे/ हम पर विधिक रूप से बाध्य होंगे और ऐसे मामलों में प्राधिकृत करने के विवरण तथा किसी अन्य जानकारी/ विवरण /ओटीपी/ पिन आदि की गोपनीयता तथा विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मैं/ हम जिम्मेदार हुं/ है। में/ हम सहमत हुं/ है के कोई सेवा शुक्क, व्यय या अन्य देय राशि जिस पर बैंक का हक है या जिसकी वसूली मुझसे की जानी है, के लिए मेरे/ हमारे खाते को नामे करने का अधिकार बैंक को है। किसी नियम/ विनियमन या खाते के परिचालन संबंधी शर्तों के विचलन/ पालन न करने पर बिना सूचना के मेरे खाते को बंद करने /उसे जारी न रखने के लिए मैं/ हम बैंक को प्राधिकृत करता हूं/ करते हैं। मेरे पत्रावार के पते या संगठन में कोई परिवर्तन संशोधन होने पर में/ हम बैंक को इसकी सुचना देने के लिए वचन देता हूं/ देते हैं और एक शाखा से दूसरी शाखा में खाते का अंतरण करने पर मैं/ हम पते का प्रमाण दंगा/ देंगे।

का प्रमाण दूंगा/ देंग।
मैं/हम एतद्दवारा केंद्रीय सीकेवाईसी रिजस्ट्री से अपने केवाईसी रिकॉर्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी
सहमित केवल सीकेवाईसीआर रिजस्ट्री के डेटाबेस से मेरी पहचान और पते के सत्यापन के उद्देश्य के लिए
देता/ देती/देते हूँ/हैं। (मैं समझता/समझती हूं कि मेरे केवाईसी रिकॉर्ड में मेरा केवाईसी रिकॉर्ड/व्यक्तिगत
जानकारी जैसे मैरा नाम/पता, जन्मितिश, पैन नंबर आदि शामिल है।
आधार विवरण के आधार पर खोले गए खातों के संबंध में, मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता/ती हूं कि मैंने
पीएमएलए 2002 के तहत केवाईसी मानकों के अनुपालन में पहचान और/या पते के प्रमाण के लिए स्विच्छिक
रूप से यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड को जमा किया है तथा मैं एतद्द्वारा यह सहमित देता/ती हूँ कि
बैंक यूआईडीएआई से इसका सत्यापन कर सकता है और यूआईडीएआई को बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से बैंक को पहचान एवं पता जारी करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकत करता/करती हैं

नी पुनि और घोषणा करता/ती हूं कि मुझे किसी भी लागू कानून/विनियामक/सविदात्मक या अन्य प्रावधानों द्वारा खाता खोलने और/या खातों को बनाए रखने या किसी अन्य तरीके से बैंक के साथ लेनदेन करने हेतु

प्रतिबंधित/निषिद्ध/रोका/नहीं गया है।

प्रतिबंधित/निषिद्ध, रोका/नहीं गया है।

मैं मानता/ती हूं कि मेरे व्यक्तिगत केवाईसी विवरणों को केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के साथ साझा किया जा सकता है। मैं बैंक/केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री/भारत सरकार/ आरबीआई या अन्य किसी प्राधिकरण से मेरे पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ। मैं यह भी मानता/ती हूं कि ऐसे किसी भी एसएमएस/ई-मेल की गैर-प्राप्ति पर बैंक किसी भी तरह के नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

मैं एतद्दवारा प्रमाणित करता/ती हूँ कि मैंने अपनी स्थिति, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ.2155(ई) दिनांक:7 अगस्त 2015 द्वारा अधिसूचित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 8 5 बीए के तहत लागू नियमों तथा इस विषय में आरबीआई परिपत्र सन्दर्भ सं.डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.36/14.01.001/2015-16 दिनांक 28 अगस्त 2015 तथा इसके अनुवर्ती आशोधन संशोधनों के अनसार घोषित की है।

स.डाबाआर.ए५मएत.बातात.30) 14.01.00 1/2013-10 प्रियाचन 20 3.11 के 20 3.11 के 3.

एजेंसियों को विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के संबंध में अंतर-सरकारी समझौतों (आईजीए) के अनुसार दायित्वों का पालन करने के लिए और सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) और/या अन्य समान व्यवस्थाओं के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार मेरे खाते (खातों) के संबंध में विवरण दिया जा

सकेता है। 11. मैं/हम यह प्रमाणित और घोषित करता/ती हूँ कि मेरे द्वारा खाता खोलने के लिए तथा इसके अंतर्गत या वेबसाइट/इलेक्ट्रॉनिक रूप से अन्य सेवा प्राप्त करने के लिए, जो मुझ पर लागू हो, का लाभ उठाने के लिए, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित/प्रमाणित रूप में उपलब्ध कराए गए दस्तावेजी साक्ष्य, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं, मैंने/ह्मूने ऐसी किसी भी महत्वपूर्ण जानका्री को छुपाया नहीं है जो मेरे खाते के मूल्यांकन/वर्गींकरण को यू.एसं. रिपोर्टिंग खाते या अन्य रिपोर्टिंग योग्य खाते के रूप में या अन्यथा प्रभावित कर सकती है। यदि किसी भी मामले में मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी या विवरण गलत या असत्य या भ्रामक या

सकता है। यदि किसी भा मामल में मेर द्वारी प्रदान को गई जानकीरी यो विवरण गलत यो असेव यो प्रामिक या मिथ्या पाए जाते हैं, तो मुझे, हमें पता है कि मुझे, हमें इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। 12. यहां दी गई जानकारी में/या अन्यथा, कोई भी परिवर्तन होने पर, साथ ही मेरे द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य में हो सकता है या यदि कोई प्रमाणीकरण गवत हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है. तो में, तुरंत और किसी भी स्थिति में परिवर्तन की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसे पोलित तथा प्रकट करने की जिम्मेंदारी लता/ती हूं। इसके साथ ही, में आवश्यकता पड़ने पूर, दस्तावेजी साक्ष्य के साथ नवीनतम और वैध स्व-प्रमाणन प्रदान करने का वचन देता/ती हूँ, हालांकि, यहाँ की गई सभी घोषणाएँ और वचन मेरे द्वारा दिए गए ऐसे सभी आशोधित, संशोधित दस्तावेज़ों/सूचनाओं पर लागू होंगे जब तक उपरोक्तानुसार संशोधित स्व-प्रमाणन बैंक को

प्रदान नहीं किए जाते।

13. मैं,हम यह भी मानता,ती,मानते हूं,/हैं कि मेरी जानकारी में अभी या भविष्य में किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य/जानकारी का खुलासा करने में मेरी असफलता या दस्तावेजों,सूचना/अन्य विवरणों में किसी भी कमी को तथ्य/जानकारा का खुलासां करन म मरा असफलता या दस्तावजा/सूचना/अन्य ।ववरणा म ।कसा मा कमा का निर्धारित अवधि में दूर करने में मेरी असफलता, मुझे खाते में लेन देन करने हेतू अमान्य घोषित कर सकती है और बैंक को मेरे खाते के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने या इसे बंद करने या किसी भी विनियामक और/या भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किसी भी प्राधिकरण को रिपोर्ट करने का अधिकार होगा, या बैंक सीबीडीटी/आरबीआई/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के तहत जैसा भी उचित होगा, कोई अन्य कार्यवाही कर सकता है। 14. मैं/हम, भारत या विदेश में खाते के परिचालन या रखरखाव से संबंधित किसी भी कानून में किसी भी बदलाव के

कारण मुझसे/हमसे मांगी जाने वाली किसी अन्य जानकारी बैंक को प्रस्तुत और सुचित करने के लिए भी सहमत

हूं/हैं। 15. मैं बैंक को किसी भी प्रकार की हानि/क्षति की क्षतिपूर्ति क्रूरूगा/गी, जो बैंक को मेरे द्वारा प्रदान किए गए विवरणों में -किसी भी त्रुटि,गलती के कारण या गलत या अपूर्ण सूचना प्रदान करने के कारण हो सकती है। 16. मैं केवाईसी विवरणों के अपडेशन के लिए समय-समय पर बैंक द्वारा वांछित नए केवाईसी दस्तावेजों के साथ

16. में कविहिसा ।ववरणा के अपडशन के ।वार समय-समय पर बेफ द्वारा पाछित गर कपाइता प्रतापजा के ताय इंटा/सूचना प्रस्तुत करने का वचन देता/ती हूँ। 17. में समझता/ती ते हैं/हूँ कि बैंक द्वारा केवाईसी से संबंधित ग्राहक की समुचित जांच' प्रक्रिया पूरा करने के बाद ही खाता सक्रिय होगा तथा डेबिट की अनुमति दी जाएगी। 18. मुझे खोले जाने वाले खाते के लिए ऑस्त तिमाही शेष (क्यूएबी) रखने की अपेक्षा के विषय में अवगत कराया

गया है और यह समझाया गया है कि ये अपेक्षाएं संशोधन/परिवर्तन के अधीन हैं और इस तरह के

गंया है और यह समझाया गया है कि ये अपेक्षाएं संशोधन/परिवर्तन के अधीन हैं और इस तरह के संशोधन/परिवर्तन बैंक की साइट पर अपलोड किए जाएंगे जो मुझे इस बारे में सूचना के रूप में स्वीजायों होंगे।

19. मैं/हम खाता खोलने के छ: माह के भीतर (यदि खाता आधार/पैन के बिना खोला गया हो) आधार और/अथवा पैन प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूँ/देते हैं. ऐसा न करने पर भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, धनशोधन निवारण (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम 2005 के अनुसार, मेरे खाते में परिचालन बंद कर दिया जाएगा।

20. यदि खाता खोलने के समय वर्तमान पते के लिए मान्य आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) जमा किए गए हैं, तो में आधार या ओवीडी में से कोई भी दस्तावेज जिसमें वर्तमान पता है, खाता खोलने की तिथि से 3 महीने के भीतर प्रस्तुत करने का वचन देता/ती हूं जिसमें विफल होने पर में समझता/ती हूं कि मेरे खाते का परिचालन सम्बद्ध समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बंद हो सकता है।

21. मैं पृष्टि करता/ती हूँ और वचन देता हूँ कि मैं चर्चुअल करेंसी में लेन-देन नहीं करूँ-गा/कर्यों या वर्चुअल करेंसी के लेन-देन या नियान में कि मी व्यक्ति या मंख्या की मदद नहीं करूँ-गा/कर्यों या वर्चुअल करेंसी की लेन-देन या नियान में किमी व्यक्ति या मंख्या की मदद नहीं करूँ-गा/कर्यों पा वर्चुअल करेंसी की लेन-देन या नियान में किमी व्यक्ति या मंख्या की मदद नहीं करूँ-गा/कर्यों में किमी वर्ची का लिए नहीं करूँ-गा/कर्यों में किमी वर्ची कर साम कर साम के किमी स्वार्त के स्वार्त कर साम कर साम कर साम के साम कर साम कर साम की साम कर

निपटान में किसी व्यक्ति या संस्था की मदद नहीं करूँ गा/गी।

22. मैं/हुम स्बंधित खाता योजना में निर्धारित एमएबी (औसत मासिक शेष) रखने का वचन देता हूं तथा औसत

22. में हम जायार खाता चालाम ने नियारत एमें एका लिस मासिक येथे रखन की पंचन देता हूं तथा जासत मासिक शेष न रखने पर दंडात्मक शुल्क अदा करने के लिए सहमत हूं। 23. मैं/हम समझते हैं कि ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर का पंजीकरण बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मेरे/हमारे द्वारा ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर के सफल सत्यापन के अधीन है, मैं/हम ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर से जुड़े उत्पाद/सेवाओं का उपयोग मेरे/हमारे द्वारा सफल सत्यापन के पश्चात ही कर पाएंगे।

| सीआईएफ सं. | | | खाता संख्या | | | | |
|--|--------------------------------|--------|--|-----------------|------------|---|-------------|
| परिचालन का तरीका ـ | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| कृपया य | यहाँ फोटो | | कृपया यहाँ फोटो | | | कृपया यहाँ फोटो | |
| चिप | नका एं | | चिपकाएं | | | चिपकाएं | |
| हस्ताक्ष | ारकर्ता 1 | | हस्ताक्षरकर्ता 2 | | | हस्ताक्षरकर्ता उ | |
| | | | | | | | |
| अधिकृत इस्ताश्यकर्ता। क | | अधिकृत | हस्ताक्षरकर्ता2 का हस्ताक्षर (ओवरर | तैप न करें। | . अधिकृत द | | प्र च करें) |
| जावकुरत हरसाद्वारकरता कर | T gettilight (Sillatera a ave) | 7 - | हरताद्वारकरताठ कर्म हरताद्वार (जाकरर | 111 1 470) | जावकृत ह | रसाद्वारकराम् कर हस्साद्वार (जाकरर | 14 11 474) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| नामः | | नामः | | | नामः | | |
| पद: | | पदः | | | पदः | | |
| तिथि: | | तिथि: | | | तिथिः | | |
| सत्यापनकर्ता अधिकारी क हस्ताक्षर, मुहर एवं जीबीपी | | | कर्ता अधिकारी का नाम, , मुहर एवं जीबीपीए/पीएफ सं. | | | र्जा अधिकारी का नाम, मुहर एवं जीबीपीए/पीएफ सं. | |

APPLICANT DECLARATION

- I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of
 my/our knowledge and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein,
 immediately. In case any of the information is found to be false or untrue or misleading or
 misrepresenting, I/we am/are aware that I/we may be held liable for it.
- I/We certify that I/we have the capacity to sign for the entity as per the CBDT rules/RBI guidelines.
- I/We certify and declare that The Company does belong to the class of companies specified
 in sub-rule (2) of the Companies Rules 2017 (Restrictions on number of Layers) and it
 (Company) does not have more than two layers of subsidiaries. (As per the details given in
 Ministry of Corporate Affairs, Gazette notification No. 793 dated 21st Sept 2017.
- 4. I/We affirm and declare that I/We have read over and understood the rules and regulations of the Punjab National Bank ("Bank") and those relating to various services offered by the Bank including but not limiting to debit card/internet banking/ Mobile Banking/ whatsapp Banking/Virtual Banking and any other facilities. I / We agree to abide by the same as amended/modified from time to time by the Bank/Regulator/ Government published through circulars, notifications, notice board/ websites/ newspaper publications, etc. I/We waive the rights, if any, to have personal notice in respect of such amendments/ modifications. I/We agree that the transactions and requests executed in my/our account(s) by me / authorized person through internet, mobile, telebanking or virtual banking under my/our User ID and password/PINI/OTP will be legally binding on me/us & I/We am/are responsible for the maintenance of secrecy and confidentiality of the authentication credentials and any other information/ details / OTP / PIN etc., in such matters. I/We agree that Bank has got all the rights to debit my/our account for any scheme guidelines and service charge, expenses or other dues which the Bank is entitled/ liable to recover from me/us. I/We also authorize the Bank and agree to close/discontinue my account without any notice to me in case of any violation of laws/rules/ regulations or terms and conditions of maintaining the account. I/We hereby undertake to inform the Bank on any change in my communication address or constitution, and I/We shall submit the address proof in case of transfer of my account from one branch to another branch.
- 5 I/We hereby, give my consent to download my KYC Records from the Central KYC Registry (CKYCR), only for the purpose of verification of my identity and address from the database of CKYCR Registry. I understand that my KYC record include my KYC record/personal information such as my name/address, date of birth, PAN no. etc.
- 6. In respect of accounts opened on the basis of Aadhaar details, I hereby declare that I have submitted the Aadhaar Card issued by UIDAI for identification and / or address proof towards the compliance of KYC norms under the PMLA, 2002 and I hereby agree that the Bank may verify the same with UIDAI and authorise the UIDAI expressly to release the identity and address through biometric authentication to the Bank.
- I/We confirm and declare that I/We am/are not prevented/prohibited/restricted by any
 applicable legal/regulatory/contractual or other provisions from opening and/or
 maintaining the accounts or to transact with the Bank in any other way.
- 8. I/Weagreethatmy/ourpersonal KYC details may be shared with Central KYC registry or any other competent authority. I/We hereby consent to receive information from the Bank/Central KYC Registry/Gol/RBI or any other authority through SMS/e-mail on my registered mobile number/ e-mail address. I/We also agree that the non-receipt of any such SMS/e-mail shall not make the Bank liable for any loss or damage whatsoever in nature.
- I/We hereby certify that I/We have declared my status as per the rules applicable under section 285BA of the Income Tax Act, 1961 as notified by Central Board of Direct Taxes (CBDT) vide Notification No. S.O. 2155(E) dated 7 August 2015 and RBI Circular Ref No. DBR.AML.BC.No.36/14.01.001/2015-16 dated 28 August 2015 in the matter including any subsequent modification/amendment thereof.
- 10. I/We understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of Income Tax Act, Rules made thereunder and the guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in respect of my/our account(s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as per the Inter- Governmental Agreements (IGA) in respect of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) and / or any other similar arrangements.

- 11. I/We certify & declare that the information provided by me/us for opening account and availing other services herein or through website/electronically as applicable to me/us and signed/authenticated by me/us as well as in the documentary evidence provided by me/us for opening account and availing other services are, to the best of my/our knowledge and belief, true, correct and complete and that I/We have not withheld any material information that may affect the assessment/categorization of my/our account as a U.S. Reportable Account or Other Reportable Account or otherwise. In case any of the information or details provided by me/us is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/We am/are aware that I/We may be held liable for it.
- 12. I/We undertake the responsibility to declare and disclose immediately and in no case beyond 30 days from the date of change, any changes that may take place in the information provided herein/or otherwise, as well as in the documentary evidence provided by me or if any certification becomes incorrect or undergoes a change. I further undertake to provide fresh and valid self-certification along with documentary evidence as and when so required; nevertheless all declaration and undertaking given herein will also be applicable to all such modified/amended documents/information provided by me unless revised self-certification as above is provided to the Bank.
- 13. I/We also agree that my/our failure to disclose any material fact/information known to me/us now or in future or my/our failure to remedy any deficiency in documents/ information/other details within the stipulated period, may invalidate me/us from transacting in the account and the Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or to close it or to report to any regulator and/or any authority designated by the Government of India (Gol)/RBI for the said purpose or take any other action as may be deemed appropriate by the Bank under the guidelines issued by CBDT/RBI/Golfromtimeto time.
- 14. I/We also agree to furnish and intimate to the Bank any other particulars that are called upon me/us to provide on account of any change in law either in India or abroad in relating to the operation or maintenance of the account.
- 15. I/We shall indemnify the Bank from any loss/damage that may be caused to the Bank on account of any defect/mistake in the details provided herein or on account of providing incorrect or incomplete information by me/us.
- 16. I/We undertake to submit data/information together with fresh KYC documents for updation of KYC details at periodical intervals as may be required by the Bank.
- 17. I/We understand that the account will be activated and debits will be allowed only after completion of Customer Due Diligence relating to KYC by the Bank.
- 18. I/We have been advised of Quarterly average/minimum balance requirement for the account to be opened and given to understand that these requirements are subject to revision/change and such revision/changes will be uploaded in the Bank's site which will be acceptable to me as a notice to that effect.
- 19. I/We Undertake to submit Aadhaar and / or PAN within 6 months from the date of opening of account, failing to which I understand my account will cease to be operational as per GOI guidelines, amending Prevention of Money laundering (Maintenance of Records) Rules 2005. (In case the account is opened without Aadhaar / PAN)
- 20. In case, deemed OVDs are submitted for current address at the time of Account opening, I undertake to submit Aadhaar or any of the OVD having Current Address within 3 months from the date of account opening, failing to which I understand that my account may cease to be operational as per GOI quidelines at the material time.
- 21. I confirm and undertake that I will not deal in Virtual Currencies and will not use my account for any services related Virtual Currencies or facilitate any person or entity, in dealing with or settling virtual currencies.
- 22. I/we undertake to keep QAB/MAB (Quaterly/Monthly Average Balance) in the account as prescribed under the respective account scheme and agree to pay the penalty if QAB/MAB is not maintained.
- 23. I/we understand that registration of email ID and Mobile no. are subject to successful validation of email ID & mobile number by me/us as per process prescribed by the bank, I/we will be able to use the product/services linked with email Id & mobile number only after successful validation by me/us.

| | ilar arrangements. | a Common Reporting |) Standards (CR: | and/orany | | | | | |
|-----------|---|--------------------|------------------|--|-------------|------|---|---------------------|--------------|
| CIF NO. | | | | A/C NO. | | | | | |
| MODE OF C | OPERATION | | | | | | | | - |
| | Please Paste | | | Please Paste | | | Ple | ase Paste | |
| | Photograph | | | Photograph | | | Ph | otograph | |
| | Here | | | Here | | | | Here | |
| | Signatory 1 | | | Signatory 2 | | | Sig | gnatory 3 | |
| | | | | | | | | | |
| L | | | | |] | | | | |
| Signature | of Authorized Signatory 1 (Do | not overlap) | Signature | of Authorized Signatory 2 (Do no | ot overlap) | Sign | ature of Authorize | d Signatory 3 (Do r | not overlap) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Name: | | | Name: | | | Nam | ne: | | |
| Designati | ion: | | Designat | ion: | | Des | ignation: | | |
| Date: | Date: | | Date: | | Date | e: | | | |
| | lame, Signature, Seal and BPA/PF No. of verifying official | | | gnature, Seal and No. of verifying official | | | ne, Signature, Seal PA/PF No. of verifyi | | |

| आवेदक से बातचीत की और प्रयोजन अभिनि उत्था गाउँक दूसर प्रयुव किए गाउँ रव-गाउँगाउँ | the fra my (miles ex exist exis | | |
|--|--|--|---|
| 2.क्या ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्व-प्रमाणपत्र (ध्यान रहे प्रमाणपत्र के सामने 'हाँ' होने पर ही व | त्र तथा दस्तावेजों को सत्यापित किया जा चुका है अ | ौर उन्हें सही एवं विश्वसनीय पाया गया है? | हाँ नहीं |
| उ.प्राप्त दस्तावेजः स्वतः प्रमाणि | गेत सत्यापित प्रतियां नोटरी | 4 . जोखिम संवर्ग/श्रेणी उच्च | मध्यम निम्न |
| 5.व्यक्तिगत रूप से सत्यापित किया गया और आवे | च्चेदक का हस्ताक्षर सत्यापित किया गया : पहचान व | ्रा हा सत्यापन किया गया | गई |
| | दिए गए स्वाधिकारी इकाई की गतिविधि का सत्या | | नही |
| | | | |
| अधिकारी का नाम | पीएफ नंबर | पदनाम | |
| दिनांक : | जीबीपीए नंबर | हस्ताक्षरः | |
| खोली गई सीआईएफ | | लेनदेन सं. | संक्षिप्त हस्ताक्षर |
| दिनांक | (अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर) | सीआईएफ | Ving it grings |
| गता खोलें | | | |
| ााखा प्रबंधक/अधिकृत अधिकारी (हस्ताक्षर) | | | |
| वाता खोलने की तारीख : | खाता नंबर : | | |
| दि कोई टिप्पणी करनी है तो | | | |
| मेकर (एसडब्ल्यूओ/अधिकारी) | | अधिकृत अधिकारी (हस्ताक्षर) | |
| नाम : | | नाम : | |
| कर्मचारी/ अधिकारी का नाम : | | कर्मचारी/ अधिकारी का नाम : | |
| जीबीपीए नंबर/पीएफ संख्या : | | | |
| | | | |
| कर्मचारी/ अधिकारी का पदनाम : | | | |
| कर्मचारी/ अधिकारी की शाखा : | | कर्मचारी/ अधिकारी की शाखा : | |
| वाता बंद करने की तिथि | खाता दिनांक | ्राखा | को अंतरित (ट्रांसफर) किया गया |
| अधिकृत अधिकारी (हस्ताक्षर) | | | |
| ग्रालू खाते के नियम | | | |
| ्यति गारक टाग वेक्सिक रीवलो में राज खावा गरी छ | ग्रेला जाता है तो बैंक खाते में राशि जमा करने के लिए ना चाहिए। काउंटरफॉइल सहित जमा पर्ची बक फॉर्म | चाहिए। | ा खाते में जमा होने तक उनके प्रति आहरण नहीं किया जाना ो वसूली हेतु बैंक के पास देय तिथि से कम से कम एक कार्य |
| याद ग्रहिक द्वारा क्कार्यक मन्त्री से चालू खाता नहां खु ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित जमा पर्ची का उपयोग किया जा- में ग्राहक को उपलब्ध कराई जाएगी और किए गए लेनर कर्मचारी के आद्याक्षर द्वारा अधिप्रमाणित द्वारा किया जाए ऐसे प्रमाणित किया गया है। चेक बैंक के मुद्रित फॉर्म में ही आहरित किया जाए। इसस् द्वारा रोका जा सकता है। चेक पर किसी भी प्रकार के संश् बशर्ते कि उसे आहरणकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर से अधिप्रम दिया जाए कि उसमें संशोधन के लिए कोई गुंजाइश न हो गए नमूना हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। बिना पूर्व व्यवस्था किए ग्राहक को अपने खाता में अधिक क्यों ना हो। चालू खाते में ओवरड्राप्ट की सुविधा वर्तमान द्वारा निर्धारित दरों पर ब्याज लगाया जाएगा। बैंक वेक खोने, चोरी होने आदि के संबंध में आहरणकर्ता होने पर ऐसे मामलों के गुंत होने पर ऐसे मामलों में नुकसान के प्रति जमाकर्ताओं को? बैंक ग्राहक के बिल, ड्राफ्ट, चेक, पेंशन, पे और बिल आहि शाखाओं में देय चेक, ड्राफ्ट, लाभाश वारंट आदि के संबंध स्थानीय चेक आदि की वसूली सीटीएस समाशोधन के मां | देन की प्रविष्टि को काउंटरफ़िह्ल में बैंक के अधिकृत एगा। जमाकर्ता को स्वयं पुष्टि करनी चाहिए कि लेनदेन में भिन्न रूप से आहरित किसी भी चेक का भुगतान बैंक ग्रोधन की स्थिति में बैंक उसका भुगतान रोक सकता है गाणित किया गया है। चेक के आहरण के समय ध्यान तथा उस पर किए गए हस्ताक्षर बैंक के रिकॉर्ड में रखे आहरण नहीं करना चाहिए, भले ही कितनी कम राशि । अनुदेशों के अनुसार दी जाती है। दैनिक शेष पर बैंक के अनुदेश को दर्ज करेगा लेकिन ऐसे चेक का भुगतान गारंटी नहीं दे सकता है। दे की वसुली करता है। व्यक्तिगत खातों में, बैंक बाहरी । में निर्विष्ट सीमा तक तत्काल क्रेडिट प्रदान करता है। | दिवस पूर्व प्रसंतुत किया जाना चाहिए। 9. आवधिक अंतरालों पर धन प्रेषण आदि के लिए बैं 10. आवधिक अंतरालों पर धन प्रेषण आदि के लिए बैं 10. आवधिक अंतरालों पर ग्राहकों को खाते की विव- हो सकती है। खातों की प्रविष्टियों की ग्राहक द्वार भूलचूक पाई गई है तो उसे तुरंत बैंक को सूचित नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। 11. ग्राहक के पते में कोई परिवर्तन होने पर तुरंत बैं पत्राचार और जमा पर्ची आदि पर ग्राहकों को स् उल्लेख करना चाहिए। 12. ग्राहक के आवेदन पर बैंक की किसी अन्य शाखा 13. बैंक प्रतिभृतियों और श्रीयरों को सुरक्षित अभिरह स्वीकार करता है जिसकी जानकारी आवेदन पर | 11 और ब्याज, लाभांश आदि की वसूली के लिए उन शतों पर |
| ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित जमा पर्ची का उपयोग किया जा; में ग्राहक को उपलब्ध कराई जाएगी और किए गए लेन कर्मचारी के आद्याक्षर द्वारा अधिप्रमाणित द्वारा किया जाए ऐसे प्रमाणित किया गया है। चेक बैंक के मुद्रित फॉर्म में ही आहरित किया जाए। इसस् द्वारा रोका जा सकता है। चेक पर किसी भी प्रकार के संश् बशर्ते कि उसे आहरणकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर से अधिप्रम दिया जाए कि उसमें संशोधन के लिए कोई गुंजाइश न हो गए नमूना हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। बिना पूर्व व्यवस्था किए ग्राहक को अपने खाता में अधिक क्यों न हो। चाल् खाते में ओवर ड्राफ्ट की सुविधा वर्तमान द्वारा निर्धारित दरों पर ब्याज लगाया जाएगा। बैंक वेक खोने, चोरी होने आदि के संबंध में आहरणकर्ता होने पर ऐसे मामलों में कुक सान के प्रति जमाकर्ताओं को ग बैंक ग्राहक के बिल, ड्राफ्ट, चेक, रोंगन, ये और बिल आहि | देन की प्रविष्टि को काउंटरफ़िह्ल में बैंक के अधिकृत एगा। जमाकर्ता को स्वयं पुष्टि करनी चाहिए कि लेनदेन में भिन्न रूप से आहरित किसी भी चेक का भुगतान बैंक ग्रोधन की स्थिति में बैंक उसका भुगतान रोक सकता है गाणित किया गया है। चेक के आहरण के समय ध्यान तथा उस पर किए गए हस्ताक्षर बैंक के रिकॉर्ड में रखे आहरण नहीं करना चाहिए, भले ही कितनी कम राशि । अनुदेशों के अनुसार दी जाती है। दैनिक शेष पर बैंक के अनुदेश को दर्ज करेगा लेकिन ऐसे चेक का भुगतान गारंटी नहीं दे सकता है। दे की वसुली करता है। व्यक्तिगत खातों में, बैंक बाहरी । में निर्विष्ट सीमा तक तत्काल क्रेडिट प्रदान करता है। | दिवस पूर्व प्रसंतुत किया जाना चाहिए। 9. आवधिक अंतरालों पर धन प्रेषण आदि के लिए बैं 10. आवधिक अंतरालों पर धन प्रेषण आदि के लिए बैं 10. आवधिक अंतरालों पर ग्राहकों को खाते की विव- हो सकती है। खातों की प्रविष्टियों की ग्राहक द्वार भूलचूक पाई गई है तो उसे तुरंत बैंक को सूचित नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। 11. ग्राहक के पते में कोई परिवर्तन होने पर तुरंत बैं पत्राचार और जमा पर्ची आदि पर ग्राहकों को स् उल्लेख करना चाहिए। 12. ग्राहक के आवेदन पर बैंक की किसी अन्य शाखा 13. बैंक प्रतिभृतियों और श्रीयरों को सुरक्षित अभिरह स्वीकार करता है जिसकी जानकारी आवेदन पर | सावधानापुवक जांच का जाना चाहिए, आर याद काई त्रुटिया करना चाहिए। यह सावधानी न बरतने से होने वाले किसी भी ंक को सूचित किया जाना चाहिए। बैंक के साथ उनके सभी गाता खोलने के समय आवंटित खाता संख्या का स्पष्ट रूप से में खाते को अंतरित किया जा सकेगा जा और ब्याज, लाभांश आदि की वसूली के लिए उन शर्तों पर हो सकती है। |
| ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित जमा पर्ची का उपयोग किया जा; में ग्राहक को उपलब्ध कराई जाएगी और किए गए लेन कर्मचारी के आद्याक्षर द्वारा अधिप्रमाणित द्वारा किया जाए ऐसे प्रमाणित किया गया है। चेक बैंक के मुद्रित फॉर्म में ही आहरित किया जाए। इससे द्वारा रोका जा सकता है। चेक पर किसी भी प्रकार के संश् बशर्ते कि उसे आहरणकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर से अधिप्रम दिया जाए कि उसमें संशोधन के लिए कोई गुंजाइश न हो गए नमूना हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। बिना पूर्व व्यवस्था किए ग्राहक को अपने खाता में अधिक क्यों न हो। चाल् खाते में ओवर ड्राफ्ट की सुविधा वर्तमान द्वारा निर्धारित दरों पर ब्याज लगाया जाएगा। बैंक वेक खोने, चोरी होने आदि के संबंध में आहरणकर्ता होने पर ऐसे मामलों में कुक सान के प्रति जमाकर्ताओं को ग बैंक ग्राहक के बिल, ड्राफ्ट, चेक, रोंशन, ये और बिल आहि | देन की प्रविष्टि को काउंटरफ़ाइल में बैंक के अधिकृत एगा। जमाकर्ता को स्वयं पुष्टि करनी चाहिए कि लेनदेन हो भिन्न रूप से आहरित किसी भी चेक का भुगतान बैंक ग्रोधन की स्थिति में बैंक उसका भुगतान रोक सकता है नाणित किया गया है। चेक के आहरण के समय ध्यान (तथा उस पर किए गए हस्ताक्षर बैंक के रिकॉर्ड में रखे (आहरण नहीं करना चाहिए, भले ही कितनी कम राशि (अनुदेशों के अनुसार दी जाती है। दैनिक शेष पर बैंक के अनुदेश को दर्ज करेगा लेकिन ऐसे चेक का भुगतान गारंटी नहीं दे सकता है। दे की वसूली करता है। व्यक्तिगत खातों में, बैंक बाहरी । में निर्देष्ट सीमा तक तत्काल क्रेडिट प्रदान करता है। ध्यम से की जाएगी। | दिवस पूर्व प्रसंतुत किया जाना चाहिए। 9. आवधिक अंतरालों पर धन प्रेषण आदि के लिए बैं 10. आवधिक अंतरालों पर धन प्रेषण आदि के लिए बैं 10. आवधिक अंतरालों पर ग्राहकों को खाते की विव- हो सकती है। खातों की प्रविष्टियों की ग्राहक द्वार भूलचूक पाई गई है तो उसे तुरंत बैंक को सूचित नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। 11. ग्राहक के पते में कोई परिवर्तन होने पर तुरंत बैं पत्राचार और जमा पर्ची आदि पर ग्राहकों को स् उल्लेख करना चाहिए। 12. ग्राहक के आवेदन पर बैंक की किसी अन्य शाखा 13. बैंक प्रतिभृतियों और श्रीयरों को सुरक्षित अभिरह स्वीकार करता है जिसकी जानकारी आवेदन पर | सावधानापुवक जांच का जाना चाहिए, आर याद काई त्रुटिया करना चाहिए। यह सावधानी न बरतने से होने वाले किसी भी ंक को सूचित किया जाना चाहिए। बैंक के साथ उनके सभी गाता खोलने के समय आवंटित खाता संख्या का स्पष्ट रूप से में खाते को अंतरित किया जा सकेगा जा और ब्याज, लाभांश आदि की वसूली के लिए उन शर्तों पर हो सकती है। |

| FOR OFFICE | USE ONLY |
|---|---|
| 1. APPLICANT(S) INTERVIEWED AND PURPOSE ASCERTAINED (SPECIFY THE PURPOSE): | |
| 2. WHETHER SELF - CERTIFICATION & DOCUMENTS SUBMITTED BY THE CUSTOMERS HAVE BEEN V (CARE: BRANCH TO PROCEED WITH OPENING OF ACCOUNT ONLY WHEN THIS CERTIFICATION | |
| 3. DOCUMENTS RECEIVED : SELF CERTIFIED TRUE COPIES NOTARY | 4. RISK CATEGORY : HIGH MEDIUM LOW |
| 5. IN PERSON VERIFICATION CARRIED OUT AND SIGNATURE OF THE APPLICANT VERIFIED BY : IDEN | ITITY VERIFICATION: DONE |
| 6. AUTHORISED OFFICIAL HAS VERIFIED THE ACTIVITY OF PROPRIETARY CONCERN AT THE ADDRESS N | MENTION IN ACCOUNT OPENING FORM: YES NO |
| OFFICIAL NAME: PF NO.: | DESIGNATION : |
| DATE : GBPA NO | SIGNATURE : |
| OPEN CIF | TRANSACTION NO. INITIALS |
| DATE: (AUTHORISED SIGNATORY) | CIF: |
| OPEN THE ACCOUNT | |
| BRANCH MANAGER / AUTHORISED OFFICIAL (SIGNATURE) | |
| ACCOUNT OPENED ON: ACCOUNT NUMBER: | |
| REMARKS (IF ANY) : | |
| MAKER (SWO/OFFICER) | AUTHORIZED OFFICER (SIGNATURE) |
| NAME : | NAME: |
| EMP./OFFICIAL NAME : | EMP./OFFICIAL NAME: |
| GBPA No./ P.F No.: | GBPA No./ P.F No.: |
| EMP./OFF. DESIGNATION: | EMP./OFF. DESIGNATION: |
| EMP./OFF. BRANCH: | EMP./OFF. BRANCH: |

AUTHORISED OFFICIAL (SIGNATURE)

ACCOUNT CLOSED ON:

CURRENT ACCOUNT RULES

- Whenever the customer does not use alternate channels for opening the Current Account, payments to credit of an account with the Bank should ordinarily be accompanied by a payin slip duly signed by the constituent. Slips with counterfoils will be supplied in book form and the entry of the transactions made in the counterfoil will be authenticated by the initials of an authorised employee of the Bank. The depositor should satisfy himself that the transaction is so certified.
- Cheques must be drawn on the Bank's printed forms. The Bank reserves its right to refuse payment of any cheque drawn otherwise. The bank reserves the right to refuse payment of cheques that have been altered in any way unless the alternation is authenticated by the drawer under full signature. Cheques should be drawn in such a way as to prevent alteration after issue, and the signature should be uniform with that on record at the Bank.
- Constituents should not overdraw their accounts, even for small amounts without having made previous arrangements. Overdraft are granted in current accounts on terms as per extant instructions. Interest will be charged at the rates stipulated by the Bank and calculated upon the daily balances.
- The Bank will register instructions from the drawer regarding cheques lost, stolen, etc. but cannot guarantee depositors against loss in such cases in the event of such a cheque being paid.
- The bank collects bills, drafts, cheques, pay and pension bills, etc. on behalf of constituents. In personal accounts, the Bank offers up to a specified limit immediate credit in respect of cheques, drafts, dividend warrants, etc., payable at outstation branches.

- Local cheques, etc. will be cleared under CTS Clearing Cheques, bills, etc. sent in for collection and credit of an account must not be drawn against 7.

BRANCH ON

- 8.
- Cheques, bills, etc. sent in for collection and credit of an account mustiness and until they have been realised.

 Bills, notes, etc. not payable on demand, intended for realisation by the Bank, should be sent at least one clear day before due date.

 The Bank accepts standing instructions on accounts for making periodic remittances, etc. Statements of accounts will be sent to constituents periodically and can be obtained at any time on application. The entries of accounts should be carefully examined by the constituent, and, if any errors or omissions are discovered, the attention of the Bank must be drawn to them immediately. The Bank will not be responsible for any loss arising from nealect of this precaution.
- Any change in the address of the constituent must be promptly advised to the Bank. In all their correspondence with the Bank and on pay-in slips etc. constituents should clearly mention the account number allotted at the time of opening of the account.
- Accounts may be transferred at the request of the constituents to any other office of the
- 13. The Bank accepts securities and shares for safe custody and realisation of interest, $dividends, etc. \, on \, terms \, which \, may \, be \, had \, on \, application.$
- 14. The Bank reserves the right to alter/add to/delete any of these rules at any time.

INDUSTRY CODES

- 01. AIRLINES / AVIATION
- 02. ADVERTISING AGENCY
- 03. AGRICULTURE / ALLIED INDUSTRIES
- 05. AUTOPARTS
- 06. AUTO FINANCE
- 07 ARMS DEALER
- 08. BANKING / FINANCIAL SERVICES
- 09. ENGINEERING / CAPITAL GOODS
- 10. FERTILIZERS / CHEMICALS / SEEDS /
- 11. PESTICIDES
- 12. FISHERIES / POULTRY
- 13. GEMS / JEWELLERY
- 14. CALL CENTERS / BPO

- 15. CASINOS
- 16. CEMENTS / PAINTS
- 17. CHIT FUNDS
- 18. CONSUMER DURABLES
- 19. COURIER / CARGO
- 20. CONSTRUCTION / REAL ESTATE

ACCOUNT TRANSFERRED TO

- 21. CONSULTANCY
- 22. ELECTRONICS
- 23. FURNITURE / TIMBER
- 24. GOVERNMENT BODIES
- 25. HOTELS / RESTAURANTS 26. HOSPITALS / CLINICS / NURSING HOME
- 27. INFRASTRUCTURE
- 28. INSURANCE

- 29. IMPORT / EXPORT
- 30. MANUFACTURING
- 31. MONEY LENDER
- 32. MEDIA / ENTERTAINMENT
- 33. MEDICAL / HEALTHCARE 34. MARBLE & GRAINITE
- 35. OIL & GAS
- 36. PETROL PUMPS
- 37. PHARMACEUTICALS
- 38. POWER / ELECTRICITY
- 39. PRINTING / PUBLISHING
- 40. RELIGIOUS INSTITUTIONS
- 41. SCIENCE & TECHNOLOGY

42. SCHOOL / COLLEGES / INSTITUTES

- 43. STEEL / HARDWARE
- 44. STOCKS & SHARES
- 45. TECH STARTUPS
- 46. TELECOMMUNICATION
- 47. TEXTILES / GARMENTS
- 48. TRAVEL & TOURISM
- 49. TRANSPORTATION & LOGISTICS
- 50. FOREX DEALERS / BULLION
- 51. PROFESSIONALS (DOCTOR, LAWYER, ENGG. CONSULTING, HR)
- 52. RETAIL CHAIN / FMCG
- 53. IT SERVICES

सामान्य अनुदेश

क. 'केवल कार्यालय उपयोग हेतु' खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण दिशानिर्देश:

1. खाते का प्रकार: केवल एफपीआई श्रेणी I और श्रेणी II के लिए सरलीकृत रूप का उपयोग किया जाए।

2. खाताधारक का प्रकार:

यूएस रिपोर्ट करने योग्य (एफएटीसीए) एफ-1- स्वामी- निर्दिष्ट युएस स्वामी/ स्वामियों सहित प्रलेखित एफआई एफ2 - वास्तविक यूएस स्वामी/स्वामियों सहित निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई एस3 -गैर-प्रतिभागी एफएफआई एस4-निर्दिष्ट यूएस व्यक्ति एएफ5 -एनएफएफई को प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग

अन्य रिपोर्ट करने योग्य (एफएटीसीए के अलावा) सी1-निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई जिसमें एक या उससे अधिक ऐसे नियंत्रणकर्ता व्यक्ति हैं जो कि रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति हैं सी2- अन्य रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति सी3- निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई जो कि सीआरएस रिपोर्ट करने योग्य है XX -लागू नहीं

ख. 'इकाई संरचना प्रकार' खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण **ढिशानिर्देश**

क.एकल स्वामित्व ईकाई ख.भागीदारी फर्म ग.एचयूएफ घ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ङ.पब्लिक लिमिटेड कंपनी च.सोसाइटी छ.व्यक्तियों का संघ (एओपी/व्यक्तियों का निकाय (बीओआई) ज.न्यास झ.परिसमापक ञ.सीमित देयता भागीदारी ट.कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति ठ.सरकारी क्षेत्र के बैंक ड.सरकारी विभाग/ एजेंसी ढ.विदेश संविभाग ण.धारा ८ की कंपनियां (कंपनी अधिनियम 2013) त.कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति थ.गैर वर्गीकृत द.अन्य

'इकाई विवरण' खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण,/दिशानिर्देश: एकल स्वामित्व इकाई के लिए, यदि पैन नहीं है, तो फॉर्म 60 भरें पहुंचान का प्रकार: टी-टिन सी-कंपनी पहचान नंबर, जी-यूएस जीआईआईएन, ई-ग्लोबल इकाई पहचान नंबर (ईआईएन), ओ-अन्य

- (वर्णाक्र्या), जान्यान्य (प्राचान का प्रमाण प्रमाण) प्रमाण प्रमाण प्रमाण (प्राचान का प्रमाण (प्राचान का प्रमाण सभी संबंधी दस्तावेजों की प्रामाणिक प्रति, जैसा लागू हो, प्रस्तुत की जानी है। संबंधित, नियामक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गए विदेशी पोर्टफोलियों निवेशकों के लिए लागू केवाईसी दस्तावेज।
- पृष्ठ 16 (आवश्यक केवाईसी दस्तावेज) पर विभिन्न स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए आवश्यक दस्तावेज दिए र्षेठ पर प्राप्त हैं। कंपनियों के लिए 'कारोबार शुरू करने की तिथि' अनिवार्य है, और अन्य इकाई लागू हो तो भरें। 'पते का प्रमाण' पिओए। खंड भरने के लिए स्मष्टीकरण/दिशानिर्देश: विदेशी पते के लिए राज्य/यूटी का नाम तथा पिन/पोस्ट कोड अनिवार्य नहीं है विविध पत्राचार/स्थानीय पते के मामले में कृपया अनुबंध॥। भरे

.ਵ

- 1.
- 'संपर्क विवरण' खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण/ दिशानिर्देश
- कृपया दो अंकीय देश कोड और 10 अंक वाले मोबाइल नंबर का उल्लेख करें (उदाहरण के लिए भारतीय मोबाइल नंबर हेतु 91-9999999999)

मोबाइल नंबर के आरम्भ में शून्य नहीं लगाएं।

- नीबोइए नबर के आरम्भ न शूच नहा लगाए। नियंत्रणकर्ता/संबंधित क्यक्ति विवरण खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश प्रत्येक नियंत्रणकर्ता/संबंधित व्यक्ति/लाभार्थी स्वामी के लिए अलग-अलग अनुबंध (ए11) भरें

व्यक्तिगत विवरण

- जन्म कृपया संबोधन (श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉक्टर/आदि...) सहित नाम लिखिए। नाम पहचान के प्रमाण से मेल खाने चाहिए अन्यथा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। या तो पिता का नाम या जीवनसाथी का नाम अनिवार्य रूप से भरा जाए। यदि पैन उपलब्ध नहीं है, तो पिता का

कर उद्देश्य के लिए भारत के बाहर का निवासी होने के मामले में

कर उद्देश्य के लिए भारत के बहिर का निवासा होने के मामल म विविध कर आवासीय के विवरण भरने हेतु प्रावधान अनुबंधा॥ में उपलब्ध है। कर पहचान संख्या (टीआईएन); यदि टीआईएन अधिकार क्षेत्र द्वारा जारी नहीं किया गया है तो टीआईएन का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। हालाँकि, यदि उक्त अधिकार क्षेत्र ने पहचान के समकक्ष स्तर ("कार्यात्मक समकक्ष") के साथ एक उच्च अखंडता संख्या जारी की है, तो इसकी सूचना दी जा सकती है। व्यक्ति के लिए उस प्रकार के नंबर के उदाहरणों में, एक सामाजिक सुरक्षा/बीमा का नंबर, नागरिक/व्यक्तिगत पहचान/सेवा कोड/नंबर और निवासी का पंजीकरण नंबर) शामिल हैं।

iv. पहचान का प्रमाण [पीओआई]

ा. यदि एक ड्राइविंग लाइसेंस नंबर व्यक्ति के पहचान के प्रमाण के रूप में दिया जाता है, तो अनिवार्य रूप से उसकी समाप्ति की तिथि भी दी जाए।

2. यदि 'जेड' अन्य (केंद्र सरकार द्वारा अधिसुचित कोई दस्तावेज) के सामने टिक लगाया गया है, तो पहचान/संदर्भ संख्या का उल्लेख करें।

v. पते का प्रमाण (पीओए)

पते का प्रमाण केवल उस प्रकरण में प्रस्तुत करें यदि पहचान के प्रमाण पर पता ना हो या पहचान के प्रमाण का पता वैध नहीं हो या लागू नहीं हो।

- 2. विदेशी पते के लिए राज्य/पूटी का नाम तथा पिन/पोस्ट कोड देना अनिवार्य नहीं है। vi. नियंत्रणकर्ता व्यक्ति के लिए खंड 1ए और संबंधित व्यक्ति के लिए खंड 1बी भरे। vii. नियंत्रणकर्ता व्यक्ति के विवरण की आवश्यकता तब होगी जब आयकर नियमों के अनुसार विधिक ईकाई निष्क्रिय एनएफर्ड (गैर वित्तीय डकार्ड) है।

viii. यदि संबंधित या नियंत्रणकर्ता व्यक्ति के केवाईसी नंबर उपलब्ध है, तो केवल व्यक्ति का प्रकार और नियंत्रणकर्ता संबंधी व्यक्ति का नाम दिया जाए।

'नियंत्रणकर्ता व्यक्ति' का तात्पर्य उस नैसर्गिक व्यक्ति से है जो इकाई का नियंत्रण करता है तथा इसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (अभिलेखों का रखरखाव) नियम 2005 के 9 के उप नियम 3 के अनुसार निर्धारित लाभार्थी स्वामी भी शामिल है।

स्पष्टीकरण 1.- लाभार्थी स्वामी का निर्धारण करने हेतु समय-समय पर संशोधित निम्नलिखित परिपत्रों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 18 जनवरी 2013 का परिपत्र क्रमांक डीबीओडी. एएमएल. बीसी

क्रमांक 71/14.01.001/2012 -13 या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 24 जनवरी 2013 का परिपत्र सीआईआर/

ii. भारतीय प्रतिभूति एवं वित्तमय बांड द्वारा जारा दिनांक २४ जनपरा २०१३ पर प्रारंपन राजारणण एमआईआरएसडी/२/२०१३, एमआईआरएसडी/२/२०१३, iii. बीमा विनेयामक और विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक ४ फरवरी २०१३ को जारी परिपन्न आईआरडीए/एसडीडी/जीडीएल/सीआईआर/०१९/०२/२०१३ स्पष्टीकरण२- न्यास के मामले में, नियंत्रणकर्ता व्यक्ति का तात्पर्य व्यवस्थापनकर्ता, न्यासकारी, संरक्षणकर्ता (यदि कोई है), लाभार्थी या लाभार्थी समूह तथा कोई भी नैसर्गिक व्यक्ति जिसका न्यास पर प्रभावी नियंत्रण है तथा न्यास के अलावा अन्य विधिक व्यवस्था के मामले में इसका तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो उसके समतुत्य या सामान्य पद पर है।

| विधिक इकाई का प्रकार | नियंत्रणकर्ता व्यक्ति (सीपी) का प्रकार | लागू मद |
|------------------------|--|---|
| एकल स्वामित्व | एकल स्वामी | नियंत्रणकर्ता व्यक्ति आवश्यक नहीं |
| हिन्दू अविभाजित परिवार | • कर्ता | सी09-विधिक व्यवस्था के अनुसार नियंत्रणकर्ता व्यक्ति अन्य सेटलरःया |
| | | सी10 -विधिक व्यवस्था के अनुसार नियंत्रणकर्ता व्यक्ति अन्य न्यासी समान |
| | • प्रत्येक सहदायिक (को पार्सनर) | सी 12-विधिक व्यवस्था के अनुसार नियंत्रणकर्ता व्यक्ति अन्य लाभार्थी समान |
| भागीदारी | • स्वामित्व | सी01-विधिक व्यक्ति का सीपी-स्वामित्व |
| | • अन्य साधन | सी01-विधिक व्यक्ति का सीपी अन्य साधन |
| | • वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी | सी-03 विधिक व्यक्ति का सीपी-वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी |
| सोसाइटी | • स्वामित्व | सी01-विधिक व्यक्ति का सीपी-स्वामित्व |
| वावाइटा | • अन्य साधन | सी-02-विधिक व्यक्ति का सीपी अन्य साधन |
| | • वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी | सी-03 विधिक व्यक्ति का सीपी-वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी |
| | • स्वामित्व | सी-01-विधिक व्यक्ति का सीपी-स्वामित्व |
| | • अन्य साधन | सी-02-विधिक व्यक्ति का सीपी अन्य साधन |
| | • वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी | सी03 विधिक व्यक्ति का सीपी-वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी |
| एओपी/बीओआई | • सदस्य (स्वामी) | सी01-विधिक व्यक्ति का सीपी-स्वामित्व |
| एओपी/बीओआई | • व्यवस्थापक के समतुल्य | सी09-विधिक व्यवस्था के अनुसार नियंत्रणकर्ता व्यक्ति अन्य सेटलरःया |
| | • न्यासी के समतुल्य | सी10-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपीअन्य ट्रस्टी के समान |
| | • संरक्षक के समतुल्य | सी11-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी अन्य संरक्षक के समान |
| | • लाभार्थी के समतुल्य | सी12-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी अन्य-लाभार्थी के समान |
| | • अन्य | सी13-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी अन्य-अन्य के समान |
| यास | • व्यवस्थापक | सी04-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी न्यास- सेटलर |
| | • न्यासी | सी05-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी न्यास- न्यासी |
| | • संरक्षक | सी06-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी न्यास- संरक्षक |
| | • लाभार्थी | सी07-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी न्यास- लाभार्थी |
| | • अन्य | सी08-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी न्यास- अन्य |
| रिसमापक | | नियंत्रणकर्ता व्यक्ति आवश्यक लागू नहीं |
| मित देयता भागीदार | • भागीदार (स्वामित्व) | सी01-विधिक व्यक्ति का सीपी-स्वामित्व |
| | • अन्य साधन | सी02-विधिक व्यक्ति का सीपी अन्य साधन |
| | • वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी | सी03 विधिक व्यक्ति का सीपी-वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी |
| कृत्रिम विधिक व्यक्ति | • व्यवस्थापक के समतुल्य | सी09-विधिक व्यवस्था के अनुसार नियंत्रणकर्ता व्यक्ति अन्य सेटलरःया |
| | • न्यासी | सी10-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी अन्य ट्रस्टी के समान |
| | • संरक्षक | सी11-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी अन्य संरक्षक के समान |
| | • लाभार्थी | सी12-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी अन्य-लाभार्थी के समान |
| | • अन्य | सी13-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी अन्य-अन्य के समान |

GENERAL INSTRUCTIONS:

- A. Clarification / Guidelines for filling 'For Office Use Only' section
- 1. Account Type: Simplified should be used for FPI Category I and Category II only.
- 2. Account Holder Type :

| US Reportable (FATCA) | Other Reportable (Other than |
|----------------------------------|--|
| FATCA) | |
| F1- Owner- Documented FI | C1- Passive Non- Financial Entity |
| with specified US owner(s) | with one or more controlling person that |
| F2-Passive Non –Financial Entity | is a Reportable person |
| with substantial US owner(s) | C2- Other Reportable Person |
| F3- Non- Participating FFI | C3- Passive Non- Financial Entity |
| F4- Specified US person | that is a CRS Reportable |
| F5-Direct Reporting NFFE | XX- Not Applicable |
| | |

- C. Clarification / Guidelines for filling 'Entity Details' section
 - For sole proprietorship Concerns, in case of non-availability of PAN, Form 60 needs to be furnished
 - 2. Identification Type: T- TIN, C- Company Identification Number, G-US GIIN, E- Global Entity Identification Number (EIN), O- Others
- D Clarification / Guidelines for filling 'Proof of Identity [Pol]' section
 - 1. Certified copies of all the relevant documents, as applicable, needs to be submitted.
 - 2. KYC requirements for Foreign Portfolio Investors (FPIs) will be as specified by the concerned regulator from time to time.
 - 3. Details of the Required Documents for different Entity Constitution Types are mentioned in Page 16 (KYC Documents Required)
 - ${\tt 4.~'Date\,of\,Commencement\,of\,Business'\,is\,mandatory\,for\,companies, and\,other\,entities\,may\,provide if applicable.}$
- E Clarification / Guidelines for filling 'Proof of Address [PoA]' section
 - 1. State / U.T Name and Pin / Post Code will not be mandatory for Overseas addresses.
 - 2. In case of multiple correspondence / local addresses, please fill 'Annexure III'
- Clarification / Guidelines for filling 'Contact Details' section
- 1 Please mention two-digit country code and 10 digit mobile number (e.g. for Indian mobile number mention 91-999999999).
- 2 Do not add '0' in the beginning of Mobile number.
- ${\sf G} \quad {\sf Clarification/Guidelines for filling'Controlling/Related Person Details' section}$
- $i. \qquad \text{Fill Separate Annexure (A11) for each Controlling/Related Person/Beneficial Owner.} \\$
- ii. Personal Details
 - 1 Name: Please state the name with Prefix (Mr/Mrs/Ms/Dr/etc.). The name should match the name as mentioned in the Proof of Identity submitted failing which the application is liable to be rejected.
 - 2 Either father's name or spouse's name is to be mandatorily furnished. In case PAN is not available father's name is mandatory.
- iii. Resident outside India for tax purposes
 - $1\ \ \text{Provision} \ \text{for capturing multiple Tax} \ \text{residency details is made available (Annexure III)}$
- 2 Tax Identification Number (TIN): TIN need not be reported if it has not been issued by the jurisdiction. However, if the said jurisdiction has issued a high integrity number with an

B. Clarification / Guidelines for filling 'Entity Constitution type' section Entity Constitution Type

| A- Sole Proprietorship | H- Trust | N- Foriegn Portfolio |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| B- Partnership firm | I- Liquidator | O- Section 8 Companies |
| C- HUF | J- Limited Liability Partnership | (Companies Act, 2013) |
| D- Private Limited Company | K- Artificial Juridical Person | P- Artificial Judicial Person |
| E- Public Limited Company | L- Public Sector Banks | X- Not Categorized |
| F- Society | M- Government Departments/ | Z- Others |
| G- Association of Persons | Agency | |
| (AOP)/ Body of Individuals (BOI) | | |

equivalent level of identification ("Functional equivalent"), the same may be reported. Examples of that type of number for individual include, a social security/insurance number, citizen/personalidentification/services code/number and resident registration number)

- iv. Proof of Identity [Pol]
 - 1 If driving license number or passport is provided as Pol then expiry date is to be mandatorily furnished.
 - 2 Mention identification / reference number if 'Z- Others (any document notified by the central government)' is ticked.
- v. ProofofAddress[PoA]
 - 1 PoA to be submitted only if the submitted PoI does not have an address or address as per PoI is invalid or not in force.
- $2\ \ State/U.T\ Name and\ Pin/Post\ Code\ will not\ be\ mandatory\ for\ Overseas\ addresses.$
- vi. Section 1 A to be filled for Controlling Person and Section 1 B to be filled for related Person.
- $\label{eq:vii.} The details of Controlling Persons are required only if the Legal Entity is Passive NFE as defined in the Income Tax Rules$
- viii. If KYC number of Related or Controlling person is available, no other details except 'Person Type' and 'Name of the Controlling/Related Person' are required.

"Controlling Person" means the natural person who exercises control over an entity and includes a beneficial owner as determined under sub-rule (3) of rule 9 of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005.

Explanation 1.- In determining the beneficial owner, the procedure specified in the following circular as amended from time to time shall be applied, namely:-

- (i) DBOD.AML.BC. No.71/14.01.001/2012-13, issued on the 18th January, 2013 by the Reserve Bank of India; or
- (ii) CIR/MIRSD/2/2013, issued on the 24th January, 2013 by the Securities and Exchange Board of India: or
- (iii) IRDA/SDD/GDL/CIR/019/02/2013, issued on the 4th February, 2013 by the Insurance Regulatory and Development Authority.

Explanation 2.- In the case of a trust, the controlling person means the settlor, the trustees, the protector (if any), the beneficiaries or class of beneficiaries and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust and in the case of a legal arrangement other than a trust, the said expression means the person in equivalent or similar position.

| Type of legal entity | Type of controlling person (CP) | Permissible values | |
|-------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Sole proprietorship | Sole proprietor | CP not required | |
| Hindu Undivided Family | • Karta | C09 – CP of legal arrangement - Other-settlor equivalent; or | |
| | | C10- CP of legal arrangement - Other-Trustee equivalent | |
| | Each Coparcener | C12 - CP of legal arrangement - Other-beneficiary equivalent | |
| Partnership | Ownership | C01- CP of legal person - ownership | |
| | Other means | C01- CP of legal person – other means | |
| | Senior managing officials | C03 - CP of legal person – senior managing official | |
| Company | Ownership | C 01 -CP of legal person - ownership | |
| | Other means | C 02 -CP of legal person – other means | |
| | Senior managing official | C 03 - CP of legal person – senior managing official | |
| Society | Ownership | C 01 -CP of legal person - ownership | |
| | Other means | C 02 - CP of legal person – other means | |
| | Senior managing official | C 03 - CP of legal person – senior managing official | |
| AOP/BOI | Members (owners) | C 01 - CP of legal person - ownership | |
| | Settlor Equivalent | C 09 – CP of legal arrangement – Other-settlor equivalent | |
| | Trustee equivalent | C 10 – CP of legal arrangement – Other-trustee equivalent | |
| | Protector Equivalent | C 11 – CP of legal arrangement – Other-protector equivalent | |
| | Beneficiary Equivalent | C 12 – CP of legal arrangement – Other-beneficiary equivalent | |
| | Others | C 13 – CP of legal arrangement –Other-Other equivalent | |
| Trust | Settlor | C 04 – CP of legal arrangement – Trust-settlor | |
| | Trustee | C 05 – CP of legal arrangement – Trust-trustee | |
| | Protector | C 06 – CP of legal arrangement – Trust-protector | |
| | Beneficiary | C 07 – CP of legal arrangement – Trust-beneficiary | |
| | Others | C 08 – CP of legal arrangement –Trust-Other | |
| Liquidator | | CP not required | |
| Limited Liability Partnership | Partners(ownership) | C 01 - CP of legal person - ownership | |
| | Other means | C 02-CP of legal person – other means | |
| | Senior Managing officials | C 03 - CP of legal person – senior managing official | |
| Artificial Juridical Person | Equivalent of Settlor | C 09 – CP of legal arrangement – Other-settlor equivalent | |
| | Trustee | C 10 – CP of legal arrangement - Other - trustee equivalent | |
| | Protector | C 11 – CP of legal arrangement - Other - protector equivalent | |
| | Beneficiary | C 12 – CP of legal arrangement - Other - beneficiary equivalent | |
| | others | C 13 – CP of legal arrangement - Other - Other equivalent | |

निष्क्रिय गैर वित्तीय संस्था: इससे आशय निम्न से है

1. कोई भी ऐसी गैर वित्तीय संस्था जो सक्रिय गैर वित्तीय संस्थान नहीं है, या

- कोई भी ऐसी निवेश संस्था जिसकी कुल आय मुख्य रूप से वित्तीय अस्तियों में निवेश पुनर्निवेश अथवा व्यापार से आती हो, यदि इस संस्था का प्रबंध किसी अन्य संस्था तथा डिपॉजिटरी संस्था. अभिरक्षा संस्था. विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी अथवा नीचे के नोट में उल्लेखित निवेश संस्था द्वारा किया जाता है।
- फॉरेन पार्टनरशिप अथवा फॉरेन टस्ट में धारिता न होना ("फॉरेन पार्टनरशिप में धारिता" का आशय ऐसी विदेशी भागीदारी से है, जिसने संयक्त राज्य अमेरिका के साथ धारिता करार किया है, जिसमें अपने भागीदारों, लाभार्थियों अथवा मालिकों को सभी भुगतान करने हेतु प्राथमिक धारिता जिम्मेदारी लेने के लिए वह सहमत हो।)

नोट:

髜.

- 1. कोई भी ऐसी संस्था जो ग्राहक के लिए अथवा उसकी ओर से व्यवसाय के तौर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियों अथवा परिचालनों में से कोई एक गतिविधि अथवा परिचालन करती है यथा:
- मद्रा बाजार लिखतों (चेक, बिल, जमा प्रमाणपत्र, डेरिवेटिव्स आदि): विदेशी मद्रा, विनिमय ब्याज दर एवं इंडेक्स लिखतों अंतरणीय प्रतिभतियों अथवा पण्य भावी सौदों का व्यापार करती है:
- वैयक्तिक एवं सामहिक संविभाग प्रबंधन अथवा
- iii. अन्य व्यक्तियों की ओर से निवेश, प्रशासन अथवा वित्तीय आस्तियों अथवा मुद्रा का प्रबंधन।

स्पष्टीकरण 1: ऊपर 1 में बताई गई गतिविधियों में से एक अथवा एक से अधिक गतिविधियां करने अथवा निवेश संस्था अर्थात निष्क्रिय संस्था के प्रयोजनों से किसी संस्था की कुल आय मुलतया वित्तीय आस्तियों में निवेश, पनर्निवेश अथवा व्यापार से आने, यदि संस्था की कल आय (1) संकल्प किए जाने के पूर्व वर्ष के 3.1 मार्च को समाप्त 3 वर्ष की अवधि अथवा (11) संस्था के अस्तित्व में होने की अवधि के दौरान की कल आय के 50% के बराबर अथवा उससे अधिक होने पर किसी संस्था को व्यवसाय करने वाली संस्था माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2: "निवेश संस्था" शब्द में सक्रिय गैर वित्तीय संस्था शामिल नहीं है, क्योंकि वह नियम 114 च के खंड 6 के स्पष्टीकरण खंड (क) के उपखंड (iv), (v), (vi) अथवा (vii) के किसी मानदंड को पूरा करती है। (1) लाभांश; (2) ब्याज; (3) ब्याज के बराबर की आय; (4) किराया एवं रॉयल्टी (गैर- वित्तीय संस्था के कर्मचारियों द्वारा सक्रिय रूप से किए गए व्यवसाय से आंशिक रूप से प्राप्त किराया एवं रॉयल्टी से भिन्न); (5) वार्षिकी (6) वित्तीय अस्थियों की बिक्री अथवा विनिमय की हानियों की तुलना में अतिरिक्त लाभ जिससे पैसिव आय बढ़ती है (7) किसी वित्तीय आस्ति के लेनदेन (फ्यूचर्स वायदा ऑप्शंस एवं इस प्रकार के लेनदेन सहित) में हानियों पर अतिरिक्त लाभ (8) विदेशी मुद्रा हानियों की तुलना में हुए विदेश मुद्रा के अतिरिक्त लाभ (9) अदला बदली से प्राप्त निवल आय अथवा (10) नकद मुल्य के बीमा ठेकों से प्राप्त राशियाँ शामिल है। बशर्ते कि व्यापारी के रूप में नियमित रूप से कार्य करने वाली गैर वित्तीय संस्था के मामले में डीलर के रूप में ऐसे व्यापार की सामान्य अवधि में किए गए किसी भी लेनदेन से प्राप्त आय पैसिव आए में शामिल नहीं होगी। सम्बद्ध संस्था - अन्य किसी संस्था की सम्बद्ध संस्था होती है यदि वह अन्य संस्था का नियंत्रण करती है अथवा दोनों संस्थाएं एक ही नियंत्रण में आती है। स्पर्शकरण- इस खंड के प्रयोजन से नियंत्रण में किसी संस्था के 50% से अधिक मत और मूल्य का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व का नियंत्रण भी शामिल है।

- सक्रिय एनएफई निम्नलिखित में से कोई एक है ।. पिछले वित्तीय वर्ष में इकाई की सकल आय 50% से कम होने पर वह पैसिव आय हैं और इकाई के द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में 50% से कम आस्तियों के धारिता की स्थिति को पैसिव आय उत्पन्न करने वाला माना
- इकाई के स्टॉक नियमित रूप से स्थापित सिक्योरिटी मार्केट में खरीद बिक्री किए जाते हो या गैर वित्तीय इकाई इस इकाई से संबंधित हो जिसके स्टॉक नियमित रूप से स्थापित सिक्योरिटी मार्केट में खरीद बिक्री
- वह इकाई सरकारी इकाई है या अंतरराष्ट्रीय संस्था है या केंद्रीय बैंक या पूर्ववर्ती के द्वारा एक या एक से अधिक पूर्णतः स्वामित्व वाली इकाई है।
- काफी हद तक इकाई की गतिविधियां बकाया स्टॉक रखना (पूर्णतः या अंघातः) या वित्तीय सेवा प्रदान करने के व्यवसाय के अतिरिक्त ट्रेड्स या व्यवसाय में संलग्न एक या उससे अधिक सहयोगी कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बशर्ते कि इकाई के विषय में यह प्रमाणित नहीं होना चाहिए कि वह निवेश निधि जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड, वेंचर कैपिटल फंड, लीवरेज फंड, या अन्य कोई निवेश संस्था नहीं है जिसका उद्देश्य कंपनी का अधिग्रहण या फंड करना है और फिर निवेश के उद्देश्य के लिए पूंजीगत आस्तियों के रूप में उन कंपनियों में ब्याज को रखना; या
- इकाई अभी परिचालन नहीं कर रही है और इसके परिचालन का कोई इतिहास भी नहीं हैं किन्तु आस्तियों में इस उद्देश्य से पूंजी निवेश कर रही है कि वित्तीय कंपनी के अतिरिक्त अन्य कंपनी का परिचालन कर सके बशर्ते कि कंपनी गठन के चौबीस महीनों के बाद इस अपवाद के अंतर्गत न हो या
- इकाई पिछले 5 वर्षों में वित्तीय इकाई न हो और अपनी आस्तियों को लिक्रिडेट करने की प्रक्रिया में हो या पुनर्गठन कर रही हो ताकि इतर व्यवसाय जारी रख सके या
- इकाई प्रामाणिक रूप से ऐसे संस्थान के लिए वित्तीयन या हेजिंग टांजेक्शन या संबंधित इकाइयों के लिए जो वित्तीय इकाइयां नहीं है और किसी भी कार्य के लिए वित्तीय या हेजिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं कराती है बशर्तें कि इकाई प्राथमिक रूप से वित्तीय सेवाओं से इतर व्यवसाय से संबंधित हो।

viii. इकाई निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो जिनके नाम है क. यह धार्मिक, चैरिटेबल, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, खेल-कूद या शिक्षण से संबंधित उद्देश्यों से भारत में स्थापित और परिचालित इकाई हो या यह प्रोफेशनल संस्थान, बिजनेस लीग, चेंबर ऑफ कॉमर्स, श्रम संगठन, कृषि या बागवा्नी संस्थान, सिविक लीग या केवल सामाजिक कल्याण के कार्यों में संलग्न भारत में स्थापित और परिचालित संस्था हो;

यह भारत में आयकर से छूट प्राप्त हो।

- पर मारत में आपकर से छूट प्राप्त हो। इसमें कोई ऐसा शेयरधारक या सदस्य ना हो जिसका इसमें प्रोप्राइटरी या आस्तियों की आय में रुचि हो इकाई के देश के लागू कानून या निवास का क्षेत्र या गठन दस्तावेज इकाई की किसी आय या आस्ति को वितरण या किसी निजी व्यक्ति या गैर चैरिटी संस्था को लाभ, जो संस्था के चैरिटी के कार्यों से इतर हो या सेवाओं के बद्ले बाजार कीमतों पर भुगतान की अनुमति न देना हो जिसे इकाई ने खरीदा हो।
- इकाई के देश के लागू कानून या निवास का क्षेत्र या गठन दस्तावेज यह घोषित करता हो कि संस्था लिकिडेशन या डिसोल्यूशन के बाद इसकी समस्त आस्तियां सरकारी संस्था या जो अलाभकारी संस्था या सरकार के स्वामित्व वाली इकाई के क्षेत्राधिकार या किसी राजनीतिक इकाई को दी जाएगी

स्पष्टीकरण – इस उप-धारा के उद्देश्य हेतु निम्नलिखित को संबंधित उप-धारा के मानदंडों को पूरा करने वाला माना जाए

- धारा (23 ईए) में उल्लेखित निवेशक संरक्षक फंड नं लघु उद्योगों के क्रेडिट गार्टी फंड ट्रस्ट के लिए उल्लिखित धारा 23 ईवी और
- अधिनियम की धारा 10 की उप धारी (23 ईसी) के अंतर्गत निवेशक संरक्षक फंड

संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यक्ति इनमें से कोई भी हो सकता है

- क. संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका का कर निवासी; अथवा
- ख. साझेदारी या व्यापारिक संघ जो संयक्त राज्य अमेरिका में संयोजित है यह संयक्त राज्य अमेरिका या उसके किसी राज्य के कानन के तहत संयोजित किया जाता है: या
- टस्ट (1) जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर एक अदालत को लागू कानून के तहत अधिकार होगा कि वह टस्ट के प्रशासन से संबंधित सभी मुद्दों या आदेशों के बारे में पर्याप्त निर्णय दे या (3) एक या अधिक संयुक्त राज्य के व्यक्ति के पास सभी पर्याप्त निर्णय को नियंत्रित करने का ट्रस्ट के अधिकार है, या
- घ. मृतक की संपत्ति जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नागरिक या निवासी है
- संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्दिष्ट व्यक्ति- संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यक्ति जो निम्न के अतिरिक्त है ਟ.
 - क. ऐसे व्यापार संघ का स्टॉक जिनका कारोबार नियमित रूप से एक या अधिक स्थापित प्रतिभृति बाजारों में किया जाता है।
 - ख. कोई भी व्यापार संघ जो एक ही विस्तारित सम्बद्ध समूह का सदस्य है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 1471 (ई) (2) में परिभाषित है जैसा खंड (क) में व्यापार संघ वर्णित है।
 - ग. संयक्त राज्य अमेरिका या किसी भी पर्ण स्वामित्व वाली एजेंसी या उसके साधन।
 - घ. संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई भी राज्य कोई भी संयुक्त राज्य क्षेत्र, किसी भी पूर्वगामी के किसी भी राजनीतिक उप विभाजन, या किसी पूर्ण स्वामित्व वाली एजेंसी या पूर्वगामी के किसी एक या अधिक साधन।
 - संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 501 (ए) या संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व कोड की धारा 7701 (A) 37 में परिभाषित व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति योजना के तहत किसी भी संगठन को कर से छट प्राप्त है।
 - च. कोई बैंक जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 581 में परिभाषित किया गया है।
 - छ. संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व संहिता की धारा ८५६ में परिभाषित कोई भी रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट।
 - ज. कोई भी ट्रस्ट जो संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक राजस्व कोड की धारा 664 सी के तहत कर से मुक्त है या जो की संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व कोड की धारा 4947 (क) (1) में वर्णित है।
 - झ. प्रतिभूतियों, कमोडिटी या डेरिवेटिव वित्तीय साधनों (जिसमें प्रमुख प्रिंसिपल अनुबंध, वायदा, आगे और विकल्प शामिल है) का डीलर जो संयुक्त राज्य या किसी राज्य के कानून के तहत पंजीकृत है।
 - ञ. एक दलाल जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व कोड की धारा 6045 सी में परिभाषित किया गया है।
 - किसी भी कर- मुक्त टस्ट को जिसे योजना के तहत छट दी गई है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक राजस्व कोड की धारा 403 (बी) या धारा 457 (जी) में वर्णित है।

प्रत्यक्ष रिपोटिंग एनएफएफई ਨ

प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग एनएफएफई का अर्थ ऐसे एनएफएफई से होगा जो प्रत्यक्ष राज्य को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के मालिक के बारे में निश्चित जानकारी आईआरएस को रिपोर्ट करने का चुनाव करता है, इसके बदले में वित्तीय संस्था को ऐसी जानकारी प्रदान करता है जिसके पास एनएफएफई वित्तीय खाता उच्छता है। प्रत्यक्ष रिपोटिंग एंड एनआईएफई जीआईआईएन प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका आईआरएस के साथ पंजीकृत करता है। इस तरह की प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग एनएफएफई को नियम 114 एफ से 114 एच के तहत सुचित किया जाना आवश्यक है।

H. Passive NFE : It means

- i. Any NFE which is not an Active NFE, or
- ii. An investment entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets, if the entity is managed by another entity that is a depository institution, a custodial institution, a specified insurance company, or an investment entity described in the note below.
- iii. Not a withholding foreign partnership or withholding foreign trust

("Withholding foreign partnership" means a foreign partnership that has entered into a withholding agreement with the United States of America in which it agrees to assume primary withholding responsibility for all payments which are made to it for its partners, beneficiaries or owners).

Note:

- 1. Any entity that primarily conducts as a business one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer, namely:-
- i. Trading in money market instruments (Cheques, bills, certificates of deposit, derivatives etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading; or
- . Individual and collective portfolio management; or
- iii. Otherwise investing, administering, or managing financial assets or money on behalf of other persons.

Explanation 1:- An entity is treated as primarily conducting as a business one or more of the activities described in 1 above, or an entity's gross income is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets for purposes of Investment Entity that is a Passive Entity, if the entity's gross income attributable to the relevant activities equals or exceeds 50 percent of the entity's gross income during the shorter of: (i) the three-year period ending on 31st march of the year preceding the year in which the determination is made; or (ii) the period during which the entity has been in existence.

Explanation 2:- The term "investment entity" does not include an Entity that is an active non-financial entity because it meets any of the criteria in sub-clauses (iv), (v), (vi) or (vii) of clause (A) of Explanation to clause (6) of Rule 114F.

Passive income - includes income by way of: (i) dividends; (ii) interest; (iii) income equivalent to interest; (iv) rents and royalties (other than rents and royalties derived in the active conduct of a business conducted, at least in part, by employees of the non-financial entity); (v) annuities; (vi) the excess of gains over losses from the sale or exchange of financial assets that gives rise to the passive income; (vii) the excess of gains over losses from transactions (including futures, forwards, options, and similar transactions) in any financial assets; (viii) the excess of foreign currency gains over foreign currency losses; (ix) net income from swaps; or (x) amounts received under cash value insurance contracts:

Provided that passive income will not include, in the case of a non-financial entity that regularly acts as a dealer in financial assets, any income from any transaction entered into in the ordinary course of such dealer's business as such a dealer.

 $Related \, Entity \, - \, an \, entity \, is \, a \, "related \, entity" of another \, entity \, if either \, entity \, controls \, the \, other \, entity, \, or \, the \, two \, entities \, are \, under \, common \, control. \, and \, controls \, the \, other \, entity, \, or \, the \, two \, entities \, are \, under \, common \, controls \, the \, other \, entity, \, or \, the \, two \, entities \, are \, under \, common \, controls \, the \, other \, entity, \, or \, the \, two \, entities \, are \, under \, common \, controls \, the \, other \, entity, \, or \, the \, two \, entities \, are \, under \, common \, controls \, the \, other \, entity, \, or \, the \, two \, entities \, are \, under \, common \, controls \, the \, other \, entity, \, or \, the \, two \, entities \, are \, under \, common \, controls \, the \, other \, entity, \, or \, the \, two \, entities \, are \, under \, common \, controls \, the \, controls \, the \, other \, entity, \, or \, the \, two \, entities \, are \, under \, controls \, the$

Explanation. - For the purpose of this clause control includes direct or indirect ownership of more than fifty per cent of the vote and value in an entity.

I. Active NFE is any one of the following

- i. less than fifty per cent of the entity's gross income for the preceding financial year is passive income and less than fifty per cent of the assets held by the entity during the preceding financial year are assets that producer are held for the production of passive income; OR
- ii. the stock of the entity is regularly traded on an established securities market or the non-financial entity is a related entity of an entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market.
 - Explanation.- For the purpose of this sub-clause, an established securities market means an exchange that is recognized and supervised by a Governmental authority in which the securities market is located and that has a meaningful annual value of shares traded on the exchange; OR
- iii. the entity is a Governmental Entity or an International Organization or a Central Bank or an entity wholly owned by one or more of the foregoing; OR
- iv. substantially all of the activities of the entity consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a financial institution:
 - Provided that an entity shall not qualify for this status if it functions as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes; OR
- v. the entity is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution, provided that the entity shall not qualify for this exception after the date that is twenty four months after the date of the initial organization of the entity OR
- vi. the entity was not a financial institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with intent to continue or recommence operations in a business other than that of a financial institution; OR
- vii. the entity primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, related entities which are not financial institutions, and does not provide financing or hedging services to any entity which is not a related entity, provided that the group of any such related entities is primarily engaged in a business other than that of a financial institution; OR

viii. the entity meets all of the following requirements, namely:

- a. It is established and operated in India exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in India and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labour organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare;
- b. It is exempt from income-tax in India;
- c. It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
- d. The applicable laws of the entity's country or territory of residence or the entity's formation documents do not permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable entity other than pursuant to the conduct of the entity's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; and
- e. The applicable laws of the entity's country or territory of residence or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the entity's jurisdiction of residence or any political subdivision thereof.

Explanation.- For the purpose of this sub-clause, the following shall be treated as fulfilling the criteria provided in the said sub-clause, namely:

- I. an Investor Protection Fund referred to in clause (23EA);
- a Credit Guarantee Fund Trust for Small Industries referred to in clause 23EB; and
- III. an Investor Protection Fund referred to in clause (23EC), of section 10 of the Act

. A US Person is any of the following

- a A U.S. citizen or Tax Resident of US; OR
- b. A partnership or a corporation organized in the US or under the law of the US or any states thereof; OR
- c. A trust (i) where a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U. S. Persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, OR
- d. an estate of the decedent that is a citizen or resident of the United States.

K. Specified US Person - A US Person other than the following

- a. A corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets
- b. Any corporation that is a member of the same expanded affiliated group, as defined in section 1471(e)(2) of the U.S. Internal Revenue Code, as a corporation described in clause (a)
- c. The United States or any wholly owned agency or instrumentality thereof
- d. Any State of the United States, any U.S. Territory, any political subdivision of any of the foregoing, or any wholly owned agency or instrumentality of any one or more of the foregoing
- e. Any organization exempt from taxation under section 501(a) of the U.S. Internal Revenue Code or an individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37) of the U.S. Internal Revenue Code
- f. Any bank as defined in section 581 of the U.S. Internal Revenue Code;
- g. Any real estate investment trust as defined in section 856 of the U. S. Internal Revenue Code
- h. Any regulated investment company as defined in section 851 of the U.S. Internal Revenue Code or any entity registered with the U.S. Securities and Exchange Commission under the Investment Company Act of 1940 (15 U.S.C. 80a-64)
- i. Any common trust fund as defined in section 584(a) of the U.S. Internal Revenue Code;
- $j. \quad \text{Any trust that is exempt from tax under section 664(c) of the U.S. Internal Revenue Code or that is described in section 4947(a)(1) of the U.S. Internal Revenue Code or that is described in section 4947(a)(1) of the U.S. Internal Revenue Code or that is described in section 4947(a)(1) of the U.S. Internal Revenue Code or that is described in section 4947(a)(1) of the U.S. Internal Revenue Code or that is described in section 4947(a)(1) of the U.S. Internal Revenue Code or that is described in section 4947(a)(1) of the U.S. Internal Revenue Code or that is described in section 4947(a)(1) of the U.S. Internal Revenue Code or that is described in section 4947(a)(1) of the U.S. Internal Revenue Code or that is described in section 4947(a)(1) of the U.S. Internal Revenue Code or that is described in section 4947(a)(1) of the U.S. Internal Revenue Code or that is described in section 4947(a)(1) of the U.S. Internal Revenue Code or that is described in section 4947(a)(1) of the U.S. Internal Revenue Code or that is described in the U.S. Internal Revenue Code or that is described in the U.S. Internal Revenue Code or that is described in the U.S. Internal Revenue Code or the U.$
- k. A dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments (including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the United States or any State;
- I. A broker as defined in section 6045(c) of the U.S. Internal Revenue Code
 m. Any tax-exempt trust under a plan that is described in section 403(b) or section 457(q) of the U.S. Internal Revenue Code S

L. Direct Reporting NFFE

A direct reporting NFFE will mean an NFFE that elects to report directly to the US IRS certain information about its direct or indirect substantial U.S. owners, in lieu of providing such information to FIs with which the NFFE holds a financial account. Direct Reporting NFE registers with the US IRS to obtain GIIN. Such Direct Reporting NFFEs are required to be reported under Rules 114F to 114H

देश (कंट्री) कोड (आईएसओ 3166)

| | | ५२। | (कंट्री) के |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
| देश | देश कोड | देश | देश कोड |
| अफगानिस्तान | एएफ | इक्वाडोर | ईसी |
| अलंद आइसलैंड | एएक्स | इजिप्ट | ईजी |
| अल्बानिया | एएल | ईआई साल्वाडोर | एसवी |
| अल्जीरिया | डीजेड | इक्वोटोरियल गयाना | जीक्यू |
| अमेरिकन समोआ | एएस | एरट्रिया | ईआर |
| रं डोरा | एडी | एस्टोनिया | ईई |
| अंगोला | एओ | इथोपिया | ईटी |
| अंगुल्ला | एआई | फॉकलैंड्स आइसलैंड्स (मालविनास) | एफके |
| अंटार्कटिका अंटार्कटिका | एक्यू | फेरो आइसलैंड्स | एफओ |
| र्रटीगुआ एंड बरबुदा | एजी | फिजी | एफजे |
| भर्जेन्टीना | एआर | - फिनलैंड | एफआई |
| अर्मेनिया | एएम | फ्रांस | एफआर |
| भरुबा | एडब्ल्यू | फ्रेंच गुयाना | जीएफ |
| ऑस्ट्रेलिया | एयू | फ्रेंच पोलीनेशिया | पीएफ |
| आस्ट्रिया | एटी | फ्रेंच सदर्न टेरीटोरीज | टीएफ |
| भजेरबैजान अजेरबैजान | एजेड | गैबॉन | जीए |
| ाहमास - | बीएस | गाम्बिया | जीएम |
| ाहरीन | बीएच | जॉर्जिया | जीई |
| गंगलादेश | बीडी | जर्मनी | डीई |
| गरबादोस | बीबी | घाना | जीएच |
| | बीवाई | जिब्राल्टार | जीआई |
| ोल्जियम | बीई | <u>श्री</u> स | जीआर |
| iलीज | _{बीजेड} | ग्रीनलेंड - | जीएल |
| निन | बीजे | ग्रेनेडा ग्रेनेडा | जीडी |
| | बीएम | गुआडेलोप | जीपी |
| ग्टान इटान | बीटी | ग्वाम | जीयू |
| ोलीविया, प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ | बीओ | ग्वाटेमाला | जीटी |
| ोनायर सिंट इस्टैटुअस एंड साबा | बीक्यू | गर्नसे | जीजी |
| ोस्रिया एंड हर्जेगोविना | बीए | ग्एनिया | जीएन |
| ोत्सवाना | बीडब्ल्य | गेनिया-बिसाऊ | जीडब्ल्य <u>ू</u> |
| ौवेट आइसलैंड्स | बीवी | ग्याना | जीवाई |
| ।जील | बीआर | हैती | एचटी |
| ब्रेटिश इंडियन ओशियन टेरीटरी | आईओ | हार्डआइसलैंड एंड मैकडोनॉल्ड आइलैंड | एचएम |
| ्नेल दारुसलाम | बीएन | होली सी (वेटिकन सिटी स्टेट) | वीए |
| ुल्गारिया | बीजी | होन्ड्रस | एचएन |
| रुकिना फासो | बीएफ | हांग कांग | एचएन |
| एरंडी | बीआई | हंगरी | एचयू |
| नाबों वर्डे | सीवी | आइसलैंड | आईएस |
| ह म्बोडिया | केएच | इंडिया | आईएन |
| bमरुन | सीएम | इंडोनेशिया | आईडी |
| त्नाडा - | सीए | ईरान, इस्मालिक रिपब्लिक ऑफ | आईआर |
| hमन आइसलैंड्स | केवाई | इराक | आईक्यू |
| भेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक | सीएफ | आयरलैंड | आईई |
| ्र गंड | टीडी | आइल ऑफ मैन | आईएम |
| वेली | सीएल | इसरायल | आईएल |
| गीन | सीएन | इटली | आईटी |
| क्रेसमस आइसलैंड्स | सीएक्स | जमाइका | जेएम |
| नेकोस(कीलिंग) आइलैंड् | सीसी | जापान | जेपी |
| जेलम्बिया | सीओ | जर्सी | जेई |
| | केएम - | जॉर्डन | जेओ |
| नांगो नांगो | सीजी | कजाकिस्तान | केजेड |
| गंगो,द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द | सीडी | केन्या | केई |
| क आइसलैंड्स | सीके | किरिबाटी | केआई |
| जोस्टा रिका | सीआर | कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स | |
| होटडि'वायर!कोटडि'वायर | सीआई | रिपब्लिक ऑफ | केपी |
| जोएशिया | एचआर | कोरिया, रिपब्लिक ऑफ | केआर |
| यूबा | सीयू | कुवैत | केडब्ल्यू |
| र्राकाओ ! | सीडब्ल्यू | किरगिस्तान किरगिस्तान | केजी |
| गइप्रस | सीवाई | लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक | एलए |
| ार् मेक रिपब्लिक | सीजेड | लताविया | एलवी |
| | डीके | लेबनान | एलबी |
| जेबृती | डीजे | लेसोथो - | एलएस |
| ा हो. डोमिनिका | डीएम | लिबेरिया | एलआर |
| डॉमिनिकेन रिपब्लिक | डीओ | लीबिया | एलवाई |
| andriand izalacian | ગગા | लाभभा | र्लपाइ |

| आईएसओ 3166) | |
|--|---------------|
| देश | देश कोड |
| लिचटेन्सटिन | एलआई |
| लिथुआनिया | एलटी |
| लक्जमबर्ग | एलयू |
| मकाऊ | एमओ |
| मेसेडोनिया, द फॉर्मर युगोस्लाव | |
| रिपब्लिक ऑफ | एमके |
| मेडागास्कर | एमजी |
| मालावी | एमडब्ल्यू |
| मलेशिया | एमवाई |
| मालदीव्स | एमवी |
| माली | एमएल |
| माल्टा | एमटी |
| मार्शल आइसलैंड्स | एमएच |
| मार्टेनिक | एमक्यू |
| मॉरीटानिया | एमआर्र |
| मॉरीशस | एमयू |
| मेयोट | वाईटी |
| मेक्सिको | एमएक्स |
| माइक्रोनेशिया फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ | एफ एम |
| मोलडोवा, रिपब्लिक ऑफ | एमडी |
| मोनेको | एमसी |
| मंगोलिया | एमएन |
| मोनटेंग्रो | एमई |
| मोन्टसेरट | एमएस |
| मोरक्को मोजाम्बिक | एमए |
| | एमजेड |
| म्यानमार नामीबिया | एमएम एनए |
| नीरु | एनए एनआर |
| नेपाल | एनपी एनपी |
| नीदरलैंड्ंस - नीदरलैंड्ंस | एनएल |
| न्यू केलीडोनिया | एनसी |
| न्यूजीलैंड | एनजेड |
| निकारागुआ | एन आई |
| निगेर | एनई |
| नाइजीरिया | एनजी |
| नियुइ | एनयू |
| नॉरफॉल्क | एनएफ |
| नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स | एमपी |
| नॉर्वे | एनओ |
| ओमान | ओएम |
| पाकिस्तान | पीके |
| पलाऊ | पीडब्ल्यू |
| फिलिस्तीन, स्टेट ऑफ | पीएस |
| पनामा | पीए |
| पपुआ न्यू गुयाना | पीजी |
| प्राग्वे | पीवाई |
| पेरु | पीई |
| फिलीपींस | पीएच |
| पिटकेयर्न | पीएन |
| पोलैंड | पीएल |
| पुर्तगाल | पीटी |
| पियोरटो रिको | पीआर |
| कतर | क्यूए |
| रीयूनियन ! रीयुनियन | आरई |
| रोमानिया | आरओ |
| रशियन फेडरेशन | आरयू |
| खान्डा में स्वाकेनेपी में सम्बन्धी | आरडब्ल्यू |
| सेंट बारथेलेमी सेंट बारथेलेमी | बीएल |
| सेंट हेलेना, एसीनेशन | шт |
| एंड ट्रिस्टान डा कुनहा सेंट किट्स एंड नेविस | एसएच केन्न |
| , | केएन |
| सेंट लूसिया | एलसी |
| सेंट मार्टिन (फ्रेंच पार्ट) | एमएफ |
| कोड | |

| 5 | देश | देश कोड |
|---|--------------------------------|------------|
| | सेंट मार्टिन (फ्रेंच पार्ट) | एमएफ |
| | सेंट पियरे एंड मिकलन | पीएम |
| | सेंट विन्सेंट एंड द ग्रनेडाइंस | वीसी |
| | सामोआ | डब्ल्यूएस |
| | सैन मैरीनो | एसएम |
| | साओ टॉम एंड प्रिंसिप | एसटी |
| | सउदी अरब | एसए |
| | सेनेगल | एसनएन |
| | सर्बिया | आरएस |
| | सेशेल्स | एससी |
| | सियरा लिओन | एसएल |
| | सिंगापुर | एसजी |
| | सिंट मार्टिन (डच पार्ट) | एसएक्स |
| | स्लोवाकिया | एसके |
| | स्लोवेनिया | एसआई |
| | सोलोमन आइलैंड्स | एसबी |
| | सोमालिया | एसओ |
| | साउथ अफ्रीका | जेडए |
| | साउथ जॉर्जिया एंड द साउथ | |
| | सैंडविच आइलैंड्स | जीएस |
| | साउथ सुडान | एसएस |
| _ | स्पेन | ईएस |
| | श्रीलंका | एलके |
| _ | सुडान | एसडी |
| | सूरीनाम | एसआर |
| _ | सवलबाड एंड जन मेयन | एसजे |
| | स्वाजीलैंड | एसजेड |
| _ | स्वीडेन | एसई |
| | स्विट्जरलैंड | सीएच |
| _ | सीरियन अरब रिपब्लिक | एसवाई |
| | ताइवान, प्रॉविन्स आफ चाइना | टीडब्ल्यू |
| _ | तजाकिस्तान | टीजे |
| | तंजानिया, युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ | टीज़ेड |
| | थाइलैंड | टीएच |
| | टीमोर-लेस्टे | टीएल |
| _ | टोगो | टीजी |
| | टोकेलाऊ | टीके |
| _ | टोंगा | टीओ |
| | त्रिनिदाद एंड टोबैगो | ਟੀਟੀ |
| _ | ट्युनीशिया | टीएन |
| | टर्की | टीआर |
| _ | तुर्कमिनिस्तान | टीएम |
| | तुर्क्स एंड कालकोसा आइलैंड्स | टीसी |
| _ | दुवालू | टीवी |
| | युगानडा | यूजी |
| | युक्रेन | युए |
| | युनाइटेड अरब अमीरात | एई |
| | युनाइटेड किंगडम | जीबी |
| | युनाइटेड स्टेट्स | यूएस |
| _ | युनाइटेड स्टेट्स माइनर | यूएम |
| | उरुग्वे | यूवाई |
| | उजबेकिस्तान | यूजेड |
| | वनुआतू | वीयू |
| | वेनेजुएला, बोलीवेरियन | -0.0 |
| | रिपब्लिक ऑफ | वीई |
| | विएत नाम | वीएन |
| | विरजिन आइलैंड्स, ब्रिटिश | वीजी |
| Į | विरजिन आइलैंड्स, यू.एस. | वीआई |
| | वालिस एंड फुटुना | डब्ल्यूएफ |
| _ | वेस्टर्न सहारा | ईएच |
| | यमन | वाईई |
| _ | ज़ाम्बिया | जेडएम |
| | जिम्बाबवे | जेडडब्ल्यू |

राज्य कोड भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार दो अक्षरों वाले राज्यों ∕ संघ राज्य क्षेत्रों की सूची

| राज्य केंद्र शासित प्रदेश | कोड |
|---------------------------|------|
| अंडमान व निकोबार | एएन |
| आंध्रप्रदेश | एपी |
| अरुणाचल प्रदेश | एआर |
| असम | एएस |
| बिहार | बीआर |
| चंडीगढ़ | सीएच |
| छत्ती सगढ़ | सीजी |
| दादर व नगर हवेली | डीएन |
| दमन व दीव | डीडी |
| दिल्ली | डीएल |
| गोवा | जीए |
| गुजरात | जीजे |
| हरियाणा हरियाणा | एचआर |

| राज्य ⁄केंद्र शासित प्रदेश | कोड |
|----------------------------|-------|
| हिमाचल प्रदेश | एचपी |
| जम्मू व कश्मीर | जेके |
| झारखंड | जेएच |
| कर्नाटक | केए |
| केरल | केएल |
| लक्षद्वीप | एलडी |
| मध्य प्रदेश | एमपी |
| महाराष्ट्र | एमएच |
| मणिपुर | एमएम |
| मेघालय | एमएल |
| मिजोरम | एमजेड |
| नागालैंड | एनएल |
| उड़ीसा | ओआर |

| राज्य ⁄केंद्र शासित प्रदेश | कोड |
|----------------------------|-----------|
| पाण्डिचेरी | पीवाई |
| पंजाब | पीबी |
| राजस्थान | आरजे |
| सिक्किम | एसके |
| तमिलनाड् | टीएन |
| तेलंगाना | टीएस |
| त्रिप्रा | टीआर |
| उत्तर प्रदेश | यूपी |
| उत्तराखंड | यूए |
| पश्चिम बंगाल | डब्ल्यूबी |
| अन्य | xx |

| Country | Country Code | Country | Country Code | Country | Country Code | Country | Count Code |
|---|-----------------|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|---------------|
| Afghanistan | AF | Dominican Republic | DO | Libya | LY | Saint Pierre and Miguelon | PM |
| Aland Islands | AX | Ecuador | EC | Liechtenstein | LI | Saint Vincent and the Grenadines | VC |
| Albania | AL | Egypt | EG | Lithuania | LT | Samoa | WS |
| Algeria | DZ | El Salvador | SV | Luxembourg | LU | San Marino | SM |
| American Samoa | AS | Equatorial Guinea | GQ | Macao | MO | Sao Tome and Principe | ST |
| Andorra | AD | Eritrea | ER | Macedonia, the former | MAIX | Saudi Arabia | SA |
| Angola | AO | Estonia | EE | Yugoslav Republic of Madagascar | MK MG | Senegal | SN |
| Anguilla | AU | Ethiopia | ET | Malawi | MW | Serbia | RS |
| Antarctica | AQ | Falkland Islands (Malvinas) | FK | Malaysia | MY | Seychelles | SC |
| Antiqua and Barbuda | AG | Faroe Islands | FO | Maldives | MV | Sierra Leone | SL |
| Argentina | AR | Fiji | FJ | Mali | ML | Singapore | SG |
| Armenia | AM | Finland | FI | Malta | MT | Sint Maarten (Dutch part) | SX |
| Aruba | AW | France | FR | Marshall Islands | MH | Slovakia | SK |
| Australia | AU | French Guiana | GF | Martinique | MQ | Slovenia | SI |
| Austria | AT | French Polynesia | PF | Mauritania | MR | Solomon Islands | SB |
| Azerbaijan | AZ | French Southern Territories | TF | Mauritius | MU | Somalia | SO |
| Bahamas | BS | Gabon | GA | Mayotte | YT | South Africa | ZA |
| Bahrain | ВН | Gambia | GM | Mexico | MX | South Georgia and the | CC |
| Rangladoch | BD | Goorgia | GE | Micronesia. Federated States of | FM | South Sandwich Islands South Sudan | GS SS |
| Bangladesh Barbados | BB BD | Georgia Germany | GE DE | Moldova, Republic of | FM MD | Spain Sudan | ES |
| Selarus | BY | Ghana | GH | Monaco | MC | Sri Lanka | LK |
| Belgium | BE | Gibraltar | GI | Mongolia | MN | Sudan | SD |
| Belize | BZ | Greece | GR | Montenegro | ME | Suriname | SR |
| Benin | BJ | Greenland | GL | Montserrat | MS | Svalbard and Jan Mayen | SJ |
| Bermuda | BM | Grenada | GD | Morocco | MA | Swaziland | SZ |
| Shutan | BT | Guadeloupe | GP | Mozambique | MZ | Sweden | SE |
| Solivia, Plurinational State of | ВО | Guam | GU | Myanmar | MM | Switzerland | СН |
| Sonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | Guatemala | GT | Namibia | NA | Syrian Arab Republic | SY |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Guernsey | GG | Nauru | NR | Taiwan, Province of China | TW |
| Botswana | BW | Guinea | GN | Nepal | NP | Tajikistan | TJ |
| Bouvet Island | BV | Guinea-Bissau | GW | Netherlands | NL | Tanzania, United Republic of | TZ |
| Brazil | BR | Guyana | GY | New Caledonia | NC | Thailand | TH |
| British Indian Ocean | Ю | Haiti | НТ | New Zealand | NZ | Timor-Leste | TL |
| erritory Brunei Darussalam | BN | Heard Island and McDonald | | | | | |
| | | Islands | HM | Nicaragua | NI | Togo | TG |
| Bulgaria | BG | Holy See (Vatican City State) | VA | Niger | NE | Tokelau | TK |
| Burkina Faso | BF | Honduras | HN | Nigeria | NG | Tonga | TO |
| Burundi | BI | Hong Kong | HK | Niue | NU | Trinidad and Tobago | TT |
| Cabo Verde | CV | Hungary | HU | Norfolk Island | NF | Tunisia | TN |
| Cambodia | KH | Iceland | IS | Northern Mariana Islands | MP | Turkey | TR |
| Cameroon Canada | CM CA | India Indonesia | IN ID | Norway Oman | NO OM | Turkmenistan | TM TC |
| Cayman Islands | KY | Iran, Islamic Republic of | IR | Pakistan | PK | Turks and Caicos Islands Tuvalu | TV |
| Central African Republic | CF | Iraq | IQ | Palau | PW | Uganda | UG |
| Chad | TD | Ireland | IE | Palestine, State of | PS | Ukraine | UA |
| Chile | CL | Isle of Man | IM | Panama | PA | United Arab Emirates | AE |
| China | CN | Israel | ÏL | Papua New Guinea | PG | United Kingdom | GB |
| Christmas Island | CX | Italy | iT | Paraguay | PY | United States | US |
| Cocos (Keeling) Islands | CC | Jamaica | JM | Peru | PE | United States Minor | |
| | | | | | | Outlying Islands | UM |
| Colombia | CO | Japan | JP | Philippines | PH | Uruguay | UY |
| Comoros | KM | Jersey | JE | Pitcairn | PN | Uzbekistan | UZ |
| Congo | CG | Jordan | JO | Poland | PL | Vanuatu | VU |
| Congo, the Democratic | 65 | K. II. | | D 1 | - | V | |
| Republic of the | CD | Kazakhstan | KZ | Portugal | PT | Venezuela, Bolivarian Republic of | VE |
| Cook Islands | CK | Kenya | KE | Puerto Rico | PR | Viset Nam | VN |
| Costa Rica | CR CI | Kiribati | KI public of KP | Qatar Reunion !Réunion | QA RE | Virgin Islands, British Virgin Islands, U.S. | VG VI |
| Cote d'Ivoire !Côte d'Ivoire Croatia | HR | Korea, Democratic People's Re Korea, Republic of | PUBLIC OF KP KR | Reunion !Reunion Romania | RO | Virgin Islands, U.S. Wallis and Futuna | WF |
| Cuba | CU | Kuwait | KW | Russian Federation | RU | Western Sahara | EH |
| Curacao !Curaçao | CW | Kyrgyzstan | KG | Rwanda | RW | Yemen | YE |
| Cyprus | CY | Lao People's Democratic Repub | | Saint Barthelemy !Saint Barthélemy | BL | Zambia | ZM |
| Czech Republic | CZ | Latvia | LV | Saint Helena, Ascension and Tristan | | | |
| | | | | da Cunha | SH | Zimbabwe | ZW |
| Denmark | DK | Lebanon | LB | Saint Kitts and Nevis | KN | | |
| Djibouti | DJ | Lesotho | LS | Saint Lucia | LC | | |
| Dominica | DM | Liberia | LR | Saint Martin (French part) | MF | | |
| | | | STATE | CODES | | | |
| | L | IST OF TWO-DIGIT STATE | / U.T CODES AS | PER INDIAN MOTOR VEHICLE AC | CT, 1988 I | | |
| State/U.T | | | te/U.T | Code | State/U.T | | Cod |
| Andaman & Nicobar | | AN Him | achal Pradesh | HP | Pondicher | Ty . | PY |
| Andhra Pradesh | | AP Jam | nmu& Kashmir | JK | Punjab | | PB |
| Arunachal Pradesh | | | rkhand | JH | Rajasthan | | RJ |
| | | | | KA | Sikkim | | SK |
| Assam | | | nataka | | | | |
| Bihar | | BR Kera | ala | KL | Tamil Nadu | ı | TN |
| Chandigarh | | CH Lak | shadweep | LD | Telengana | | TS |
| Chattisgarh | | | lhya Pradesh | MP | Tripura | | TR |
| | | | narashtra | MH | Uttar Prade | ash | UP |
| ladra and Nagar Hayeli | | | | | | | |
| Dadra and Nagar Haveli | | | | b 4 b 4 | والمستحفظ المستحفظ المستحفظ المستحفظ المستحدد | . al | UA |
| Daman & DILI | | DD Mar | | MM | Uttarakhar | 10 | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | ghalaya | MM ML | West Beng | | WB |
| Daman & DILI | | DL Meg | | | | | |

चालू खाते खोलने के लिए आवश्यक केवाईसी दस्तावेज

| क्रम सं. | संस्था का प्रकार | केवाईसी दस्तावेज | | |
|----------|-----------------------------------|---|--|--|
| 1. | स्वामित्व | स्वामित्व फर्म के नाम पर कारोबार/गतिविधि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज या उसके समतुल्य ई-दस्तावेज भी प्राप्त किए जाएंगे: 1. सरकार द्वारा जारी उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) सिहत पंजीकरण प्रमाणपत्र। 11. दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनयम के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ लाइसेंस। 111. बिक्री एवं आयकर विवरण । 11. पीएसटी/वैट/जीएसटी प्रमाण पत्र। 12. पीएसटी/वैट/जीएसटी प्रमाण पत्र। 13. पीएसटी/वैट/जीएसटी प्रमाण पत्र। 14. विक्रय कर,सेवा कर,व्यावसायिक कर प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र/पंजीकरण दस्तावेज। 15. महानिदेशक,विदेश व्यापार कार्यालय(डीजीएफटी) द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम से जारी आईईसी(आयातक/निर्यातक कूट) संविधि के अंतर्गत स्थापित किसी व्यावसायिक निकाय द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम से जारी लाइसेंस/गतिविधि प्रमाण पत्र। 15. प्रतिष्ठान के एकल स्वामी के नाम से तथा आयकर प्राधिकारियों के द्वारा विधिवत प्रमाणित/अभिस्वीकृत संपूर्ण आयकर विवरणी (केवल पावती नहीं) जिसमें प्रतिष्ठान की आय भी प्रदर्शित हो। 16. पानित्व प्रतिष्ठान के नाम से यूटिलिटी बिल जैसे- बिजली, पानी, लैंडलाइन, टेलीफोन बिल। | | |
| 2. | भागीदारी फर्म | निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतियां या उसके समतुल्य ई-दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे: 1. पंजीकरण प्रमाण पत्र; 11. भागीदारी विलेख; 111. भागीदारी कर्म का स्थायी खाता संख्या; 112. गाभार्थी स्वामी, प्रबंधक, अधिकारी या कर्मचारी, जैसा मामला हो, की ओर से लेनदेन करने के लिए मुख्तारनामा धारक, के संबंध में दस्तावेज जैसा की धारा 2 में निर्दिष्ट है। 123. पाभार्थी स्वामी, प्रबंधक, अधिकारी या कर्मचारी, जैसा मामला हो, की ओर से लेनदेन करने के लिए मुख्तारनामा धारक, के संबंध में दस्तावेज जैसा की धारा 2 में निर्दिष्ट है। 124. भभी भागीदारों के नाम और पंजीकृत कार्यालय और उसके कारोंबार के मुख्य स्थान का पता, यदि वह अलग हो। 125. भभी भागीदारों के नाम से पीओए (मुख्तारनामा) जारी किया गया है ऐसे व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या या फॉर्म 60 या 126. भगी मामले के गामले ने परिचालन का तरीका खाता खोलने के फॉर्म में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए(अर्थात सभी भागीदार संयुक्त रूप से/अलग-अलग (अकेले), भागीदार 1 और 2 संयुक्त रूप से/अलग-अलग (अकेले) आदि) 126. भभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जिसमें सभी लाभार्थी स्वामियों का नाम, उनकी शेयर धारिता, नियंत्रक हित तथा दावेदारी का ब्यौरा शामिल हो (अनुलग्नक।)। 125. सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित भागीदारी पत्र दिनांक क्रमांक क्रमांक | | |
| 3. | लिमिटेड कंपनियां | निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतियां या उसके समतुल्य ई-दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे: 1. निगमन प्रमाण पात्र: 1. संस्था के बहिर्नियम तथा अंतर्नियम; 1. कंपनी का स्थायी खाता संख्या; 1. निदेशक मंडल से संकल्प तथा उसके प्रबंधकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को उसकी ओर से लेनदेन करने के हिए मुख्तारनामा! V. लाभार्थी खाती, प्रबंधक, अधिकारी या कर्मचारी, जैसा मामला हो, की ओर से लेनदेन करने के लिए मुख्तारनामा धारक, के संबंध में दस्तावेज जैसा की धारा 2 में निर्दिष्ट है। वीरष्ठ प्रबंधन पद धारण करने वाले संबंधित व्यक्तियों के नाम: और VII. पंजीकृत कार्यालय और उसके कारोबार के मुख्त स्थान का पता, यदि वह अलग है। III. कंपनी के निमित्त जिनके नमा से पीओए (मुख्तारनामा) जारी किया गया है ऐसे व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या या फॉर्म 60 या IX. पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में कारोबार खुरू होने का प्रमाणपत्र। XI. तर्दमान पत्र के प्रमाण। XII. कोई भी आधिकारिक रूप से वेद दस्तावेज उन लोगों की पहचान जिन्हें मुख्तारनामा के अनुसार खाते का परिचालन करने का अधिकार है (जैसा कि वैयक्तिक खातों पर लागू है) तथा खाते का परिचालन करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों एवं लाभार्थी मालिकों के केवाईसी विवरण। XII. संयुक्त पुजी कंपनियों के रीक्टर से इस आश्रय का दिनांक | | |
| | | XV. सभी संबद्ध व्यक्तियों अथवा लाभार्थी स्वामियों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य प्रवर्तक आदि के पैन, प्रत्येक लाभार्थी स्वामी के लिए अलग अनुलग्नक ॥ प्राप्त किया जाना चाहिए। | | |
| 4. | सोसाइटी/ एसोसिएशन/ क्लब | अनिगमित एसोसिएशन या वैयक्तिक निकायों के खातों हेतु यथा लागू केवाईसी दस्तावेज संस्था के पैन कार्ड या फॉर्म 60 की प्रति अन्य दस्तावेज 1. दिनांक को पंजीकृत संस्था के बहिनियम और दिनांक का संस्था के अंतर्नियम की प्रति प्राप्त की जानी चाहिए। 2. खाता खोलने हेतु प्रबंधन निकाय का संकल्प। 3. खाता संचालने हेतु प्रबंधन निकाय का संकल्प। 3. खाता संचालने हेतु समिति की नियम एवं शर्ते दिनांक | | |
| 5. | हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) | निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाए: 1. संयुक्त हिंदू परिवार पत्र दिनांक | | |
| 6. | द्रस्ट | निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतियां या उसके समतुल्य ई-दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे: 1. पंजीकरण प्रमाणपत्र; 2. न्यास विलेख; 3. न्यास का स्थायी खाता सं. (पैन कार्ड) या फॉर्म 60; 4. लाभार्थी स्वामी, प्रबंधक, अधिकारी या कर्मचारी, जैसा मामला हो, की ओर से लेनदेन करने के लिए मुख्तारनामा धारक, के संबंध में दस्तावेज जैसा की धारा 2 में निर्दिष्ट है। 5. ट्रस्ट के लाभकारियों, ट्रस्टी, सेटलर और प्रवर्तकों के नाम 6. ट्रस्ट के पंजीकृत कार्यालय का पता; और ट्रस्टियों एवं दस्तावेजों की सूची, जैसा कि ट्रस्टी के रूप में भूमिका निभाने वाले और ट्रस्ट की ओर से लेनदेन करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों से संबंधित धारा 2 के तहत व्यक्तियों हेतु अपिक्षित हैं। 7. ट्रस्ट के स्थान पर मुख्तरनामा धारक व्यक्ति को जारी किया गया पैन नंबर अथवा फॉर्म 60। 8. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जिसमें सभी लाभकारी स्वामियों के नाम तथा उनकी शेयर धारिता/ नियंत्रक हित/ दावेदारिया के ब्यौरा शामिल हो। (अनुबंध III) 9. चेक हस्ताक्षर करने, प्राधिकार सौंपने, पैसा उधार लेने आदि के लिए न्यासियों की शक्तियों पर विशेष जोर देने के साथ-साथ न्यास विलेख दिनांक | | |

KYC Documents Required for opening Current Accounts:

| SINo | Type of Entity | KYC Documents |
|------|---------------------------------|---|
| | | |
| 1 | Proprietorship | Any two of the following documents or the equivalent edocument thereof as a proof of business / activity in the name of the proprietary firm shall also be obtained: (i) Registration certificate including Udyam Registration Certificate (URC) issued by the Government. (ii) Certificate / Licence issued by the municipal authorities under Shop and Establishment Act. (iii) Sales and income tax returns. (iv) CST / VAT / GST certificate. (v) Certificate / registration document issued by Sales Tax / Service Tax / Professional Tax authorities. (vi) IEC (Importer Exporter Code) issued to the proprietary concern by the officeof DGFT / Licence / certificate of practice issued in the name of the proprietary concern by any professional body incorporated under a statute. (vii) Complete Income Tax Return (not just the acknowledgement) in the name of the sole proprietor where the firm's income is reflected, duly authenticated / acknowledged by the Income Tax authorities. |
| 2 | Partnership Firms | The certified copies of each of the following documents or the equivalent e-documents thereof shall be obtained: (i) Registration certificate; (ii) Partnership deed; (iii) Permanent Account Number of the partnership firm; (iv) Documents, as specified in Section 2, relating to beneficial owner, the managers, officers or employees, as the case may be, holding an attorney to transact on its behalf (v) The names of all the partners and address of the registered office, and the principal place of its business, if it is different. (vii) PAN or Form60 issued to the person holding POA on its behalf (viii) Mode of operation in case of Partnership to be indicated clearly in AOF (Viz. All Partners jointly/severally (singly), Partner 1 & 2 jointly/severally (singly) etc.) (ix) A declaration containing the names of all the beneficial owners together with their shareholding/controlling interest/stake duly signed by the authorized signatory. (AnnexureIV) (x) Partnership letter dated |
| 3 | Limited Companies | (ii) Certified copies of each of the following documents or the equivalent e-document thereof shall be obtained: (iii) Memorandum and Articles of Association; (iiii) Memorandum and Articles of Association; (iv) Permanent Account Number of the company; A resolution from the Board of Directors and power of attorney granted to its managers, officers or employees to transact on its behalf; (iv) Documents, as specified in Section 2, relating to beneficial owner, the managers, officers or employees, as the case may be, holding an attorney to transact on the company's behalf. (ivi) the names of the relevant persons holding senior management position: and (ivii) the registered office and the principal place of its business, if it is different. (iv) PAN or Form60 issued to the person holding POA to transact on company's behalf. (iv) CIN no. (iv) CIN no. (iv) Crificate of Registrar of Joint Stock Companies dated |
| 4 | Societies/ Association/Clubs | (XV) PAN of the Chairman/Managing Director/Chief Promoter etc. of all Related persons or beneficial owners, Separate Annexure II for each beneficial owner to be. KYC Documents as applicable to Accounts of unincorporated Associations or Body of Individuals. Copy of the PAN or Form 60 of the Entity. Other Documents |
| | | Copy of the Memorandum of Association registered onand Articles of Association datedObtained. Resolution of managing body for opening the account Copy of the By Laws datedand resolution datedOf the Society, regarding the conduct of the account, obtained. Government/Military Order datedobtained (whichever applicable). PAN of Chairman/ MD/ Chief Promoter/Secretary etc. of all Related persons or Beneficial owners, Separate Annexure II foreach beneficial owner to be obtained. |
| 5 | Hindu Undivided Family (HUF) | Certified copies of each of the following documents shall be obtained: (i) Joint Hindu Family Letter dated, signed by all the adult coparceners. (ii) Identification information as mentioned under Section 2 in respect of the Karta and Major Coparceners. (iii) Declaration of HUF and its Karta. (iv) Recent Passport photographs duly self-attested by major co-parceners alongwith their names and addresses. (v) The Permanent Account Number or the equivalent e-document thereof or FormNo. 60 as defined in Income-tax Rules, 1962 (vi) On death of a coparcener, birth of a coparcener and a minor coparcener at attaining majority (18years), a fresh JHF letter has to be executed Declaration that a) the depositor is the Karta of the Joint Family, b) the deposit belongs to JHF |
| 6 | Trusts | Certified copies of each of the following documents or the equivalent e-documents thereof shall be obtained: (i) Registration certificate; (ii) Trust deed; (iv) Documents, as specified in Section 2, relating to beneficial owner, the managers, officers or employees, as the case may be, holding an attorney to transact on its behalf the names of the beneficiaries, trustees, settlor and authors of the trust (vi) The address of the registered office of the trust; and list of trustees and documents, as are required for individuals under Section 2 for those discharging role as trustee and authorised to transact on behalf of the trust. (vii) Permanent Account Number or Form60 issued to the person holding POA on trust behalf (viii) A declaration containing the names of all the beneficial owners together with their shareholding/controlling interest/stake duly signed by the authorized signatory. (Annexure III) (ix) Copy of relevant extracts of trust deed dated obtained and perused, with special emphasis on the power of the trustees to sign cheques, delegation of authority, borrow money etc. The relevant portions are entered in the power of attorney register. A copy of the Resolution (x) All Trust Accounts to be invariably assigned "High Risk" |

चालू खाते खोलने के लिए आवश्यक केवाईसी दस्तावेज

| क्रम सं. | संस्था का प्रकार | केवाईसी दस्तावेज |
|----------|--|--|
| 7. | अनिगामित संगठन या व्यक्तियों का निकाय | निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतियां या उसके समतुल्य ई-दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगेः 1. ऐसे संगठन या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंधन निकाय का संकल्य 2. निगमित संगठन या व्यक्तियों के निकाय का स्थायी खाता संख्या या फॉर्म नं 60 3. उनकी तरफ से लेनदेन करने के लिए दिया गया मुख्यारनामा 4. लाभार्थी स्वामी, प्रबंधक, अधिकारी या कर्मचारी, जैसा मामला हो, की ओर से लेनदेन करने के लिए मुख्यारनामा धारक और बैंक द्वारा अपेक्षित ऐसी कोई सूचना जिसके माध्यम से विधिक रूप से इस प्रकार के संगठन अथवा व्यक्तियों के निकायों की मौजूदगी सुनिश्चित हो सके, से संबंधित दस्तावेज जैसा की धारा 2 में निर्दिष्ट है। स्पष्टीकरण: अपंजीकृत ट्रस्ट/ भागीदारी फर्म 'अनिगमित संगठन' शब्द के तहत शामिल किया जाएगा। स्पष्टीकरण: अद्यंजीकृत के जोरी स्थायी खाता संख्या अथवा फॉर्म 60 6. बैंक द्वारा अपेक्षित ऐसी कोई सूचना जिसके माध्यम से विधिक रूप से इस प्रकार के संगठन अथवा व्यक्तियों के निकायों की मौजूदगी सुनिश्चित हो सके। 7. राजनीतिक दलों के मामले में ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के अलावा यह 4 और दस्तावेज संलग्न करने होंगे- 1. निर्वाचन आयोग द्वारा यह पृष्टि करते हुए प्रमाण पत्र कि उत्तर राजनैतिक दल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 29(क) के अंतर्गत पंजीकृत है तथा उक्त दल को लोकसभा अथवा विधानसभा हेतु आयोजित विगत साधारण निर्वाचन स्थितिकों भी हो में कम से कम एक प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। 1. राजनैतिक दल के ज्ञापन अथवा नियम एवं विनियम 1. ग्राजनीतिक दल के ज्ञापन अथवा नियम एवं विनियम 1. ग्राजनीतिक दल के ज्ञापन अथवा नियम एवं विनियम 1. ग्राजनीतिक दल के ज्ञापन अथवा नियम एवं विनियम 1. ग्राजनीतिक दल के ज्ञापन अथवा नियम एवं विनियम 1. ग्राजनीतिक दल के ज्ञापन अथवा नियम एवं विनियम 1. ग्राजनित करन के ज्ञापन अथवा नियम करने हेतु दस्तावेज निष्पादको, प्रशासको और परिसमापकों हेतु पहचान का प्रमाण। |
| 8. | निष्पादक, प्रशासक और परिसमापक | निष्पादक, प्रशासक और परिसमापक के पहचान का प्रमाण 1. प्रोबेट अथवा प्रशासकीय पत्र या कंपनी अधिनियम दिनांक |
| 9. | सरकारी प्राधिकरण और न्यायिक व्यक्ति | सोसायटी, विश्वविद्यालय और स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत आदि, या जो ऐसे न्यायिक व्यक्ति या व्यक्तियों या ट्रस्ट की ओर से कार्य करने का इरादा रखते हैं, निम्नलिखित दस्तावेजों या उनके समकक्ष दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाएंगी और सत्यापित की जाएंगी: क) संस्था की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के नाम को दर्शाने वाला दस्तावेज ख) उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए मुख्तारनामा धारक व्यक्ति, के दस्तावेज जैसा की धारा 2 में निर्दिष्ट है। ग) ऐसी संस्था/न्यायिक व्यक्ति के कानूनी अस्तित्व को स्थापित करने के लिए बैंक द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज़। |

आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज :

आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेजों की सूची में सिर्फ निम्न पांच है :-

- पासपोर्ट 1.
- 2.
- आधार संख्या होने का प्रमाणः जहां ग्राहक आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज के रूप में आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, वह ऐसे स्वरूप में उसे प्रस्तुत करें जैसा कि भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो। 3.
- भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र।
- एनआरईजीए (नरेगा) द्वारा जारी जॉब कार्ड जो राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो।
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पते का विवरण हो (आधार और पैन अनिवार्य है और यह आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेजों के भाग नहीं है)

आधिकारिक तौर पर मान्य वैध दस्तावेज

पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए निम्न दस्तावेज आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज होंगे:

- कोई भी सेवा प्रदाता के उपभोक्ता बिल, जो दो महीने से ज्यादा पुराने ना हो (बिजली, टेलीफोन, पोस्टपैड, मोबाइल फोन, पाइण्ड गैस, पानी बिल)
- संपत्ति या नगर निगम कर रसीद (नवीनतम्)।
- सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवत कर्मचारियों को जारी किया गया पेंशन या परिवार पेंशन भगतान आदेश (पीपीओ) जिसमें उनके पते शामिल हो।
- राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वितीय संस्थानों, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोक्ता से आवास आवंटन का पत्र और आधिकारिक आवास आवंटन करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ अवकाश एवं लाइसेंस करार।

लाभार्थी स्वामी कौन है।

धन शोधन निवारण संशोधित अधिनियम 2013 के नियम 9(3) के अनुसार लाभार्थी स्वामी का निर्धारण निम्नानुसार किया गया

जहां ग्राहक कोई कंपनी है, लाभार्थी स्वामी वह वास्तविक व्यक्ति है, जो चाहे अकेले या संयुक्त रूप से अथवा एक या क अधिक विधिक व्यक्ति के माध्यम से नियंत्रण रखता है, जिसके पास नियंत्रक स्वामित्व हित है या जो अन्य माध्यमों के जरिए नियंत्रण करता है।

इस उपखंड के लिए स्पष्टीकरण

- नियंत्रक स्वाभित्व हित' का अर्थ कंपनी के शेयर या पूंजी या लाभ के 10% से अधिक के स्वामित्व या पात्रता से है। 'नियंत्रण' में अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति करने का या प्रबंधन पर नियंत्रण करने का या नीतिगत निर्णयों के नियंत्रण का अधिकार शामिल है जो उनके शेयर धारिता या प्रबंधन अधिकार या शेरधारक करार या मताधिकार करार के आधार
- जहाँ ग्राह्क भागीदारी संस्था है, लाभार्थी स्वामी वह वास्तविक व्यक्ति है (हैं) जो अकेले या संयुक्त रूप में अथवा एक या अधिक विधिक व्यक्ति के जरिए भागीदारी की पूंजी या लाभ के 10% के स्वामी या हकदार है। या जो अन्य माध्यम से नियंत्रण करता है। स्पष्टीकरण: इस क्लॉज के उद्देश्य हेतु "नियंत्रण" में प्रबंधन या नीति संबंधी निर्णय का नियंत्रण करने का अधिकार शामिल होगा।
- जहाँ ग्राहक अनिगामित संगठन या व्यक्तियों का निकाय है, लाभार्थी स्वामी वह वास्तविक व्यक्ति है, जो अकेले या संयुक्त रूप से अथवा एक या अधिक विधिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य क्रता है, जिसके पास संगठन या व्यक्तियों के निकाय की संपत्ति पंजी या लाभ के 15% से अधिक का स्वामित्व या पात्रता है:
- स्पष्टीकरण: 'व्यक्तियों के निकाय' शब्द में समितियां भी शामिल है, जहां उपर्युक्त (क) (ख़) और (ग) के अनुसार वास्तविक व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है वहां लाभार्थी स्वामी का आशय उस संबंधित वास्तविक व्यक्ति से है जो कि वरिष्ठ प्रबंधन पद पर कार्यरत है।
- प्रबंधन पद पर कार्या है। जहाँ ग्राहक न्यास है, तो लाभार्थी स्वामी की पहचान के अंतर्गत न्यास के व्यवस्थापक, न्यासी, न्यास में 10% या उससे अधिक के हित रखने वाले लाभार्थी और नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर मूलभूत प्रभावकारी नियंत्रण रखने वाले वास्तविक व्यक्ति की पहचान शामिल है।
- जहां नियंत्रण हित का ग्राहक या स्वामी, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी या उसकी सहयोगी कंपनी है, तो ऐसी कंपेनियों के किसी शेयरधारेक या लाभार्थी स्वामी की पहचान एवं उस पहचान के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।

| | यहां से काट दें(कृपया सुनिश्चित करें कि काटते समय उपयुक्त मशीन द्वारा पढ़े जाने वाले कोड को क्षति न पहुंचे) | |
|---------------------------|---|--|
| | पावती | |
| 1.नाम : | दिनांक : | |
| 2.जमा किए गए दस्तावेज (I) | | |
| (II) | (III) | |
| (1) () | 0.0 | |

शाखा प्रबंधक

KYC Documents Required for opening Current Accounts:

| SINo | Type of Entity | KYC Documents |
|------|---|---|
| 7 | Unincorporated association or body of individuals | Certified copies of each of the following documents or the equivalent edocument thereof shall be obtained: (i) Resolution of the managing body of such association or body of individuals; (ii) Permanent account number or Form No.60 of the unincorporated association or a body of individuals; (iii) Power of attorney granted to transact on its behalf; (iv) Documents, as specified in Section 2, relating to beneficial owner, the managers, officers or employees, as the case may be, holding an attorney to transact on its behalf and such information as may be required by the Bank to collectively establish the legal existence of such an association or body of individuals. Explanation: Unregistered trusts / partnership firms shall be included under the term 'unincorporated association'. Explanation: Term 'body of individuals' includes societies (v) Permanent Account Number or Form60 issued to the person holding POA on its behalf Such information as may be required by the bank to collectively establish the legal existence of such an association or body of individuals. (vii) In case of Political parties along with above mentioned document these 4 other documents will also be attached: a. Certificate from the Election Commission confirming that "the political party is registered under section 29A of Representation of people Act,1951 (43of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last general election to the House of the People or the Legislative Assembly, as the case may be". b. Memorandum or Rules and regulations of the political party. c. Photograph of the person who has been Authorized to transact the account, i.e. to whom Power of Attorney is granted. d. Documents in respect of proof of address of the political party |
| 8 | Executors, Administrators and Liquidators | Proof of Identity for Executors, Administrators and Liquidators 1. Probate or letter of administration or authority under the Companies Act dated |
| 9 | Govt. Authorities & Juridical Persons | Societies, universities and local bodies like village panchayats, etc., or who purports to act on behalf of such juridical person or individual or trust, certified copies of the following documents or the equivalent edocuments there of shall be obtained and verified: (i) Document showing name of the person authorised to act on behalf of the entity; (ii) Documents, as specified in Section 2, of the person holding an attorney to transact on its behalf. (iii) Such documents as may be required by the Bank to establish the legal existence of such an entity/juridical person |

Officially Valid Documents:

The list of OVDs consist only the following Five:

- 1. Passport
- 2. Driving licence
- 3. Proof of possession of Aadhaar Number: Where the customer submit his proof of position of Aadhaar Number as on OVD, he may submitted in such form as are issued by the Unique Identification Authority of India.
- 4. Voter's Identity Card issued by Election Commission of India
- 5. Job card issued by NREGA duly signed by an officer of the State Government
- 6. Letter issued by the National Population Register containing details of name, address.
 - (Aadhaar and PAN are MANDATORY and not part of OVDs)

Deemed Officially Valid Documents

The Following documents shall be deemed to be officially valid documents for the limited purpose of proof of address:

- (i) Utility bill which is not more than two months old of any service provider (electricity, Telephone, post-paid mobile phone, piped gas, water bill).
- (ii) Property or Municipal Tax Receipt (Latest)
- (iii) Pension or Family Pension Payment Orders (PPOs) issued to retired employees by Government Departments or Public Sector Undertakings, if they contain the address
- (iv) Letter of allotment of accommodation from employer issued by State Government or Central Government Departments, statutory or regulatory bodies, Public Sector Undertakings,

Scheduled Commercial Banks, Financial Institutions and Listed Companies and leave and license agreements with such employers allotting official accommodation.

WHO IS A BENEFICIAL OWNER:

The beneficial owner, as per Rule 9 (3) of PML Amendment Rules 2013 is determined as under:

- The beneficial owner, as per Rule 9(3) of PML Amendment Rules 2013 is determined as under:

 (a) Where the customer is a company, the beneficial owner is natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has/have a controlling ownership interest or who exercises control through other means.
 - Explanation.-For the purpose of this sub-clausei) "Controlling ownership interest" means ownership of or entitlement to more than 10% of shares or capital or profits of the company;
 - ii) "Control" shall include the right to appoint majority of directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or managementrights or shareholders agreements or voting agreements.
- (b) Where the customer is a partnership Firm, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting along or together, or through one or more juridical person, has/have ownership of / entitlement to more than in 10% of capital or profits of partnership; Or who exercise control through other means. Explanation: For the purpose of this caluse, "control" shall include the right to control the managementor policydecision.
- (c) Where the customer is an unincorporated association or body of individuals, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting along or together, or through one or more juridical person, has/have ownership of or entitlement to more than 15% of the property or capital or profits of such associations or body of individuals; Explanation: Term 'body of individuals' includes societies. Where no natural person is identified under (a), (b) or (c) above, the beneficial owner is the relevant natural person who holds the position of senior managing of ficial
- who holds the position of senior managing official.

 Where the client is the trust, the identification of the beneficial owner(s) shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with 10% or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership.
- over the trust through a chain of control or ownership.

 (e) Where the client or the owner of the controlling interest is a company listed on a stock exchange or is a subsidiary of such a company, it is not necessary to identify and verify the identity of any share holder or beneficial owner of such companies.

| TEAR FROM HERE (| (Please make sure the above machine readable code is not damaged while tearing off) · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
|----------------------------|--|--|
| | ACKNOWLEDGEMENT | |
| I. NAME: | DATE: | |
| 2. DOCUMENTS DEPOSITED (I) | | |
| (II) | (III) | |
| (1)/) | M | |

BRANCH MANAGER

हम आयकर नियम, 1962 के नियम 114 एफ से 114 एच के तहत अपनी इकाई की स्थिति को सीबीडीटी अधिसूचना संख्या SO2155 (E) दिनांक 7 अगस्त 2015 और आरबीआई परिपन्न सन्दर्भ सं. DBR.AML.BC.No.36/14.01.001/2015-16 दिनांक 28 अगस्त 2015 के माध्यम से निम्नवत अधिसूचित करते हैं।

| | वित्तीय संस्थान की स्थिति पर निशान लगायें | | | | हाँ | नहीं |
|---------|--|-------------------|-------------|--|-------------------------------|------|
| | इकाई का नाम | | | | | |
| 1. 以) | निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) संस्थान | | | | | |
| बी) | संरक्षक संस्थान | | | | | |
| सी) | निवेश इकाई जो निष्क्रिय एनएफई नहीं है | | | | | |
| डी) | निर्दिष्ट बीमा कंपनी | | | | | |
| 2. | स्वामी- आधारभूत यूएस स्वामी(ओं) के साथ प्रलेखित वित्ती | य संस्था (अनुबंध- | II के अनुसा | र आधारभूत यूएस स्वामी का विवरण प्राप्त किया जाना है) | | |
| 3. | वित्तीय रिपोर्टिंग संस्थान | | | | | |
| 4. | यदि उपर्युक्त 2 या 3 हाँ है, तो कृपया वैश्विक मध्यवर्ती पह | वान संख्या (जीआई | आईएन) प्रव | इान करें | | |
| 5. | गैर-भागीदारी वित्तीय संस्थान | | | | | |
| 6. | गैर-रिपोर्टिंग वित्तीय इकाई (यदि हां, तो कृपया नीचे दी गई | तालिका में किसी | एक श्रेणी प | रर निशान लगाएं) | | |
| क्रमांक | एनआरएफआई की श्रेणी | (√) | क्रमांक | एनआरएफआई की श्रेणी | | (√) |
| 1. | सरकारी इकाई; | | 13. | भविष्य निधि | | |
| 2. | अंतरराष्ट्रीय संगठन ; | | 14. | एक भारतीय निवेश इकाई जो पूरी तरह से एनआरएफआई द्वारा धार्म (xiii) में संदर्भित किया गया है और जहां कोई ऋण ब्याज किसी डि एनआरएफआई द्वारा रखा गया है, उसे ऊपर (i) से (xiii) में संदर्भि | पॉजिटरी संस्था या | |
| 3. | केंद्रीय बैंक; | | 15. | पात्र क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता; | | |
| 4. | ट्रीटी क्वालिफाइड रिटायरमेंट फंड; | | 16. | सीबीडीटी नियमों के अनुसार निर्दिष्ट निवेश इकाई (नियम 114एफ(5 |)(एफ)); | |
| 5. | नैरो पार्टिसिपेशन रिटायरमेंट फंड; | | 17. | छूट प्राप्त सामूहिक निवेश वाहन; | | |
| 6. | ब्रॉड पार्टिसिपेशन रिटायरमेंट फंड; | | 18. | ट्रस्टी-डोकुमेंटेड इंडियन ट्रस्ट; | | |
| 7. | किसी सरकारी संस्था की पेंशन निधि; | | 19. | स्थानीय ग्राहक आधारित वित्तीय संस्थान; | | |
| 8. | अंतरराष्ट्रीय संगठन की पेंशन निधि; | | 20. | स्थानीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, (राज्य सहक सहकारी बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक सहित) बशर्ते कि संपत्ति नियम 1 (5) के स्पष्टीकरण (ओ) के दायरे में आती हो; | | |
| 9. | सेंट्रल बैंक की पेंशन निधि; | | 21. | केवल कम मूल्य खातों वाले वित्तीय संस्थान; | | |
| 10. | सशस्त्र बलों का गैर-सार्वजनिक निधि; | | 22. | प्रायोजित निवेश इकाई और नियंत्रित विदेशी निगम (यूएस रिपोर्ट क | रने योग्य खाते के मामले में) | ; |
| 11. | कर्मचारी राज्य बीमा कोष; | | 23. | प्रायोजित सीमित धारिता वाली निवेश वाहन (किसी भी अमेरिकी रिप | ोर्ट योग्य खाते के मामले में) | |
| 12. | ग्रेच्युटी फंड; | | 24. | एक भारतीय निवेश इकाई जो पूरी तरह से एनआरएफआई द्वारा धाि से (xiii) में संदर्भित किया गया है और जहां कोई ऋण ब्याज किसी एनआरएफआई द्वारा रखा गया है, उसे ऊपर (i) से (xiii) में संदर्भि | डिपॉजिटरी संस्था या | |
| 7. | प्रायोजित निवेश इकाई | | | | | |
| ए) | प्रायोजित इकाई का जीआईआईएन | | | | | |

| हम प्रमाणि | ोत कर | ते हैं वि | के सी | बीडीटी | नियम | ों/आर | बीआई | दिशा | गानिर्देशों के अनुसार हम वित्तीय संस्थान की ओर से हस्ताक्षर करने के पात्र है। |
|------------|-------|-----------|-------|--------|------|-------|------|------|---|
| तारीखः | | | | | | | | | |
| स्थानः _ | | | | | | | | | |

हस्ताक्षर इकाई के अधिकृत व्यक्ति का नाम We declare and certify our entity status under Rules 114F to 114H of the Income tax Rules, 1962 notified vide CBDT Notification No. S.O. 2155(E) dated 7 August 2015 and RBI Circular Ref No. DBR.AML.BC.No.36/14.01.001/2015-16 dated 28 August 2015, as under:

| | | Tick status of Financial Institution | | | | Yes | | Vo | | | | | | | |
|----|-------|--|--|-------------|--|------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Name of Entity | | | | | | | | | | | | | |
| | a) | Depository Institution | | | | | | | | | | | | | |
| | b) | Custodial Institution | | | | | | | | | | | | | |
| | c) | Investment Entity which is not a passive NFE | | | | | | | | | | | | | |
| | d) | Specified Insurance Company | | | | | | | | | | | | | |
| | | Owner-Documented FI with substantial US owner | | | | | | | | | | | | | |
| i. | | Reporting Financial Institution | | | | | | | | | | | | | |
| ١. | | If 2 OR 3 above is yes, please provide Global Interm | ediary Ident | ification N | lumber (GIIN) | | | | | | | | | | |
| i. | | Non-Participating Financial Institution | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Non-Reporting Financial Entity (If Yes , Please Tick | one of the c | ategory in | the Table below) | | | | | | | | | | |
| | S No. | Category of NRFI | (✓) | S No. | Category of NRFI | | | (✓) | | | | | | | |
| | 1. | Governmental Entity; | | 13. | Provident fund | | | | | | | | | | |
| | 2. | International Organisation; | | 14. | An Indian investment entity which is wholly held by NRI referred to in (i) to (xiii) above and where any debt inter held by a depository institution or NRFIs referred to in (| est is | | | | | | | | | |
| | 3. | Central Bank; | | 15. | Qualified credit card issuer; | | | | | | | | | | |
| | 4. | Treaty Qualified Retirement Fund; | | 16. | Specified Investment entity as per CBDT rules (Rule 11 | 4F(5)(f)); | | | | | | | | | |
| | 5. | Narrow Participation Retirement Fund; | | 17. | Exempt collective investment vehicle; | | | | | | | | | | |
| | 6. | Broad Participation Retirement Fund; | | 18. | Trustee-documented Indian Trust; | | | | | | | | | | |
| | 7. | Pension Fund of a Governmental Entity; | | 19. | Financial Institution with a local client base; | | | | | | | | | | |
| | 8. | Pension Fund of an International Organisation; | | 20. | Local Bank (including Regional Rural Bank, Urban Coope State Cooperative Banks / District Central Cooperative Local Area Banks provided that the assets test as in Exp to Rule 114F(5); | Banks, | | | | | | | | | |
| | 9. | Pension Fund of a Central Bank; | | 21. | Financial Institution with only low-value accounts; | | | | | | | | | | |
| | 10. | Non-public fund of the armed forces; | Sponsored investment entity and controlled foreign corporation (in case of any U.S. reportable account); | | | | | | | | | | | | |
| | 11. | Employees' state insurance fund; | | | | | | | | | | | | | |
| | 12. | Gratuity Fund; | An Indian investment entity which is wholly held by NRF to in (i) to (xiii) above and where any debt interest is held depository institution or NRFIs referred to in (i) to (xiii) a | d by a | | | | | | | | | | | |
| ·. | | Sponsored Investment Entity | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | a) | GIIN of Sponsored entity | | | | | | | | | | | | | |

| We cert | ify tha | at we | have | the c | apaci | ty to | sign | for th | e Financial Institution as per CBDT rules/RBI guidelines. |
|----------|---------|-------|------|-------|-------|-------|------|--------|---|
| Date: | | | | | | | | | |
| Place: _ | | | | | | | | | |

SIGNATURE(S)
NAME OF THE AUTHORIZED PERSON OF ENTITY

| नियंत्रणकर्ता व्यक्ति-सीपी (केवल निष्क्रिय एनएफई के लिए)/संबंधित व्यक्ति-आरपी/लाभार्थी स्वामी का व्यक्तिगत विवरण (प्रत्येक नियंत्रणकर्ता व्यक्ति/संबंधित व्यक्ति/लाभकारी स्वामी के लिए अलग-अलग फॉर्म भरा जाए) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| केवल कार्यालय उपयोग हेतु । शाखा को नाम और कोड नंबर वाली रबर की | मुहर लगानी होगी | | | | | | | | | | | | | |
| आवेदन का प्रकार* नया अद्यतन | नियंत्रणकर्ता व्यक्ति/ संबंधित व्यक्ति/ | | | | | | | | | | | | | |
| आवेदक (सीपी/आरपी) सीआईएफ नं: | लाभार्थी स्वामी की फोटो | | | | | | | | | | | | | |
| सीपी/आरपी) खाता सं.: | | | | | | | | | | | | | | |
| संस्था का नाम: | | | | | | | | | | | | | | |
| संस्था की खाता सं. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. नियंत्रणकर्ता व्यक्ति/संबंधित व्यक्ति/लाभार्थी स्वामी का विवरण* (कृपया सामान्य अनुदेश को देखें): | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. क नियंत्रणकर्ता व्यक्ति का विवरण (पैंसिव एनएफई के लिए): | | | | | | | | | | | | | | |
| नियंत्रणकर्ता व्यक्ति को जोड़ना नियंत्रणकर्ता व्यक्ति को हटाना नियंत्रणकर्ता व्यक्ति का विवरण अद्यतन करना | | | | | | | | | | | | | | |
| | पलब्ध है, तो केवल 'नियंत्रण का प्रकार' और 'नाम' अनिवार्य है) | | | | | | | | | | | | | |
| नियंत्रण का प्रकार*: | पराष्ट्र हे, ता क्रवरा मिन्न्य का प्रकार जार गान जागवान है) | | | | | | | | | | | | | |
| | भार्थी अन्य | | | | | | | | | | | | | |
| न्यास के मामले में: व्यवस्थापनकर्ता न्यासी संरक्षक ला | भार्थी -समतुल्य जन्य- समतुल्य | | | | | | | | | | | | | |
| अन्य विधिक | | | | | | | | | | | | | | |
| अन्य ।वाधक व्यवस्था के मामले में: व्यवस्थापनकर्ता -समतुल्य न्यासी -समतुल्य संरक्षक-समतुल्य अप | रिचित व्यक्ति के मामले में | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ख संबंधित व्यक्ति का विवरण | | | | | | | | | | | | | | |
| संबंधित व्यक्ति को जोड़ना संबंधित व्यक्ति को हटाना संबंधित व्यक्ति का विवरण अद्यतन करना | | | | | | | | | | | | | | |
| संबंधित व्यक्ति की सीकेवाईसी सं (यदि उपलब्ध हो*): | bवाईसी नंबर उपलब्ध है, तो केवल 'संबंधित व्यक्ति प्रकार' और 'नाम' अनिवार्य है) | | | | | | | | | | | | | |
| संबंधित व्यक्ति का प्रकार*: निदेशक प्रवर्तक कर्ता न्यासी भ | ागीदार अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता | | | | | | | | | | | | | |
| बॉक्स: पर टिक किया जा सकता है -यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी लाभार्थी लाभार्थी लाभार्थी (पृष्ठ सं.10 परिभाषा देखें) | अन्य | | | | | | | | | | | | | |
| 2. व्यक्तिगत विवरण* (कृपया अंत में दिए गए अनुदेश जी II देखें) | | | | | | | | | | | | | | |
| उपपद प्रथमनाम मध्यनाम | अंतिमनाम | | | | | | | | | | | | | |
| नाम (आईडी प्रमाण के समान)*: | | | | | | | | | | | | | | |
| नाम* पिता का माता का जीवनसाथी का (तीन में से एक अनिवार्य है, पैन उपलब्ध नहीं होने पर पित | ता का नाम अनिवार्य है) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| डीआईएन (निदेशक पहचान सं.): | र्यक्ति का प्रकार निदेशक है तो अनिवार्य है) | | | | | | | | | | | | | |
| जन्म तिथि *: D D M M Y Y Y Y | | | | | | | | | | | | | | |
| लिंगः एम-पुरुष एफ-महिला तृतीय लिंग | | | | | | | | | | | | | | |
| वैवाहिक स्थिति*: विवाहित एकल अन्य राष्ट्रीयता*: आईएन- भारतीय | देश कोड अन्य (आईएसओ 3166) | | | | | | | | | | | | | |
| आवासीय स्थिति*: व्यक्तिगत निवास गैर निवासी भारतीय विदेश राष्ट्रिक | भारतीय मूल का व्यक्ति | | | | | | | | | | | | | |
| नागरिक*: भारतीय अन्य | | | | | | | | | | | | | | |
| पेशे का प्रकार*: एस-सेवा (सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र) | | | | | | | | | | | | | | |
| O- अन्य (| विद्यार्थी) | | | | | | | | | | | | | |
| बी- व्यवसाय गैर-वर्गीकृत | | | | | | | | | | | | | | |
| राजिनतिक रूप से जोखिम वाले व्यक्तिः हाँ नहीं पीईपी की परिभाषाः राजिनतिक रूप से जोखिम वाले व्यक्ति ऐर सींपा गया है जैसे राज्यों,सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिश कार्यपालक, महत्वपूर्ण राजनैतिक पार्टी के पदाधिकारी, आदि। | से व्यक्ति हैं जिन्हें किसी दूसरे देश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य का दायित्व ष्ठ सरकारी/न्यायिक/सैनिक अधिकारी, राज्य स्वाधिकृत निगमों के वरिष्ठ | | | | | | | | | | | | | |
| कर निवासी का देश कोड*: (आईएसओ 3166) (भारत के लिए कोड "आईएन" है) | | | | | | | | | | | | | | |
| केवल भारत में कर निवासी का देश हो और किसी और देश या भारत के बाहर के केंद्रशासित का न हो* | (यदि नहीं, है तो कृपया कॉलम 6 एवं 7 में विवरण भरें) | | | | | | | | | | | | | |

| PERSONAL DETAILS OF CONTROLLING PERSON-CP (FOR PASSIVE NFE ONL | y) / RELATED PERSON-RP/ BENEFICIAL OWNER ANNEXURE – II | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (SEPARATE FORM FOR EACH CONTROLLING PERSON / RELATED PERSON/BENEFICIAL OWNER TO BE | FILLED IN) | | | | | | | | | | | | | |
| FOR OFFICE USE ONLY | BRANCH TO AFFIX RUBBER STAMP OF NAME AND CODE NO. PHOTOGRAPH OF THE | | | | | | | | | | | | | |
| APPLICATION TYPE* NEW UPDATE | CONTROLLING PERSON/ | | | | | | | | | | | | | |
| APPLICANT (CP/RP) CIF NO.: | RELATED PERSON/ | | | | | | | | | | | | | |
| CP/RP Account No.: | BENEFICIAL OWNER. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTITY NAME: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. DETAILS OF CONTROLLING PERSON / RELATED PERSON / BENEFICIAL OWNER * (Please refer General Instruction): | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ADDITION OF CONTROLLING PERSON DELETION OF CONTROLLING PERSON DETAILS (IF CKYC NUMBER IS ANALARIE ONLY CONTROLLING TYPE'S NAME IS | | | | | | | | | | | | | | |
| UE CAVO NUMBER IS AVAILABLE ONLY CONTROLLING TYPE'S 'NAME'IS | | | | | | | | | | | | | | |
| CKYC NUMBER (IF AVAILABLE *): (IF CKYC NUMBER IS AVAILABLE, ONLY' CONTROLLING TYPE' & 'NAME' IS MANDATORY) TYPE OF CONTROL*: | | | | | | | | | | | | | | |
| CKTC NUMBER (IF AVAILABLE 9): MANDATORY) | | | | | | | | | | | | | | |
| IN CASE OF TRUST: SETTLOR TRUSTEE | PROTECTOR BENEFICIARY-EQUIVALENT OTHER-EQUIVALENT | | | | | | | | | | | | | |
| IN CASE OF OTHER IN CASE OFTO OTHER IN CASE OF OTHER IN CASE OFTO OTHER IN CASE OFTO OTHER IN CASE OFTO OTHER IN CASE OFTO OTHER IN CASE OFTO OTHER | PROTECTOR-EQUIVALENT IN CASE OF UNKNOWN | | | | | | | | | | | | | |
| INCASE OF OTHER | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. B DETAILS OF RELATED PERSON | | | | | | | | | | | | | | |
| ADDITION OF RELATED PERSON DELETION OF RELATED PERSON | UPDATE RELATED PERSON DETAILS | | | | | | | | | | | | | |
| CKYC NUMBER OF RELATED PERSON (IF AVAILABLE*): | (IF CKYC NUMBER IS AVAILABLE, ONLY' RELATED PERSON TYPE' & 'NAME' IS MANDATORY) | | | | | | | | | | | | | |
| RELATED PERSON TYPE*: DIRECTOR PROMOTER KAR | TRUSTEE PARTNER AUTHORISED SIGNATORY | | | | | | | | | | | | | |
| (MORE THAN ONE BOX CAN BE TICKED AS APPLICABLE) COURT APPOINTED OFFICIAL BEN | BENEFICIAL OWNER (SEE DEFINITION AT PAGE NO.10) OTHERS | | | | | | | | | | | | | |
| 2. PERSONAL DETAILS* (Please refer Instruction G II at the end) | | | | | | | | | | | | | | |
| PREFIX F I R S T N A M E | M I D D L E N A M E L A S T N A M E | | | | | | | | | | | | | |
| NAME (SAME AS ID PROOF)*: | | | | | | | | | | | | | | |
| Name of* Father Mother Spouse | (One among three is mandatory, Father name is mandatory if PAN is not provided) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| DIN (DIRECTOR IDENTIFICATION NUMBER): | (MANDATORY IF RELATED PERSON TYPE IS DIRECTOR) | | | | | | | | | | | | | |
| DATE OF BIRTH*: | | | | | | | | | | | | | | |
| GENDER: M - MALE F - FEMALE THIRD GENDER | | | | | | | | | | | | | | |
| MARITAL STATUS*: MARRIED SINGLE OTHERS | NATIONALITY: IN-INDIAN OTHERS COUNTRY CODE (ISO 3166) | | | | | | | | | | | | | |
| RESIDENTIAL STATUS*: RESIDENT INDIVIDUAL NON RESIDENT IN | DIAN FOREIGN NATIONAL PERSON OF INDIAN ORIGIN | | | | | | | | | | | | | |
| CITIZENSHIP*: INDIAN OTHERS | | | | | | | | | | | | | | |
| OCCUPATION TYPE*: S - SERVICE (PUBLIC SECTOR PRIVATE SECTOR | GOVERNMENT SECTOR) | | | | | | | | | | | | | |
| O - OTHERS (PROFESSIONAL SELF EMPLOYED | RETIRED HOUSE WIFE STUDENT) | | | | | | | | | | | | | |
| B - BUSINESS NOT CATEGORIZED | | | | | | | | | | | | | | |
| POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO | DED definition: (DEDs) are individuals who are as how been entrusted with a serial act to the first to the fi | | | | | | | | | | | | | |
| | PEP definition: (PEPs) are individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, including the Heads of States/Governments, senior politicians, senior government or judicial or military officers, senior executives of state-owned corporations and important political party officials" | | | | | | | | | | | | | |
| COUNTRY CODE OF TAX RESIDENCE*: (CODE FOR INDIA IS " IN ") (ISO 3166) | | | | | | | | | | | | | | |
| COUNTRY OF TAX RESIDENCE IN INDIA ONLY AND NOT IN ANY OTHER COUNTRY OR TERRITORY OU | TSIDE INDIA* YES NO (IF NO, PLEASE FILL THE DETAILS IN COLOUMN 6 & 7) | | | | | | | | | | | | | |

| पैन/ कर पहचान सं. या समकक्ष*: | | | (यदि 'कर उद्देश्य' के लिए निवासी का अधिकारक्षेत्र केवल भारत है, तो इस स्थान पर पैन भरें) | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| जन्मस्थान/ शहरः | | जन्म का देश कोड: (आईएसओ 3166) | | | | | | | | | | | | |
| 3. पहचान/पते का प्रमाण (कृपया उचित बॉक्स व | को टिक करें (कोई एक आईडी का प्रकार) और विवरण भरें)* | | | | | | | | | | | | | |
| ए-पासपोर्ट बी | - वोटर आईडी कार्ड सी- ड्राविंग लाइसेंस | डी- नरेगा जॉब व | চার্ড | | | | | | | | | | | |
| ई- नाम एवं पते के विवरण सहित राष्ट्रीय ज | नसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र | आधार सं. होने क | ग प्रमाण | | | | | | | | | | | |
| दस्तावेज सं./ पहचान संख्या* | | जारी तिथि: | समाप्ति की तिथि: | | | | | | | | | | | |
| निम्न द्वारा जारी*: | | जारी स्थान*: | | | | | | | | | | | | |
| पंक्ति 1*: | | | | | | | | | | | | | | |
| पंक्ति 2*: | | शहर | / नगर/ग्राम*: | | | | | | | | | | | |
| जिला*: | | पिन/ | ' पोस्ट कोड*: | | | | | | | | | | | |
| राज्य/ यूटी नाम का कोड*: | | | का कोड*: ईपसओ 3166) | | | | | | | | | | | |
| 4. यदि दिए गए पते के प्रमाण/ओवीडी में वर्तमा | ान पता उपलब्ध नहीं है, तो ओवीडी (आधिकारिक रूप से वैध दस्ताव | | | | | | | | | | | | | |
| 1. यूटिलिटी बिल 2. पीपीओ/ | ' एफपीपीओ 🥒 3. संपत्ति/ नगर निगम कर रसीद | | | | | | | | | | | | | |
| 4. नियोक्ता द्वारा जारी/ राज्य या केंद्र सरका इसी तरह ऐसे नियोक्ता के साथ अनुमति | र के विभागों, वैषानिक या विनियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उप एवं अनुज्ञप्ति करार जो आधिकारिक आवास आबंटित करते हैं | क्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्ती | य संस्थाओं और सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा जारी आवास आबंटन पत्र । | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. स्व-घोषणा (केवल तभी लागू है, यदि ग्राहक ने ई-केवाईसी (आधार प्रमाणीकरण) किया है और आधार में जो पता दिया गया है वह वर्तमान पता के समान नहीं है) मैं/हम खाता खोलने के तीन महीने के भीतर, अद्यतित वर्तमान पते के साथ आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी) जमा कर दूंगा/दूंगी/ देंगे, ऐसा न करने पर बैंक खाते में परिचालन को अवरुद्ध कर सकता है। (ग्राहक द्वारा स्वघोषणा दिए जाने पर लागू नहीं) (उपर्युक्त बिंदु सं. 5 के अनुसार) | | | | | | | | | | | | | | |
| (ग्राहक द्वारा स्वघोषणा दिए जाने पर लागू नहीं) (उ | पर्युक्त बिंदु सं. 5 के अनुसार) | | | | | | | | | | | | | |
| दस्तावेज सं./ पहचान संख्या* | | जारी तिथिः | समाप्ति की तिथिः | | | | | | | | | | | |
| निम्न द्वारा जारी*: | | जारी स्थान*: | | | | | | | | | | | | |
| पंक्ति 1*: | | | | | | | | | | | | | | |
| पंक्ति 2*: | | शहर | / नगर/ग्राम*: | | | | | | | | | | | |
| जिला*: | | पिन/ | / पोस्ट कोड*: | | | | | | | | | | | |
| राज्य/ यूटी नाम का कोड*: | | | का कोड*: ईएसओ 3166) | | | | | | | | | | | |
| 5. संपर्क विवरण (सभी पत्राचार मोबाइल सं./ई- | मेल आईडी पर भेजी जाएंगी) (कृपया अंत में दिए गए अनुदेश 'च' | | | | | | | | | | | | | |
| टेलिफोन (कार्या.) : | | टेलिफोन (निवास) : | | | | | | | | | | | | |
| फैक्स : | | | | | | | | | | | | | | |
| मोबाइल 1 : | | | मोबाइल 2 : | | | | | | | | | | | |
| ई-मेल आई डी 1: | | | | | | | | | | | | | | |
| ई-मेल आई डी 2: | | | | | | | | | | | | | | |
| विविध कर निवासः कर निवासी के देश का ि | वेवरण (भारत के अलावा) यूएस और/या किसी अन्य देश में या भार | त के बाहर क्षेत्र में निम्नानुसार हैं: | | | | | | | | | | | | |
| कर निवास का देश# | कर पहचान संख्या या अधिकारक्षेत्र द्वारा जारी उसका समकक्ष | τ | महचान का प्रकार (टीआईएन या अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| # यदि कर निवासी का देश भारत है, तो पैन ही टिन 1. युएस में जन्में लेकिन दूसरे देश में निवास करने वा | [।] है ाले व्यक्ति (जिसने यूएस की नागरिकता नहीं छोड़ी है) सहित यूएस का | नागरिक | | | | | | | | | | | | |
| यूएस ग्रीन कार्ड धारक सिहत यूएस में निवास कर ऐसे व्यक्ति जो प्रत्येक वर्ष यूएस में 180 दिनों से 3 | ने वाला व्यक्ति | | | | | | | | | | | | | |
| * | वेदक कर उद्देश्य हेतु भारत के बाहर का निवासी है | | | | | | | | | | | | | |
| पते का प्रकार* आवासीय/कारोबार | आवासीय कारोबार | पंजीकृत कार्यालय | अनिर्दिष्ट | | | | | | | | | | | |
| पंक्ति*1 : | | | | | | | | | | | | | | |
| पंक्ति*2 : | | | | | | | | | | | | | | |
| पंक्ति*3 : | | | शहर/नगर/गांव*: | | | | | | | | | | | |
| जिला* : | | | | | | | | | | | | | | |
| 191611 . | देश कोड* | पेन/पोस्ट कोड*: | | | | | | | | | | | | |

| | IFICATION | INUME | BER O | R EQI | JIVAL | ENT* | *: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CE FO | | X PUF | RPOSE | i' IS | |
|---|--|---|-------------|----------------|--------|--------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------|---------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------|---------------|---------------|--------|---------------------------------------|-----------|--------|-------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|---------------|
| PLACE / CITY O | F BIRTH: | | | | | | | | | | | | | | | COUN | NTRY (3166) | CODE | E OF E | BIRTI | H: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. PROOF OF IDE | ENTITY/AD | DRES: | S (PLE | EASE T | TICK | THE A | APPRO | DPRIA | TE BC | OX (AI | 10 Y <i>V</i> | NE ID | TYPE |) ANE | O GIV | E DET | AILS)* | : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A- PASSP | ORT | | | В | 3- VO | TER II | O CAR | D | | | | c- | DRIV | ING L | ICEN | CE | | | | D | - NRE | GA JOI | 3 CAI | RD | | | | | | | | | | | |
| E-LETTER | RISSUEDE | BY NAT | IONA | L POF | PULA | TION | REGIS | STER | CONT | ΓΑΙΝΙ | NG DI | ETAII | _S OF | NAM | E ANI | D ADD | RESS | | | P | ROOF | OF PO | SSES | 1012 | N OF | AADI | HAR N | IO. | | | | | | | |
| DOCUMENT NO. | / IDENTIF | ICATIO | N NO | JMBE | R* | | | | | | | | | | | | | | | | Issue | d Date | : | | | | | Da | te of I | Expiry | ·: | | | | |
| ISSUED BY*: | | | | | | | | | | | | | | | | | ıss | UED / | AT*: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINE 1*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINE 2: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CITY | /WOT\ | 1 / VI | LLAC | GE *: | | | | | | | | | | |
| DISTRICT*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PIN / P | OST | COD | E*: | | | | | | | | | | |
| STATE / UT NAMI | E CODE*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COUN (ISO 3 | | | E*: | | | | | | | | | | |
| 4. IF THE PROOF | OF ADDR | ESS/O | VD PI | ROVIE | DED [| OES | NOT | CON ⁻ | TAIN (| CURR | ENT A | ADDF | RESS, | PLEA | SE PF | ROVID | E ANY | OF T | HE D | ocu | MENT | S BELC |)W A | S OV | D (O | FFICI/ | ALLY V | /ALID | DOC | 13MU | VT) | | | | |
| 1. UTILITY | BILL | 2 | . PPO | /FPPC |) | | 3. F | PROP | ERTY | OR M | IUNIC | IPAL | TAX F | ECEI | PT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R OF ALLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MODATIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. SELF-D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIENI | SEL E |
| DECLARATION | | | | | | | | | | | | OF | HKEE | MON | NIHS | , FAILI | NG WI | нісн | BAINT | (MA) | I KES | IRICII | HEC | JPEK. | AHO | IN S IIV | IIHE | ACCC | JUNT | (NO1 | APPL | LICAL | SLE W | HEN: | DELF |
| DOCUMENT NO. | / IDENTIF | ICATIC | DN NO | JMBE | R* | | | | | | | | | | | | | | | | Issue | d Date | : 🗌 | | | | | Da | te of I | Expiry | ·: | | | | |
| ISSUED BY*: | | | | | | | | | | | | | | | | | ISS | UED A | AT*: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINE 1*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINE 2: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CITY | /WOT\ | 1 / VI | LLAC | 3E *: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | $\overline{}$ |
| DISTRICT*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PIN / P | OST | COD | E*: | | | | | | | | | | |
| DISTRICT*: | E CODE*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |] | PIN / P COUN (ISO 3 | TRY | | | | | | | | | | | | |
| | | S (AII | comi | munic | catio | ns wil | ll be s | ent o | n pro | video | d Mob | oile n | o./ Er | nail- l | ID) (P | lease | refer | Instr | uctio | n 'F ' | | COUN (ISO 3 | TRY | | | | | | | | | | | | |
| STATE / UT NAMI | | _S (All | comi | munio | catio | ns wil | ll be s | ent o | n pro | video | d Mob | oile n | o./ Er | nail- I | ID) (P | lease | refer | Instr | uctio | | | COUN (ISO 3 e end) | TRY | | | | | | | | | | | | |
| STATE / UT NAMI | | _S (All | comi | munio | catio | ns wil | ll be s | ent o | n pro | video | d Mot | oile n | o./ Er | nail- I | ID) (P | lease | refer | Instr | uctio | | at the | COUN (ISO 3 e end) | TRY | | | | | | | | | | | | |
| STATE / UT NAMI 5. CONTACT TEL. (OFF): | | S (All | comi | munio | catio | ns wil | ll be s | ent o | n pro | video | d Mot | oile n | o./Er | nail- I | ID) (P | lease | refer | Instr | uctio | | at the | COUN (ISO 3 e end) | TRY (| | E*: | | | | | | | | | | |
| STATE / UT NAMI 5. CONTACT TEL. (OFF): FAX: | | _S (All | comi | munio | catio | ns wil | ll be s | ent o | n pro | video | d Mob | pile n | o./ Er | nail- l | ID) (P | lease | refer | Instr | uctio | | at the | COUN (ISO 3 e end) | TRY (| CODI | E*: | | | | | | | | | | |
| STATE / UT NAMI 5. CONTACT TEL. (OFF): FAX: MOBILE 1: | | S (AII | comi | munic | catio | ns wil | III be s | ent o | n pro | video | d Mob | bile n | o./Er | nail- l | ID) (P | lease | refer | Instr | uctio | | at the | COUN (ISO 3 e end) | TRY (| CODI | E*: | | | | | | | | | | |
| STATE / UT NAMI 5. CONTACT TEL. (OFF): FAX: MOBILE 1: EMAIL ID 1: | DETAIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TE | at the | COUN (ISO 3 | TRY (166) | LLE 2: | E*: | L India | a as U | nder: | | | | | | | |
| STATE / UT NAMI 5. CONTACT TEL. (OFF): FAX: MOBILE 1: EMAIL ID 1: EMAIL ID 2: | DETAIL TAX RE | SIDE | NCY | : Det | | of Cou | untry | of Ta | x Resi | idenc | ce (In | addi | tion to | o Indi | a) in (| JS an | | n any | othe | r Co | at the | COUN (ISO 3 | TRY (166) | LLE 2: | E*: | | | | | DATHE | R, PLI | EASE | SPEC | CIFY) | |
| STATE / UT NAMI 5. CONTACT TEL. (OFF): FAX: MOBILE 1: EMAIL ID 1: EMAIL ID 2: 6. MULTIPLE | DETAIL TAX RE | SIDE | NCY | : Det | | of Cou | untry | of Ta | x Resi | idenc | ce (In | addi | tion to | o Indi | a) in (| JS an | d/or ir | n any | othe | r Co | at the | COUN (ISO 3 | TRY (166) | LLE 2: | E*: | | | | | THE | R, PLI | EASE | SPEC | CIFY) | |
| STATE / UT NAMI 5. CONTACT TEL. (OFF): FAX: MOBILE 1: EMAIL ID 1: EMAIL ID 2: 6. MULTIPLE | DETAIL TAX RE | SIDE | NCY | : Det | | of Cou | untry | of Ta | x Resi | idenc | ce (In | addi | tion to | o Indi | a) in (| JS an | d/or ir | n any | othe | r Co | at the | COUN (ISO 3 | TRY (166) | LLE 2: | E*: | | | | | DTHE | R, PLI | EASE | SPEC | CIFY) | |
| STATE / UT NAMI 5. CONTACT TEL. (OFF): FAX: MOBILE 1: EMAIL ID 1: EMAIL ID 2: 6. MULTIPLE | DETAIL TAX RE | SIDE | NCY | : Det | | of Cou | untry | of Ta | x Resi | idenc | ce (In | addi | tion to | o Indi | a) in (| JS an | d/or ir | n any | othe | r Co | at the | COUN (ISO 3 | TRY (166) | LLE 2: | E*: | | | | | DTHE | R, PLI | EASE | SPEC | CIFY | |
| STATE / UT NAMI 5. CONTACT TEL. (OFF): FAX: MOBILE 1: EMAIL ID 1: EMAIL ID 2: 6. MULTIPLE COUNTRY # In case, country | TAX RE | SIDE | NCY: | Det | ails c | f Cou | Intry TAX IE | of Ta | x Res | idend | Lee (In | addi | tion to | ibnl c | a) in t | US an | d/or ir | n any | othe | r Co | at the | COUN (ISO 3 | TRY (166) | LLE 2: | E*: | | | | | DTHE | R, PLI | EASE | SPEC | CIFY) | |
| STATE / UT NAMI 5. CONTACT TEL. (OFF): FAX: MOBILE 1: EMAIL ID 1: EMAIL ID 2: 6. MULTIPLE COUNTR' # In case, count 1. A citizen of US 2. A person resid | TAX RE Y OF TAX F | SIDE | NCY NCE: | dia, P/rnin U | ails c | f Cou | TAX IE | of Ta: | x Res | idend | Lee (In | addi | tion to | ibnl c | a) in t | US an | d/or ir | n any | othe | r Co | at the | COUN (ISO 3 | TRY (166) | LLE 2: | E*: | | | | | DTHE | R, PLI | EASE | SPEC | CIFY) | |
| STATE / UT NAMI 5. CONTACT TEL. (OFF): FAX: MOBILE 1: EMAIL ID 1: EMAIL ID 2: 6. MULTIPLE COUNTR' # In case, countr 1. A citizen of US | TAX RE Ty of tax re including in US ir is who specifications. | SIDE RESIDE ndividu icludin nd mo | NCY ENCE: | dia, P/rnin L | ails c | f Cou | ed as ⁻ dent ir r. each | of Ta. DENT TIN. a anothyear. | x Resi | idenc | Dee (In NUM | addi BER | tion to | o Indi | a) in V | US an | d/or ir | any BY JI | othe | r Col | at the | COUNNI (ISO 3 | ritor | LLE 2: | E*: | ATION | NTYP | E (TIN | | DTHE | R, PLI | EASE | SPEC | CIFY) | |
| STATE / UT NAMI 5. CONTACT TEL. (OFF): FAX: MOBILE 1: EMAIL ID 1: EMAIL ID 2: 6. MULTIPLE COUNTR' # In case, count 1. A citizen of US 2. A person resid 3. Certain person | TAX RE Y OF TAX F including in US ir is who spec | SIDE RESIDE ndividu icludin nd mo | NCY NCE: | dia, P/rn in U | ails c | f Cou | ed as ⁻ dent ir r. each | of Ta. DENT TIN. a anothyear. | x Resi | idenc | ee (In NUM | addi BER | one co | o Indi | a) in V | US an | d/or ir | n any | othe URISI | r Col | at the | COUN (ISO 3 e end) N Or Ter | ritor | LLE 2: | E*: | ATION | NTYP | E (TIN | | DTHE | R, PLI | EASE | SPEC | CIFY | |
| STATE / UT NAMI 5. CONTACT TEL. (OFF): FAX: MOBILE 1: EMAIL ID 1: EMAIL ID 2: 6. MULTIPLE COUNTRY # In case, country 1. A citizen of US 2. A person resid 3. Certain person 7. ADDRESS | TAX RE Y OF TAX F including in US ir is who spec | SIDE sidence ndividue ciudine nd moo | NCY NCE: | dia, P/rn in U | ails c | f Cou | ed as ⁻ dent ir r. each | of Ta. DENT TIN. a anothyear. | x Resilification | idenc | ee (In NUM | addi BER | one co | o Indi | a) in V | US an | d/or ir | n any | othe URISI | r Col | at the | COUN (ISO 3 e end) N Or Ter | ritor | LLE 2: | E*: | PUR | NTYP | E (TIN | | DTHE | R, PLI | EASE | SPEC | CIFY | |
| STATE / UT NAMI 5. CONTACT TEL. (OFF): FAX: MOBILE 1: EMAIL ID 1: EMAIL ID 2: 6. MULTIPLE COUNTRY # In case, count 1. A citizen of US 2. A person resid 3. Certain persor 7. ADDRESS ADDRESS TYPE* | TAX RE Y OF TAX F including in US ir is who spec | SIDE sidence ndividue ciudine nd moo | NCY NCE: | dia, P/rn in U | ails c | f Cou | ed as ⁻ dent ir r. each | of Ta. DENT TIN. a anothyear. | x Resilification | idenc | ee (In NUM | addi BER | one co | o Indi | a) in V | US an | d/or ir | n any | othe URISI | r Col | at the | COUN (ISO 3 e end) N Or Ter | ritor | LLE 2: | E*: | PUR | NTYP | E (TIN | | DTHE | R, PLI | EASE | SPEC | CIFY) | |
| STATE / UT NAMI 5. CONTACT TEL. (OFF): FAX: MOBILE 1: EMAIL ID 1: EMAIL ID 2: 6. MULTIPLE COUNTR' # In case, count: 1. A citizen of US 2. A person resid 3. Certain persor 7. ADDRESS ADDRESS TYPE* LINE 1*: | TAX RE Y OF TAX F including in US ir is who spec | SIDE sidence ndividue ciudine nd moo | NCY NCE: | dia, P/rn in U | ails c | f Cou | ed as ⁻ dent ir r. each | of Ta. DENT TIN. a anothyear. | x Resilification | idenc | ee (In NUM | addi BER | one co | o Indi | a) in V | US an | d/or ir | n any | othe URISI | r Col | at the | COUN (ISO 3 e end) N Or Ter | 1166) | y Out | tside | PUR | NTYP | E (TIN | | DTHE | R, PLI | EASE | SPEC | CIFY) | |
| STATE / UT NAMI 5. CONTACT TEL. (OFF): FAX: MOBILE 1: EMAIL ID 1: EMAIL ID 2: 6. MULTIPLE COUNTR' # In case, count: 1. A citizen of US 2. A person resid 3. Certain persor 7. ADDRESS ADDRESS TYPE* LINE 1*: LINE 2: | TAX RE Y OF TAX F including in US ir is who spec | SIDE sidence ndividue ciudine nd moo | NCY NCE: | dia, P/rn in U | ails c | f Cou | ed as ⁻ dent ir r. each | of Ta. DENT TIN. a anothyear. | x Resilification | idenc | ee (In NUM | addi BER | one co | o Indi | a) in V | US an | d/or ir | n any | othe URISI | r Col | at the | COUNN (ISO 3 a end) N Or Ter INDI/ | A FC | y Out | E*: | PUR IFIED | NTYP | E (TIN | | DTHE | R, PLI | EASE | SPEC | CIFY) | |

| 8. | | | | | | | फ़ार्म (| 3 60 [निय | आयकर यम ११४ | नियम 4बी के | , 1962 दितीय | प्रावधान | देखें | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|
| नाम : (पहचा | ान प्रमाण के अनुसार) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | |
| यदि पै | पैन के लिए आवेदन किया | हुआ है और जारी | नहीं किया गर | या है, तो | आवेदन व | क्री तिथि | | | | | | | | | | | | 7 | तथा पा | वती संख | या | Т | | | | |
| यदि पै | पैन के लिए आवेदन नहीं र | किया है तो आयक | र अधिनियम 1 | 1961 की | धारा ६४ | के अनुस | गर उस वि | वेत्त वर्ष वि | ् जेसमें उ | उपर्युक्त | लेन-देन | किया ग | — या है, व | की अनुग | मानित कु | ञ्ल आय | भरें (पति | ,पत्नी | , अवय | स्क बच्चे | आदि | की आ | य सहि | त) | | |
| —— कृषि ः | आय (रू. में) | | | | | | | | | | कृषि उ | भाय के अ | अलावा - | अन्य अ | ाय | | | | | | | | | | | _ |
| ۹۰ | | | | | | | | | | त्याप | _ | | | | | | | *, 0 | • (| · | | | ٠, | 0 | a . | |
| विश्वास | दद्वारा म के अनुसार सही है मैं उ) आयकर अधिनियम 196 | आगे यह घोषणा क | रता/ती हूँ कि | मेरे पास | स्थायी ख | ाता संख | ग नहीं है | और जि | स वित्ती | य वर्षः | में उक्त तं | नेनदेन वि | व्या गय | ग है, उस | प्रमें मेरी/ | यह घाष हमारी अ | णा करता ानुमानित | हू/ता कुल उ | हूं कि र आय (प | उपयुक्त ति,पत्नी | कथन ग , अवय | रा सव स्क संत | ात्तम ज गान आ | ानकारा दि की | आर आय | |
| वर्ष _ | केमा | ह केदि | न को सत्यापि | ति | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| स्थान : | | | | | | | | | | | | | | | के हस्त | ताक्षर | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • मैं/ हम एततद्वारा घोषणा करता/करती हूं/ करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और इसमें परिवर्तन होने पर मैं आपको सूचित करने का वचन देता हूं/देती। यदि कोई जानकारी ग या झूठी या भ्रामक या मिथ्या प्रस्तुत की जाती है तो मैं हम उसके लिए जिम्मेदार रहूंगा रहूंगी। | | | | | | | | | | | | | | | रीगल | त | | | | | | | | | | |
| या झूठी या भ्रामक या मिथ्या प्रस्तुत की जाती है तो मैं हम उसके लिए जिम्मेदार रहूंगा रहूंगी। • मेरा/मेरी/हमारे व्यक्तिगत केवाईसी संबंधित विवरण केन्द्रीय सीकेवाईसी रजिस्ट्री के साथ साझा कर सकती हूँ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मेरा/मेरी/हमारे व्यक्तिगत केवाईसी संबंधित विवरण केन्द्रीय सीकेवाईसी रिजस्ट्री के साथ साझा कर सकती हूँ। मैं/हम एतहुवारा केंद्रीय सीकेवाईसी रिजस्ट्री से अपने केवाईसी रिकॉर्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी सहमित केवल सीकेवाईसीआर रिजस्ट्री के डेटाबेस से मेरी पहचान और पते के सत्यापन के उद्देश्य के लिए देती/देते हूँ/हैं। (मैं समझता/समझती हूं कि मेरे केवाईसी रिकॉर्ड में मेरा केवाईसी रिकॉर्ड/व्यक्तिगत जानकारी जैसे मेरा नाम/पता, जन्मतिथि, पैन नंबर आदि शामिल है। | | | | | | | | | | | | | | | ए देता | (/ | | | | | | | | | | |
| | 285बीए के तहत लागू नि | रता/ती हूँ कि मैंने नेयमों तथा इस विष | ो अपनी स्थि षय में आरबी | ति, केन्द्री आई परि | य प्रत्यक्ष पत्र सन्दः | कर बो र्भ सं.डी | र्ड (सीबी बीआर.ए | डीटी) द्व एमएल.व | ारा जा बीसी.सं | री अधि i.36/1 | सूचना 4.01.00 | संख्या ए)1/201: | स.ओ.2 5-16 वि | 2155(ई देनांक 2 | 5) दिनांव 28 अगस | _{ह:7} अग त 2015 | स्ति 201! 5 तथा इस | 5 द्वार ाके अ | ा अधिर ानुवर्ती • | मूचित अ आशोध | गयकर् न/संश | : अधि धिनों, वे | नेयम के अनु | 1961 व सार घो | की धार षित क | रा जी |
| 4 | 285बीए के तहत लागू नियमों तथा इस विषय में आरबीआई परिपत्र सन्दर्भ सं.डीबीआर एएमएल.बीसी.सं.36/14.01.001/2015-16 दिनांक 28 अगस्त 2015 तथा इसके अनुवर्ती आशोधन/संशोधनों, के अनुसार घोषि है। | | | | | | | | | | | | | | | ग उस जीए) वे | में क | | | | | | | | | |
| ; | मैं/हम यह प्रमाणित औ हस्ताक्षरित/प्रमाणित रू मूल्यांकन/वर्गीकरण को पाए जाते हैं, तो मुझे/हमें | प में उपलब्ध कर यू.एस. रिपोर्टिंग ख | ाएँ गए दस्ता वाते या अन्य ी | वेजी साक्ष रिपोर्टिंग य | त्य, मेरी र योग्य खात | प्तर्वोत्तम ते के रूप | जानकार्र 1 में या अ | कि अंतर री और रि न्यथा प्रश | र्गत या वेश्वास भावित | वेबसाः के अनु कर सव | इट/इलेव सार सत् कृती है। | झ्ट्रॉनिक य, सही यदि कि | रूप से और पू सी भी म | ो अन्य र र्ण हैं, मैं गमले मे | सेवा प्राप iने/हमने i मेरे द्वार | त करने ऐसी वि । प्रदान | के लिए, क्रेसी भी व की गई ज | जो मु महत्वा गानका | ाझ पर पूर्ण जा इरीया वि | लागू हो, नकारी वेवरण ग | , का ल को छु ालत य | ाभ उट पाया न ा असल | ठाने के हीं है उ यया भ्र | लिए, ग्रें जो मेरे ामक य | मेरे द्वार खाते वे गामिथ्य | ा र्न प |
| 1 | यहां दी गई जानकारी में, स्थिति में परिवर्तन की ता देता/ती हूँ, हालांकि, यहाँ | रीख से 30 दिनों वे | 5 भीतर इसे ६ | ग्रोषित तथ | ग प्रकट व | करने की | जिम्मेटा | री लेता/ | /ती हं। र | इसके र | माथ ही | मैं आवः | यकता | पड़ने प | ार दस्ता | वेजी स | ाक्ष्य के स | ाथ नर्व | रीनतम् । | और वैध | रख-प्र | माणन | प्रदान | करने व | हा वच | गी न |
| ; | मैं/हम यह भी मानता/ती में दूर करने में मेरी असप् रिजर्व बैंक द्वारा उक्त उह अन्य कार्यवाही कर सक | कलता, मुझे खाते र हेश्य के लिए निर्दि! | ोरी जानकारी में लेन-देन क ष्ट्र किसी भी प्र | । में अभी र रने हेतु उ गधिकरण | या भविष्य अमान्य घे I को रिपो | ग में किस ोषित क ार्ट करने | नी भी मह र सकती का अधि | त्वपूर्ण त है और कार हो | तथ्य/जा बैंक के गा, या बै | ानकार्र ो मेरे ख बैंक सी | ो का खुर बाते के प बीडीटी, | तासा क रिचालन 'आरबी | रने में मे । पर प्रा आई/भ | ारी अस तिबंध ल ारत सर | फलता य गगाने या कार द्वार | ग्रा दस्ता इसे बंद रा समय | वेजों/सूच (करने या 1-समय प | ाना/अ १ किर्स र जार्र | ान्य विव भी भी वि री दिशा | ारणों में नियाम निर्देशों | किसी क और के तह | भी कम् :/या भा त जैसा | गी को नि ।रत सर भी उर्नि | नेर्धारित रकार/' चेत होग् | न अर्वा भारती गा, को | धे य ई |
| • | मैं/हम, भारत या विदेश हैं। | में खाते के परिचाल | ान या रखरख | गव से संबं | ांधित कि | सी भी क | ानून में वि | केसी भी | बदला | व के क | ारण मुइ | वसे/हम | से मांगी | जाने वा | ाली कि स | गी अन्य | जानकारी | बैंक | को प्रस् | नुत और | सूचित | करने | के लिए | भीसह | हमत हूं | y |
| • | मैं/हम प्रमाणित करता/व | करती/करते हूँ/हैं। | कि मेरे/हमारे | र पास सीव | बीडीटी नि | नेयमों/अ | गरबीआः | ई दिशार्वि | निर्देशों | के अनु | सार उव | त संस्था | हेतु हस | ताक्षर व | _{करने} की | क्षमता | है। | | | | | | | | | |
| • | मैं बैंक को किसी भी प्रक | ार की हानि/क्षति व | ही क्षतिपूर्ति व | करूँगा/र्ग | ी, जो बैंक | न् को मेरे | द्वारा प्रद | ान किए | गए वि | वरणों मं | में किसी | भी त्रुटि/ | गलती व | के कारप | ण या मि | थ्या या उ | अपूर्ण सूच | ना प्रद | रान कर | ने के क | ारण हे | । सकर्त | ोहै। | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| स्थानः | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | ताक्षर ह का न | ाम | | | | | | |
| तिथिः | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | प्रग | माणन /व | केवल व | कार्याल | य के उप | ायोग हेत् | Ţ | | | | | | | | | | | | | |
| प्राप्त | दस्तावेजः | स्वतः प्रमापि | गेत | सत्यापि | पेत प्रतिय | iτ | नोटरी | | | | | जोखिम | श्रेणीः | _ | उच्च | | | Ŧ | मध्यम | | f | निम्न 📗 | | | | |
| पहचा | न के सत्यापन द्वारा व्यक्ति | गत सत्यापन किया | गयाः | | | | किया ग | ाया | | | | | तिथिः | | | | | | | | | | | | | |
| कर्मच | ारी/अधिकारी का हस्ताक्षर | ξ | | | | | | | | कर्म | चारी/आ | धेकारी व | ग नाम | | | | | | | | | | | | | |
| जीबीप | पीए नंबर/पीएफ नं. | | | | क | र्मचारी/३ | अधिकारी | का पढन | नाम: | | | | | | कर्मच | री/अधि | कारी की | शाखाः | : | | | | | | | |

| 8. | | | | | | | | | | | | | | | Inc | come | e-tax R | ules, 1 | 962 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|----------------------|----------|----------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|------|----------|------|--------------|---------|----------|----------|-------|----------------|---------|--------|------------|---------|----------|---------------|---------|---|
| | | | | | | | <u> </u> | <u> </u> | _ | <u> </u> | _ | _ | FO | RM | 60 [se | ee se | cond p | roviso | to r | ule 114 | 4B] | <u> </u> | + | - | + | <u> </u> | <u> </u> | | | | | | _ | | | _ | |
| NAMI (SAM | E AS ID P | PROC |)F) | | | | | | | | | | Ш | | | | | | | | | | | | | | | | | <u></u> | | | L | Ш | | | |
| IE A DI | LIED FC | \D DA | N AND I | T IS NIO | T VET | CENI | | -D -E | ITED | DATE | OF A1 | | ATION! | | | | | | | | T | | TUE | E ACKN | 10141 | EDC | CMCN | IT N | ILIMB | ED | | | | | $\overline{}$ | | - |
| | NIS NOT | | | | | | | | | | | | | SPC | DUSE | , MIN | IOR CH | IILD, E | TC) | AS PE | R SE | | | | | | | | | | NANC | L IAL Y | EAR I | N WHI | CH TI | HE | |
| ABO\ | E TRAN | ISAC | TION IS | HELD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| AGRI | CULTURE | EINC | OME (R | 5) | | | | | | | | | | | | 0 | THER T | HAN A | AGRI | CULTU | JRAI | LINCO | OME | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | IFICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| l best | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | come Tax Act 1961 computed in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 for the financial year in which the above transaction is held will be less than maximum amount n erified today, the | | | | | | | | | | | | | | | nt no | ī. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Signature of the Declaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Signature of the Declaran APPLICANT DECLARATION | | | | | | | | | | | | | | | larant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D. APPLICANT DECLARATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P. APPLICANT DECLARATION I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/we am/are aware that I/we may be held liable for it. | | | | | | | | | | | | | | | ş | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • My | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • 1/\ | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • I/V | I/We hereby, give my consent to download my KYC Records from the Central KYC Registry (CKYCR), only for the purpose of verification of my identity and address from the database of CKYCR Registry. I understar that my KYC record include my KYC record/personal information such as my name/address, date of birth, PAN no. etc. | | | | | | | | | | | | | | | T) vide | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | /e undei | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | - | | | | | | | | | | | |
| Ta | resider xes (CBI mmon F | DT) | or other | Gover | nmer | nt Age | encies | s to c | ompl | y wit | h the | obliga | tions a | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | | |
| | /e certi | - | | | | | | | | - | | | | _ | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| со | ned/aut rectand countoi | d coı | nplete a | nd tha | t I/We | have | e not v | vithh | eld an | ıy ma | terial | inform | nation | that | t may | / affe | ect the | asses | sme | nt/ca | teg | orizat | ionc | fmy/ | ourac | cou | ntas | a U. | S.Re | port | able A | Ассоі | unt or | Other | Repo | ortable | Э |
| | /e unde | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | _ | | | | _ | | | | | | | - | | | | |
| otl alc | nerwise, ng with ovided b | , as v doc | vell as in umenta | the do | cume ence a | entary as and | y evid d whe | ence n so | provi requir | ided l ed; r | by me nevert | or if a heles | any cer s all de | rtific eclar | ation | n bed | comes | incori | rect | or und | derg | joes a | cha | nge. I 1 | furth | er ur | nderta | ke | to pr | ovide | e fres | h and | d valid | d self-c | certifi | cation | า |
| | Ve also a | - | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | - | | | - | | | | | | | | |
| an | y regula ued by C | tor a | nd/or a | ny auth | ority | desig | gnate | | | | - | , | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | , | | | | | | | |
| | /e also a iintenan | - | | | intim | nate to | o the I | Bank | any o | ther | partic | ulars t | that ar | e ca | ılled u | upon | me/u | s to pr | ovic | le on a | ссо | unt of | fany | chang | ge in l | aw e | ither | in In | ıdia o | r abr | oad ii | n rela | ting t | o the c | pera | tion o | r |
| • I/V | /e certif | ytha | ıtl/weh | ave the | сара | cityt | o sign | fort | ne ent | titya | spert | he CB | DTruk | es/F | RBIgu | uidel | ines. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e shall ompleto | | - | | | n any | loss/ | dam/ | age tl | hat n | nay be | e caus | ed to | the | Bank | k on | accou | nt of a | any (| defect | t/mi | stake | in t | he det | ails p | rovi | ided h | nere | in or | on a | ассоц | ınt ol | prov | iding i | ncorr | ect o | r |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | c | : | | ·(a) | | | | | | | |
| DATE | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | ame | _ | ature he Ap | | ant | | | | | | |
| PLAC | E: | | | | | | | | | | | ^- | TTES | T-A- | TIQ! | NL /- | EOP 4 |) EEL | ~ =- | IICE | OM | I V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7 | | | A | 1 | | | N71 | POR | | | | | <u></u> | | | | | | | | | | | Г | | | | |
| | JMENTS | | | | | | IFIED | | | | OPIES | | NOT | | ′ | | | RIS | K C | TEGO | | | | HIGH | L | | MI | EDIU | M | Ļ | | LO | w [| | | | |
| IN PE | RSON VE | ERIFI | CATION | CARRIE | DOU | T BYII | DENTI | ITY V | ERIFIC | CATIC | N: | | DO | NE | | | | | | | DAT | E: | | | | | | | | \perp | | | | | | | |
| EMP./ | OFFICIA | L SIC | NATUR | Ξ | | | | | | | | | | | | | | E | MP./ | OFF. N | IAME | Ē: | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBPA | No./P.F I | No.: | | | | | | | | E | MP./C | FF. DE | SIGNA | TIOI | N: | | | | | | | | | EMP./ | OFF. B | RAN | ICH: _ | | | | | | | | | | |

| विविध पत्र | ।ाचार/ स्थार्न | य पते व | के लिए | आवे | दन फ | ॉर्म | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | प् <mark>षनुबं</mark> ध | -III |
|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------|--------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|--------------------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|
| अनुदेशः | " | '' के स | ाथ चि | न्हत र | ध्थान व | क्रो भर | ना आं | निवार्य | है | * | कृपया | फॉर्म | को र | यस्ट | अक्षर | ों में भ | ारें | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| आवेदन व | का प्रकार* | | | नय | T L | 3 | अद्यतन | | | _ | _ | _ | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| सीकेवाईस (डकार्ड क | नी संख्या (विक ग सीकेवाईसी | नीय संस्थ नं अद्य | यान द्वार तन अन | ग भरा गरोध है | जाए): रेत अरि | नेवार्य : | ਫ਼ੈ). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \perp | | |
| | ामाण (पीओए ।माण | | (1 - 51 | 1 | | | | | | | | | | | | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | Т | | Т |
| 112112117 | स्थानीय पत | कान्नि | * | | <u> </u> | 1 | <u> </u> | ۲ | | | ⊥ ायी /वि | Hofe | п э э | - | | F 3111 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | _ | | | |
| पत्राचार/ पते का | प्रकार* | | | | | | Ĺ | ' | वतमा | \neg | | | 4n q | p Iqq | 1 | | | • | | | | ۰~ | | | | | | | | | | | | | | |
| | आ | वासीय/ | कारीब | गर | | आव | ासीय | | L | | वयवस | ाय | | | पज | विकृत | काय | गेल | य | Ļ | 3 | निर्दिष्ट | | | | | | | | | | | | | | |
| पंक्ति*1 | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पंक्ति*2 | . Γ | Ť | | | | | | | | | | | | | | | Ī | Ī | | | | | | | | | | | Ī | T | T | T | T | Ŧ | | 一 |
| | <u> </u> | + | | <u> </u> | | <u> </u> | <u> </u> | | | | | | | | | | + | $\frac{\perp}{1}$ | | | | 1 | | | | | \vdash | \vdash | ÷ | \pm | \pm | \pm | \pm | \dashv | | ႕ |
| पंक्ति*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | <u> </u> | | | <u> </u> | | शह | र/नग | [- [7] | d": | <u></u> | L | <u> </u> | | _ | _ | | _ | | |
| जिला* | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | देः | श का | नाम | | | | | | | | | | | | |
| राज्य/ य | | | | | | | | | | | पि | न/पं | स्ट व | होड* | ·. [| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| नाम का संपर्क विव | काड^ : ∟ रण (सभी प | त्राचार म | गेबाइल | त सं./ | ई-मेल | आर्ड | डी पर | भेजी उ | जाएंगी | ी) (क | पया अं | त में | टिए ग | ाए अ | ∟ नदेश | 'ਹ' ਹ | डेखें) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| टेलिफोन | | | | | 7 | | | | | 1 | | | · · · | | | Ť | _ |) C | नेफोन (1 |) | . 🗆 | | | | 1 | Γ | | | | | | T | | Τ | | Τ |
| टालकान | (4)(4).): | <u> </u> | | | | | | | | <u> </u> | | | | | + | + | _ | CIG | 14914 (1 | 14IH) | · _ | \vdash | _ | <u> </u> | _ | Ļ | _ | 4 | | <u> </u> | <u> </u> | \perp | <u> </u> | 뉴 | + | \pm |
| मोबाइल | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | फैक्स | : | | | | | | | | | | | | | \perp | | \perp |
| ई-मेल अ | ाई डी : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| आवेदक व | हो घोषणा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • मैं/ हम ए | ततद्वारा घोषण | | | | हैं कि उ | ज्पर दिप | र गए वि | विरण मे | री जान | कारी 3 | गैर विश्वा | स के ३ | अनुसार | सही है | और इ | समें प | रेवर्तन | होने | पर मैं अ | पको सूर् | चेत कर | ने का व | चन देत | ा/देती | हूं। यदि | कोई | जानका | री गल | त या | झूठी य | या भ्राम | क या ि | मेथ्या प्र | स्तुत र्व | गे जार्त | है है |
| | न उसके लिए उ हमारे व्यक्तिगत | | | | ग केन्द्री | य सीके | वाईसी ३ | रजिस्ट्री व | के साथ | ग साझा | कर सक | न्ता/स | कती हूँ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • मैं/हम एत | नद्वारा उपर्युक्त | पंजीकृत | नंबर/ईमे | ल पते | पर एस | एमएस/ | 'ईमेल वे | माध्यम | से के | न्द्रीय वे | ज्वाईसी : | रजिस्ट्री | से सूच | ना प्राप | त करने | ने की स | ग्हमति | देता | /देती/देत | है/है | | | | | | | | | | | | | | | | |
| स्थानः | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| तिथि: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | इका | ई के | _{हर} अधिद | ताक्षर कृत व्य | ाक्ति व | ग नाग | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | प्रम | णन | /केवल | न कार | र्यालय | के | उपयोग | हेत | | | | | | | | | | | | | | | | |
| प्राप्त दस्त | गतेजः | | | रतनः | प्रमाणि | ोत | | חוד | யிச | प्रतिय | it | | टरी | | | | | | | एड म श्रेर्ण | ÷. | | उच्च | | | | मध | лп | | 7 | E | मन | | | | |
| | | (| | | | | | | 4114(1 | ЯКІЧ | ' <u> </u> | ╣. | | | | | | | ગાાહ | | | | - - | ᆛ | ᆛ | _ | - T | 49 — | <u>_</u> | | 1* | 11 | | J | | |
| पहचान व | b सत्यापन द् <u>व</u> | ारा व्य ात | ञ्गत स | त्यापन | ाकया | गयाः | | | | | | वि | या गर | ग | | | | | | तिशि | र्गेः | | | | | | | | | | | | | | | |
| कर्मचारी/ | अधिकारी का | हस्ताक्ष | ₹ | | | | | | | | | | | | | | कर्मचा | री/ः | अधिकार्र | का न | म | | | | | | | | | | | | | | | - |
| जीबीपीए | नंबर/पीएफ | नं | | | | | | | | <u></u> क | र्मचारी, | /अधि | क्रारी व | ग पद | नामः_ | | | | | | | | कर्मचा | री/अधि | वेकारी | की १ | गखाः_ | | | | | | | | | _ |
| | वामित्व की १ | | | | | | | | 0 . | 0.0 | | | | | 2.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | अ | नुबंध - | - IV |
| , | र लागू (स्टॉव | _र एक्सच | जि में स | रूचीबद्ध | द्र कंपन | ी को | छोड़क | र या ऐर | सी कं | पनी वे | गे सहार | यक वं | व्यनी व | के माग | नले में) | साझे | दारी प | कर्म, | अनिग | मेत संग | ठन या | व्यक्ति | निका | य और | ट्रस्ट |) | | | | | | | | | | |
| | 5 का नाम : _ ो. साझेदारी प | हर्म अन् | नेगमित | संगठ | न या ठ | यक्ति 1 | नेकाय | और ट | स्ट) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| 2. पंजीकृ | र्त नं.: | , | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| | उपलब्ध हो) त पताः | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ः ः <u>—</u> ऊपर बताया | | | ने तार्र | ोख में | ग्राहक | इसकी | ो पृष्टि व | क रता | है और | घोषण | ा कर | ता है वि | के: | | T | | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | | | ∟ निरांता | _ ग स्तार्ग | ्। प्रेट्स हे | ोता है | है। स्ताप्रि | Fet 109 | ८ म्रे आ | शेक (वं | ਹਜੀ | 10% 7 | ने ,अशि | क (मा | द्येटारी | त्रेयस | 150 | % मे ३ | रशिक | വ്യു | नयों का | ्यनिग | ाधित र | तरां |
| 10% से अ | त वास्तविक व धिक या उसवे | न बराबर | (ट्रस्ट) पृ | ्जी/ल | 1भ/संप | त्ति या | नेयंत्रण | के माध | यम से | मतदा | न अधिव | गर, क | रार, व | ग्वस्था | , आदि | (या अ | गरबीउ | आई/ | बैंक द्वार | समय- | समय प | र संशो | धित)। | 1070 | | 4. (41 | श्चारा | 11-1) | , 13, | 70 KI - | | (11-10 | | -11 1 | | 1-1), |
| क्रम | | र्गे स्वामी, | | | | | | | | ान्मर्ति | शे | | | गर | ट्टीयता | | | | | | पता | | | | के | वाईसी | दस्ता | वेजों | | | नियं | | र्ता स्व | मित्व | | |
| सं. | वास्तविक | व्यक्ति (| यों) का | पूरा - | नाम | | | | | - 11011 | | | | • • • | K1 1/11 | | | | | | | | | | | का | प्रकार | | 4 | | | हित | (%) | | | \dashv |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | \exists |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \dashv |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | धन/ समस्त [:] | | | आदि | की सृ | ची वा ा | ले संग | | | घोषण | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | | | | _ |
| क्रम सं. | | पूरा न | 114 | | | | | | पद | | | | | ড | न्मति | ય | | | | | राष्ट्रीय | п | | | | | | | | पत | 1 | | | | | \dashv |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \Box |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \dashv |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अधिक सं | ांगत व्यक्ति (व | रिष्ठ प्रबं | ांधन/ भ | ागीदा | र/ट्रस्ट | ी) के ग | गमले ् | में कृपय | ग अल् | ग्ग शी | ट् पर सृ | चना दे | ÷ | | 0 | | ٦. | | _ | | , , | | | _ | ` | | | 0 | ` | 0 | | | | | | |
| हम प्रमा। के निकाय | ांगत व्यक्ति (व णेत करते हैं f ग और ट्रस्ट में साझेदारी फर्म | क ऊपर किसी भ | : बताए 11 प्रका | गए तः र का प | थ्य सत्य रिवर्तन | ग आर न होने | सहा ह पर इस | । हम व ाकी सुच | ाचन ट गना अ | रत ह उ ।विलंब | भार सह पंजाब | मत ह नैश | ाक ह नल बैं | म ऊ क को | पर का 'देंगे। | तााल | काम | ादए | र्गए ।न | भत्रणक | ता व्या | स्त, ान | पत्रण व | ७ २न व | ाल व्य | ाक्त र | ग्रा कप | ना, स | ाझद | ारा फ | म, आ | नगाम | त सग | उन या | व्याक | तया |
| (कंपनी, र | माझेदारी फर्म | , अनिग | मित संग | ाठन य | ग व्यवि | ति निव | गय औ | र ट्रस्ट) |) के वि | तेए औ | र की अ | गेर से: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| प्राधिकृत | अधिकारी क | । हस्ताक्ष | र*: | | | | | | | | | | | | | | प्राधिव | कृत | अधिक | री का प | रूरा नाम | T: | | | | | | | | | | | | | | _ |
| पदनाम/ | श्रेणी : | | | | | | | | | | | | f | तेथिः | | | | | | | | | | स्थान | : | | | | | | | | | | | _ |
| | ा साझेदारी प | | ामले में | सक्रि | य /नारि | मेत स | ाझेदार, | ट्रस्ट वे | के माम | मले में | ट्रस्टी ह | द्वारा ह | स्ताक्षी | रेत र्व | गे जाए | 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | ाखा के उपय णेत करते हैं | | फर्म के | लाभ | ार्थी स्त | ामि (र | ों) <i>का</i> | निर्धारण | ग्र. सा | ार्यक्त न | ह्यनी/ा | குப்/ச | स्ट ट | ारा की | ो गई प | ग्रोषण | ा के अ | भाशा | र पर नि | च्या गरा | हि.शौ | र ऊप- | दिए : | ਸੂਚ ਜਿ | वरण व | कास्य | त्यापन | उत्पः | सार्तः | जनिक | होमेन | न की य | पुचुना : | से कि | या गरा | ा है |
| जब कभी | यह उपलब्ध | है। | | | | (* | , -1*1 | 118* | ., 🤊 | . 3''' | | . 1/5 | & | 7 | 4 , | 1-1 | | ., 41 | 15 19 | | | . 5/11 | ~) | . , 14 | 1 | 2-1-XI | | - 11 | 7 | | 21.1. | . 4-1 \ | | 172 | 17 | . <1 |
| | मुख/शाखा प | रिचालन | प्रमुख | के हस | ताक्षर) | | | | | | | | _ | ا داده (| п э / | ıflı | : : : - | | | | | | | | | | | | | Ð | эт. | | | | | |
| नामः | | | | | | | | | | | | | স | ાબાપા | ₹ 4./ | नाएप | , q.:_ | | | | | | | | | | | | | _ (11) | ч: | | | | | _ |

| APPLIC | OITAC | N FC | DRM | FOF | RMU | ILTIP | LE C | ORI | RESF | PON | DEN | ICE/ | LOC | CALA | NDD | RES | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | ANN | EΧl | JRE - | - 111 |
|---------------------|----------------------|--------------|----------|----------|--------|---------|--------|----------|------------|----------|-----------|-----------|----------|---|------------|----------------|----------|-------|----------|-------------|----------|-------------|-----------------------|-----------|-------|------------|-------|-------|-------|--------|-----------|--------|-------|----------|--------|-------|----------|---------------|
| INSTRUC | TIONS: | • FI | ELDS | MAR | KED | MITH | ′*′ AR | E MA | NDAT | ORY | • | PLEA | SE FIL | L THI | E FO | RM IN | ENGL | ISH A | AND | IN BL | OCK L | ETTE | RS | | | | | | | | | | | | | | | |
| APPLICA | TION TY | PE*: | | | NE | EW | | UPD | ATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CKYC NI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (CKYC NL | | | | | DATOF | RY FOR | UPD/ | ATE RE | EQUES | T) L | | | | | | | | | | _ | | _ | _ | \exists | | \equiv | | | | + | \exists | | | | + | + | + | \pm |
| PROOF C | F ADDR | ESS | (POA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CORRES | PONDEN | NCE / | LOC | AL A | DDRE | SS DE | TAIL | s* | | SAM | E AS C | URRE | NT/I | PERM | ANEI | VT/O\ | /ERSE | AS A | DDR | ESS D | ETAII | .s | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADDRES | S TYPE*: RESIDEN | | OD D | ICINII | -cc | | DE | L | √TIAL | Г | | DLIC | NESS | | |] _D | GISTE | DED | OFF | ICE | | ٦., | NSPE | CIFII | - D | | | | | | | | | | | | | |
| г | ESIDEN | HAL | OK D | JOHN | -55 | | KE. | יושטופ | VIIAL | L | \perp | БОЗІ | INESS | L | | KE | GISTE | KED | OFF | ICE | L | | NSPE | CIFII | | | _ | | | | | | | | | | | |
| LINE 1*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINE 2*: | Ī | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | T | T | Ť | Ŧ | 司 | | i | T | Ť | T | T | | T | 亏 |
| LIIVL Z . | Ĺ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | <u> </u> | | | | | | _ | | \perp | + | + | _ | _ | _ | _ | _ |
| LINE 3*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (| CITY | / TO | WN NA | AME | *: | | | | | | | | | | |
| DISTRIC | г*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |] c | _ OUN [_] | TRY N | JAME | . Γ | T | Ī | i | | Ť | i | i | Ť | i | | i | \equiv |
| STATE / | Ĺ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | | \square | | | | _ | \Box | _ | <u> </u> | | <u> </u> |] | | | | | _ | | | | | | | | | | | |
| UT NAMI | Ξ*: | | | | | | | | | | | P | IN / PC | OST C | ODE | *: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONT | ACT DE | ETA | ILS (| lf cor | nmur | nicatio | on ha | s to b | e dor | ie on | Mobil | e/em | ail the | e follo | wing | Mob | ile No | /Ema | ail ID | will b | e use | d) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEL. (OF | E) · | | | Т | | 7 | | | | Т | Т | | | | | Т | |] . | TEI | (RES) | . [| Т | Т | | | | | | Т | T | T | | | Т | Т | Т | T | $\overline{}$ |
| TEL. (OF | | Ļ | \vdash | <u> </u> | | | | | + | \vdash | \vdash | <u> </u> | <u> </u> | _ | Ļ | \vdash | \vdash | | ILL. | (RLS) | . F | + | _ | _ | | | | | Ļ | + | 4 | | | \vdash | + | + | + | + |
| MOBILE | VO.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | FA | X: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMAIL ID | | | | ī | Т | Τ | П | Т | | T | İ | | | | | İ | | Ĺ | Τ | | T | T | T | Т | T | | | | | | T | T | | | | | | |
| LITALLID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APPLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • I/We h | nereby d the info | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | to inf | orm | ı you | of ar | ny ch | nang | jes tr | nerei | in, im | imed | iatel | /. In ca | ise |
| • My/O | | | | | | | | | | | _ | | СРГСС | , | 9, ., . | ve un | , a, c a | ··· | | .,, ,,, | may c | , , , , , , | anab | | | | | | | | | | | | | | | |
| • I/Weh | ereby c | onse | ntto | recei | vingi | nform | nation | fron | n cent | ral K\ | /CRe | gistry | throu | ıgh Si | MS/E | mail | on the | abov | vere | giste | rednu | ımbe | r/em | ailac | ldres | s | | | | | | | | | | | | |
| DATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DI ACE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | ME | OF | THE | | | TURE | | ON | OF EN | TITV |
| PLACE:_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IN. | AME | Or | I HE | AUTI | HOR | IZED | PER. | ON | JF EN | 1111 |
| | | | | | | | | | | | | _ / | AT TE | STA | TIC | N/I | FOR | OFF | ICE | US | ON | LY | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| DOCUM | ENTS RE | CEIV | ED: | | SELF | -CER | TIFIE |) | TF | RUE C | OPIES | 5 | N | OTAR | Y | | | R | ISK | CATEC | ORY: | | | HIC | Н | | | ME | MUIC | 1 | | | LC | W | | | | |
| IN PERSO | N VERIF | ICAT | ONO | CARR | ED O | UT BY | IDEN | TITY | — VERIF | ICATIO | ON: | | Ē., | OONE | | | | | | I | DATE: | | | | | | _ | | | T | | _ | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMP./OFI | -ICIAL SI | IGNA | TURE | | | | | | | | | | | | | | | EMI | P./OF | F. NAI | ME: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBPA No | ./P.F No.: | | | | | | | | | EM | 1P./OF | F. DES | SIGNA | TION: | | | | | | | | | _EMF | :/OF | F. BR | NCH | : | | | | | | | | | | | |
| DECL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | NN | EXL | RE - | IV |
| (APPLICA PARTNEI | | | | | | | | | | | | | | | | | OF A S | SUBS | IDIA | RY OF | SUCF | I A CC | OMPA | NY), | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. NAME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| (COM 2. REGIS | PANY, PA | | | | | | | | D ASS | SOCIA | TION | ON B | ODY | OF INC | DIVID | UALS | AND | ΓRUS | STS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AILABLE | | DER : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| 3. REGIS | TERED A | ADDI | RESS: | | | | | | | | | | | | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| THE CUS | TOMER | AS S | TATE | ABC | OVE H | EREBY | CON | IFIRM | S ANI | DEC | LARE | STHA | T AS | ON DA | ATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THEFOL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MORE T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ORE T | HAN | OR EC | QUAL | TO 1 | .0% (| TRUS | T) OI | FCAF | ITAL | ./PR | OFIT | S/PR | OPE | RTY | OR C | ONTI | ROLLI | NG |
| SL | FULL N | IAME | OFB | ENEF | ICIAL | OWN | ER/ | | | DATE | OFB | IRTH | | | NATI | ONAL | ITY | | | | ΑĽ | DRES | SS | | | | TY | PE O | FKY | 0 | | СО | NTR | OLLI | NG O | WNE | RSHIP | |
| NO. | CONT | ROLI | _ING I | UTAV | RAL F | PERSO | N(S) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DC | CUM | ENT | S | | | - 1 | NTE | REST | (%) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | + | | | | | | | \dashv |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DECLAR | ATIONIO | - D-I | F) (4 h | T DE | 2001 | | 11100 | - | <u> </u> | 14051 | 45517/ | A | DTAI | -DC // . | CT 0 | - TOU | CTEEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL NO. | ATIONO | | JLL NA | | RSON | HOLD | T T | | DESI | | | ALL PA | T | | | OFB | | EIC. | · | | NΙΔ | TIONA | AI ITV | | | | | | | | ΔΓ | ODRE | · S S | | | | | \neg |
| JE IVO. | | - 1 | /LL IN/ | NI-IL | | | + | | DESI | OIVAI | 1014 | | | | DAIL | . 01 1 | KIII | | + | | INA | 11014/ | \LIII | | | | | | | | Λ. | JUNE | .55 | | | | | \dashv |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \perp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| \vdash | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \dashv |
| IN CASE (| OF MORE | RFI | F\/ΔN | T PFR | SONS | (HOI | DING | SENIC | OR MA | NAGE | MENIT | Γ/ΡΔΡΤ | NERS | /TRI I | STFF | S) PI F | ΔSFIN | IFORI | M IN | SEPAR | ΔTF S | HEET | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WE CER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NJAE | NA. | TION/ | AL B | ANK | WIT | ноц | JT D | ELAY | OF | ANY | СНА | NGE | S IN T | ΉE |
| CONTRO | | | | | | | | | | | HAVII | NG C | ONTR | OLLIN | IG O | WNE | RSHIP | INTE | ERES | T IN T | HE C | OMPA | ANY, | PART | NER | SHIP | FIRM | 1, UN | NCC | ORPO | ORAT | ΓED / | ASSC | OCIA | ΓΙΟΝ | OR E | ODY | OF |
| INDIVIDU FOR AND | | | | | | | | | | | 4 I INIII | NICOR | DOD A | TEDA | .ss | CIATI | | BOL |) V () | EINIDI | /1011/ | 1 5 11 | UD TE | пст | C1. | | | | | | | | | | | | | |
| SIGNAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ICIAL | : _ | | | | | | | | | | | |
| DESIGN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (*The de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| For Bran | | _ | | | | , . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | |
| We certi | • | | | | | | | | | | | | | ined o | on th | e bas | is of d | ecla | ratio | n ma | de by | the a | bove | mer | ntion | ed Co | mp | any / | Firm | ı / Ti | rust | and t | the c | letai | ls fur | nishe | d abo | ve |
| (Signatu | | | | | | | | | | pu | DIIC U | omali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name: | | م ا <i>ن</i> | . 1011 F | .cuu | , Jiai | | al | | .cau; | | | | | GI | BPA N | No./PI | No.: | | | | | | | | | | | | | | _ r | Date: | : | _ | _ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| ह नेहिंद्रमा प्रणाली से क्रम स्विचा मैं /हम, बैंदिंक्रम प्रणाली से क्रम स्वचा मैं /हम, बैंदिंक्रम प्रणाली से निम्मनुसार यथा वर्णित ऋण सुविधा का लाभ ले रहा/रही हूं / रहे हैं (निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन चालू खाता खोल सकता/सकती हूं /सकते हैं) क्रम सं. ऋणदाता संस्थान (नों) का नाम थाखा शाखा (ईमेल एवं पिन नें. सहित) का पता ऋण एक्सपोजर के प्रकार राशि करोड़ में मैं /हम प्रह ववन देता/देती/देते हूँ / हैं कि घटि में /हमारे हारा बी गई/लिए गए ऋण सुविधा (ओं) की राशि रु. 5.00 करोड़ या उससे अधिक हो लाते हैं, तो इसकी चूलना अपयो तूर्पत देंगे । मैं हम प्रह ववन देता/देती/देते हूँ / हैं कि घटि में /हमारे हारा बी गई/लिए गए ऋण सुविधा (ओं) की राशि रु. 5.00 करोड़ या उससे अधिक हो लों से भामता हो, हारा नियंत्रित होंगा हाँ (काँ तम 3 में दी गई खातों के अधीन चालू खाता खोला जाए) क 5.00 करोड़ या उससे अधिक का कुल ऋण एक्सपोजर (खाई प्राइक्त के प्रस सीसी-ओडी सुविधा हो) हाँ (काँतम 3 में दी गई खातों के अधीन चालू खाता खोला जाए) मही (यह ग्राहक ने किसी भी के अधीन चालू खाता खोला जाए) मही (यह ग्राहक ने किसी भी के का स्वचानों के पास उसार की मही का मारे अधीन चालू खाता खोला जा सकता है) हाँ (तमें मारामा ची से रु. 5 करोड़ या उससे अधिक के एक्सपोजर वाले उपारकती के प्रस वालता हैं (तमें सालू खाता खोला जा सकता है) हाँ (तमें माराने से रु. 5 करोड़ या उससे अधिक के एक्सपोजर वाले उपारकती के कि अधीन चालू खाता खोला जा सकता है) हाँ (तमें माराने के अधीन चालू खाता खोला जा सकता है) हाँ (तमें माराने के अधीन चालू खाता खोला जा सकता है) हाँ (तमें माराने के अधीन चालू खाता खोला जा सकता है) हाँ (तमें माराने के अधीन चालू खाता खोला जा सकता है) हाँ (तमें माराने के अधीन चालू खाता खोला जा सकता है) हाँ (तमें माराने के अधीन चाल खाता खोला चाला सकता है) हां (तमें माराने के अधीन खाल खाता खोला जा सकता है) हां (तमें माराने के अधीन चालू खाता खोला जा सकता है) हां (तमें माराने के अधीन वालू खाता खोला को सकता है) हां (तमें माराने के अधीन वालू खाता खोला जा सकता है) हां (तमें माराने के अधीन चालू खाता खोला जा सकता है) हां कि प्रमाणवार वाले जा जाणी। इं अला मारान में के खाती खोला खाला। इं अला मारान में के खाती खोली खाला हो सकते हैं कि इन संग्रह खाती से धनताहिं के और उधारकि | पत्रः वैंकिंग प्रणाली से ऋण सुविधा मैं /हम, बैंकिंग प्रणाली से निम्नानुसार यथा वर्णित ऋण सुविधा का लाभ ऋम सं. ऋणदाता संस्थान (नों) का नाम शाखा 1. र. 5.00 करोड़ से कम का कुल ऋण एक्सपोजर मैं/ह (बीं) 2. र. 5.00 करोड़ या उससे अधिक का कुल ऋण एक्सपोजर 1. (वाहे ग्राहक के पास सीसी-ओडी सुविधा हो) 2. हाँ (कॉलम 3 में दी गई शर्तों के अधीन चालू खाता खोला जाए) 3. 4. (II) नहीं, यदि ग्राहक ने किसी भी बैंक से सीसी/ओडी की सुविधा का लाभ नहीं किया है, तो बैंक निम्नानुसार चालू खाता खोल सकते हैं: ए. बैंकिंग प्रणाली से रू० 50 करोड़ या उससे अधिक के एक्सपोजर वाले उधारकर्ता वी. बैंकिंग प्रणाली से रू० 5 करोड़ या उससे अधिक लेकिन रु. 50 करोड़ से कम के एक्सपोजर वाले उधारकर्ता 4. 5. | भ ले रहा/रही हूँ / रहे हैं (निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन चालू खाता खोल सकता/सकती हूँ /सकते हैं) शाखा (ईमेल एवं पिन नं. सिहत) का पता ऋण एक्सपोजर के प्रकार राशि करोड़ में स्मित्र यह वचन देता/देती,देते हूँ / हैं कि यदि मेरे /हमारे द्वारा ली गई/लिए गए ऋण सुविधा (ऑ) की राशि रु. 5.00 करोड़ या उससे अधिक हो जाती है, तो इसकी सुचना आपको तुरंत देंगे। मैं/हम यह वी समझते हैं कि जब कुण एक्सपोज़र 5.00 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, तो मेरा/हमारा खाता पैरा 2 (i) और पैरा (ii) (ए) या बी) जैसा भी मामला हो, द्वारा नियंत्रित होगा 1. चालू खाता उन बैंकों में से किसी एक में खोला जा सकता है (उधारकर्ता के विकल्प पर) जिसके पास सीसी/ओडी सुविधा है, बशर्ते कि बैंक के पास: उधारकर्ता के हिए बींकेग प्रणाली का कम से कम 10% एक्सपोज़र हो। 2. अन्य ऋणदाता बैंक हैं से अधीन कंत्र से कुण एक्सपोज़र हो। 3. तीर. ऋणदाता बैंक हैं से उधारकर्ताओं के लिए बोंकेग पाप उपीय के के सीसी/ओडी खाते में प्रवित कर दी जाएगी। 3. तीर. ऋणदाता बैंक हैं से उधारकर्ताओं के लिए बोंकेग प्रणाली का कम से कम 10% एक्सपोज़र नहीं है, तो सबसे अधिक एक्सपोज़र वाला बैं वालू खाते खोत सकता है। एक अनिवार्य एक्सो तेत्र अपेक्षित है। 5. कुण स्माता के भित्र के प्रवित्त हैं हैं के ऐसे संग्र हाता हो खोलों। 4. प्रवित्त के भी भी अण्यदाता है पूर्व अनिवार्य एक्सो तेत्र अपेक्षित है। 5. अन्य अण्यता है हों (यदि नहीं हैं, तो चालू खाता खोला जा सकता है) एक अनिवार्य एक्सो तेत्र अपेक्षित है। 5. अन्य अण्याता हो सार्य के अधीन संग्रह खाते खोला सकता है। 5. अन्य अण्याता हो सार्य के अधीन संग्रह खाते खोला सकता है। 5. अन्य अण्याता हो सार्य के अधीन संग्रह खाते खोला सकता है हिं हन संग्रह खातों में धनराशि बैंक और उधारकर्ता के बीच सहमत अंतराल पर उ एसको खाते में प्रवित्त की जाएगी। 5. अबल कि संग्रह खातों में जागा राशि या संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है; इन खातों में डोबेट उक्त एसको खाते में आप भेजने के उद्देश्य तक सीमित। जाएगी। |
|---|---|---|
| में शहरा प्रजास के अधीन चाल खाता खोला अपने संकार प्रकार के प्रकार के प्रकार विकास के अधीन चाल खाता खोला अधीन चाल खाता खोला अधीन चाल खाता खोला अधीन चाल खाता खोला अधीन चाल खाता खेल सकता/सकती है (सकते हैं) क्रम सें. क्रणवाता संस्थान (नो) का नाम थाखा शाखा (ईमेल एवं पिन नं. सहिंत) का पता क्रण एक्सपोजर के प्रकार राशि करोड़ में क्रम सें. क्रणवाता संस्थान (नो) का नाम थाखा शाखा (ईमेल एवं पिन नं. सहिंत) का पता क्रण एक्सपोजर के प्रकार राशि करोड़ में क्रम सें. क्रणवाता संस्थान (नो) का नाम थाखा शाखा (ईमेल एवं पिन नं. सहिंत) का पता क्रण एक्सपोजर के प्रकार राशि करोड़ में क्रम सें. क्रणवाता संस्थान (नो) का नाम थाखा शाखा (ईमेल एवं पिन नं. सहिंत) का पता क्रण एक्सपोजर के प्रकार राशि करोड़ में क्रम सें. क्रणवाता संस्थान (नो) का नाम थाखा शाखा (ईमेल एवं पिन नं. सहिंत) का पता क्रण एक्सपोजर के प्रकार राशि करोड़ में क्रम सें. क्रणवाता संस्थान (नो) का नाम थाखा शाखा संका प्रकार प्रकार के प्रकार के प्रकार प्रकार के प्रकार प्रकार के प्रकार प्रकार के प्रकार प्रकार के प्रकार प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार प्रकार के प्रकार प्रकार के प्रकार प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार प्रकार के प्रकार प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार प्रकार के प्रकार प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार | खाते का नामः मैं /हम, बैंकिंग प्रणाली से निम्नानुसार यथा वर्णित ऋण सुविधा का लाभ क्रम सं. ऋणदाता संस्थान (नों) का नाम शाखा 1. रु. 5.00 करोड़ से कम का कुल ऋण एक्सपोजर मैं /हम, बैंकिंग प्रणाली संस्थान (नों) का नाम शाखा 1. रु. 5.00 करोड़ सो कम का कुल ऋण एक्सपोजर प्राहे ग्राहक के पास सीसी-ओडी सुविधा हो) 2. (1) हाँ (कॉलम 3 में दी गई शर्तों के अधीन चालू खाता खोला जाए) 3. 4. (1) नहीं यदि ग्राहक ने किसी भी बैंक से सीसी/ओडी की सुविधा का लाभ नहीं किया है, तो बैंक निम्नानुसार चालू खाता खोल सकते हैं: या उससे अधिक के एक्सपोजर वाले उधारकर्ता 1. 2. 3. 3. के एक्सपोजर वाले उधारकर्ता 4. 5. क्या | शाखा (ईमेल एवं पिन नं. सहित) का पता ऋण एक्सपोजर के प्रकार राशि करोड़ में सिहम यह वचन देता/देती/देते हूँ/ हैं कि यदि मेरे /हमारे द्वारा ली गई/लिए गए ऋण सुविधा (ऑ) की राशि रु. 5.00 करोड़ या उससे अधिक हो जाती है, तो इसकी सूचना आपको तुरंत देंगे। "ग्रहम यह वचन देता/देती/देते हूँ/ हैं कि यदि मेरे /हमारे द्वारा ली गई/लिए गए ऋण सुविधा (ऑ) की राशि रु. 5.00 करोड़ या उससे अधिक हो जाती है, तो इसकी सूचना आपको तुरंत देंगे। "ग्रहम यह भी समझते हैं कि जब ऋण एक्सपोज़र 5.00 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, तो मेरा/हमारा खाता पैरा 2 (i) और पैरा (ii) (ए) या (बी) जैसा भी मामला हो, द्वारा नियंत्रित होगा 1. वातू खाता उन बेंकों में से किसी एक में खोला जा सकता है (उधारकर्ता के विकल्प पर) जिसके पास सीसी/ओडी सुविधा है, बधातें कि बेंक के पास उधारकर्ता के लिए बेंकेन प्रणाली का कम से कम 10% एक्सपोज़र हो। 2. अन्य ऋणदाता बेंक हसे आदि के अधीन केवल संग्रह खाता खोल सकते हैं कि ऐसे संग्रह खाते में जमा की गई धनराशि ऐसी धनराशि प्राप्त होने के दो व दिवसों के भीतर, उधारकर्ता के कि चाल खात को खोल गए उपपुंतन बेंक के सीसी/ओडी खाते में प्रोप्त कर दी जाएगी। 3. गैर. ऋणदाता बेंक ऐसे उधारकर्ता के लिए बेंक हो चालू खाता खोल सकते हैं। 1. एक अनिवार्य एक्को तंज अपीक्षत है। 2. वहीं (तियद नहीं हैं, तो चालू खाता नहीं खोला। जा सकता है) 2. इंग ऋणदाता है 3. वहीं (यदि नहीं हैं, तो चालू खाता नहीं खोला जा सकता है) 3. इंग ऋणदाता है 3. इंग हमारी में अपते के अधिकत है। 3. इंग हमारी में अपते के अधिकत है। 4. पक अनिवार्य एक्को वंज अपीक्षत है। 5. केवल एक्को प्रवेश केवल अपीक्षत है। 5. केवल एक्को प्रवेश केवल अपीक्षत है। 5. केवल एक्को प्रवेश की जाएगी। 4. जातिक संग्रह खातो में जमा राशि या संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इन खातों में डेबिट उक्त एक्को खाते में आय भेजने के उद्देश्य तक सीमित जाएगी। 5. केवल संग्रह खातों में जमा राशि या संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 5. केवल संग्रह खाते बेंल एक्का खाता खोल सकते हैं। 5. केवल संग्रह खाते खोल सकते हैं। 5. केवल संग्रह खाती संग्रह खाते खोल सकते हैं के केवल ऊपर यथा निर्धारित संग्रह खाते खोल सकते हैं। |
| में /हम, बैंकिंग प्रणाली से निम्नानुसार यथा वर्णित ऋण सुविधा का लाभ ले रहा/रही हूं / रहे हैं (निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन चालू खाता खोल सकता/सकती हूं /सकते हैं) ऋम सं. ऋणदाता संस्थान (में) का नाम शाखा शाखा (ईमेल एवं पिन नं. सहित) का पता ऋण एक्सपोजर के प्रकार राशि करोड़ में में /हम यह बचन देता/देती/देते हूं/ हैं कि यदि मेंरे /हमारे द्वारा ती गह/लिए गए ऋण सुविधा (ओ) की राशि रु. 5.00 करोड़ या उससे अधिक हो में /हम यह बचन देता/देती/देते हूं/ हैं कि यदि मेंरे /हमारे द्वारा ती गह/लिए गए ऋण सुविधा (ओ) की राशि रु. 5.00 करोड़ या उससे अधिक हो में /हम यह भी समझते हैं कि जब ऋण एक्सपोजर (बी) कैस भी मामला हो, द्वारा नियंग्नित होगा 5.5.00 करोड़ या उससे अधिक का कुल ऋण एक्सपोजर (बी) वैसा भी मामला हो, द्वारा नियंग्नित होगा 5.5.00 करोड़ या उससे अधिक का कुल ऋण एक्सपोजर (बी) वैसा भी मामला हो, द्वारा नियंग्नित होगा 1. बाद बचात उन कैसे में किसी एक में खोला जा सकता है (उपारकति हैं) कि विकरप पर) जिसके पास सीसी/ओडी खातो पेरा 2 (त) और पेरा (त) (ए) या (बी) वैसा भी मामला हो, द्वारा नियंग्नित होगा 1. बाद बचात उन कैसे में में किसी एक में खोला जा सकता है (उपारकति हैं) कि प्राय सेमा अधिक है, तो मेरा/हमारा खाता पेरा 2 (त) और पेरा (त) (ए) या (बी) वैसा भी मामला हो, द्वारा नियंग्नित होगा 1. बाद बचात उन कैसे में किसी एक में खोला जा सकता है (उपारकति हैं) कि प्रोप्त संप्रकार हो किस प्राप्त सेमा किस करते हैं हि ऐसे संग्रह खाते में जमा की गई धनराथि ऐसी धनराथि प्राप्त होने के दो कार दिक्सी भी ऋणदाता है चान के पास उपारकती के बिल वा प्राप्त में ही बोरों। 1. बाद विका प्राप्त होने पर उपारकती के बिल वा सकता है। विकार प्राप्त होने पर उपारकती के अधीन चालू खाता खोता जा सकता है। विकार प्राप्त होने अधित हो (पार स्वार के अधीन चालू खाता खोता जा सकता है) इंग क्या प्राप्त होन के अधीन संग्रह खाती खोल सकते हैं कि इन संग्रह खातो से धनराथि बैंक और उधारकती के बीच सहमत अंतराल पर उक रहना विके प्रसापाय वाले आता खोला सकते हैं कि इन संग्रह खातो खेला सकतो है कि इन संग्रह खातों से धनराथि बैंक और उधारकती के बीच सहमत अंतराल पर उक रहना विके विवार सकते हैं कि इन संग्रह खातों से धनराथि बैंक और उधारकती के बीच सहमत अंतराल पर उक रहना विके भी सहम खाते के लिया सकते हैं कि इ | में /हम, बैंकिंग प्रणाली से किम सुविधा मैं /हम, बैंकिंग प्रणाली से निम्नानुसार यथा वर्णित ऋण सुविधा का लाभ । क्रम सं. ऋणदाता संस्थान (नों) का नाम शाखा 1. रु. 5.00 करोड़ से कम का कुल ऋण एक्सपोजर मैं/ह जात । (बाहे ग्राहक के पास सीसी-ओडी सुविधा हो) हाँ (कॉलम 3 में दी गई शर्तों के अधीन चालू खाता खोला जाए) 3. 4. वाहे किया है, तो बैंक निम्नानुसार चालू खाता खोला सकते हैं: ए. बैंकिंग प्रणाली से रु० 50 करोड़ या उससे अधिक लेकिन रु. 50 करोड़ से कम के एक्सपोजर वाले उधारकर्ता 1. वहीं क्यारकर्ता 4. 5. क्या | शाखा (ईमेल एवं पिन नं. सहित) का पता ऋण एक्सपोजर के प्रकार राशि करोड़ में सिहम यह वचन देता/देती/देते हूँ/ हैं कि यदि मेरे /हमारे द्वारा ली गई/लिए गए ऋण सुविधा (ऑ) की राशि रु. 5.00 करोड़ या उससे अधिक हो जाती है, तो इसकी सूचना आपको तुरंत देंगे। "ग्रहम यह वचन देता/देती/देते हूँ/ हैं कि यदि मेरे /हमारे द्वारा ली गई/लिए गए ऋण सुविधा (ऑ) की राशि रु. 5.00 करोड़ या उससे अधिक हो जाती है, तो इसकी सूचना आपको तुरंत देंगे। "ग्रहम यह भी समझते हैं कि जब ऋण एक्सपोज़र 5.00 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, तो मेरा/हमारा खाता पैरा 2 (i) और पैरा (ii) (ए) या (बी) जैसा भी मामला हो, द्वारा नियंत्रित होगा 1. वातू खाता उन बेंकों में से किसी एक में खोला जा सकता है (उधारकर्ता के विकल्प पर) जिसके पास सीसी/ओडी सुविधा है, बधातें कि बेंक के पास उधारकर्ता के लिए बेंकेन प्रणाली का कम से कम 10% एक्सपोज़र हो। 2. अन्य ऋणदाता बेंक हसे आदि के अधीन केवल संग्रह खाता खोल सकते हैं कि ऐसे संग्रह खाते में जमा की गई धनराशि ऐसी धनराशि प्राप्त होने के दो व दिवसों के भीतर, उधारकर्ता के कि चाल खात को खोल गए उपपुंतन बेंक के सीसी/ओडी खाते में प्रोप्त कर दी जाएगी। 3. गैर. ऋणदाता बेंक ऐसे उधारकर्ता के लिए बेंक हो चालू खाता खोल सकते हैं। 1. एक अनिवार्य एक्को तंज अपीक्षत है। 2. वहीं (तियद नहीं हैं, तो चालू खाता नहीं खोला। जा सकता है) 2. इंग ऋणदाता है 3. वहीं (यदि नहीं हैं, तो चालू खाता नहीं खोला जा सकता है) 3. इंग ऋणदाता है 3. इंग हमारी में अपते के अधिकत है। 3. इंग हमारी में अपते के अधिकत है। 4. पक अनिवार्य एक्को वंज अपीक्षत है। 5. केवल एक्को प्रवेश केवल अपीक्षत है। 5. केवल एक्को प्रवेश केवल अपीक्षत है। 5. केवल एक्को प्रवेश की जाएगी। 4. जातिक संग्रह खातो में जमा राशि या संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इन खातों में डेबिट उक्त एक्को खाते में आय भेजने के उद्देश्य तक सीमित जाएगी। 5. केवल संग्रह खातों में जमा राशि या संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 5. केवल संग्रह खाते बेंल एक्का खाता खोल सकते हैं। 5. केवल संग्रह खाते खोल सकते हैं। 5. केवल संग्रह खाती संग्रह खाते खोल सकते हैं के केवल ऊपर यथा निर्धारित संग्रह खाते खोल सकते हैं। |
| में /हम, बैंकिंग प्रणाली से निम्नानुसार यथा वर्णित ऋण सुविधा का लाभ ले रहा/रहीं हूँ / रहे हैं (निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन चालू खाता खोल सकता/सकती हैं /सकते हैं) कम सं. ऋणदाता संस्थान (नों) का नाम शाखा शाखा शाखा (ईमेल एवं पिन नं. सिहत) का पता ऋण एक्सपोजर के प्रकार राशि करोड़ में क. 5.00 करोड़ से कम का कुल ऋण एक्सपोजर मैं/हम यह वचन देता/देती/देते हूँ/ हैं कि यदि मेरे /हमारे द्वारा ली गई/लिए गए ऋण सुविधा (ओ) की राशि रु. 5.00 करोड़ या उससे अधिक हो जाती है, तो इसकी स्वचा आपको तुरंत देंगे । हें हैं हैं हैं कि यदि मेरे /हमारे द्वारा ली गई/लिए गए ऋण सुविधा (ओ) की राशि रु. 5.00 करोड़ या उससे अधिक हो जाती है, तो इसकी स्वचा आपको तुरंत देंगे । हें हैं हैं कि यदि मेरे /हमारे द्वारा ली गई/लिए गए ऋण सुविधा (ओ) की राशि रु. 5.00 करोड़ या उससे अधिक हो जाती है, तो इसकी स्वचा आपको तुरंत देंगे । हें हैं हैं कि यदि मेरे /हमारे द्वारा ली गई/लिए गए ऋण सुविधा (ओ) की राशि रु. 5.00 करोड़ या उससे अधिक हो जाती है , तो इसकी स्वचा आपको तुरंत देंगे । हें हैं हैं कि यदि मेरे /हमारे द्वारा ली गई/लिए गए ऋण सुविधा (ओ) की राशि रु. 5.00 करोड़ या उससे अधिक हो जाती है , तो इसकी स्वचा आपको तुरंत देंगे । हें हैं कि यह मेरे /हमारे द्वारा ली गई/लिए गए ऋण सुविधा (ओ) की राशि रु. 5.00 करोड़ या उससे अधिक हो जाती है हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो | में /हम, बैंकिंग प्रणाली से निम्नानुसार यथा वर्णित ऋण सुविधा का लाभ क्रिम सं. ऋणदाता संस्थान (नों) का नाम शाखा . र. 5.00 करोड़ से कम का कुल ऋण एक्सपोजर मैं/(जार में/(जार में)) र. र. 5.00 करोड़ या उससे अधिक का कुल ऋण एक्सपोजर 1. (चाहे ग्राहक के पास सीसी-ओडी सुविधा हो) हाँ (कॉलम 3 में दी गई शर्तों के अधीन चालू खाता खोला जाए) 3. 4. नहीं, यदि ग्राहक ने किसी भी बैंक से सीसी/ओडी की सुविधा का लाभ नहीं किया है, तो बैंक निम्नानुसार चालू खाता खोल सकते हैं: व. बैंकिंग प्रणाली से रु० 50 करोड़ या उससे अधिक के एक्सपोजर वाले उधारकर्ता 1. वैंकिंग प्रणाली से रु० 5 करोड़ या उससे अधिक के एक्सपोजर वाले उधारकर्ता 4. 5. क्या | शाखा (ईमेल एवं पिन नं. सहित) का पता ऋण एक्सपोजर के प्रकार राशि करोड़ में सिहम यह वचन देता/देती/देते हूँ/ हैं कि यदि मेरे /हमारे द्वारा ली गई/लिए गए ऋण सुविधा (ऑ) की राशि रु. 5.00 करोड़ या उससे अधिक हो जाती है, तो इसकी सूचना आपको तुरंत देंगे। "ग्रहम यह वचन देता/देती/देते हूँ/ हैं कि यदि मेरे /हमारे द्वारा ली गई/लिए गए ऋण सुविधा (ऑ) की राशि रु. 5.00 करोड़ या उससे अधिक हो जाती है, तो इसकी सूचना आपको तुरंत देंगे। "ग्रहम यह भी समझते हैं कि जब ऋण एक्सपोज़र 5.00 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, तो मेरा/हमारा खाता पैरा 2 (i) और पैरा (ii) (ए) या (बी) जैसा भी मामला हो, द्वारा नियंत्रित होगा 1. वातू खाता उन बेंकों में से किसी एक में खोला जा सकता है (उधारकर्ता के विकल्प पर) जिसके पास सीसी/ओडी सुविधा है, बधातें कि बेंक के पास उधारकर्ता के लिए बेंकेन प्रणाली का कम से कम 10% एक्सपोज़र हो। 2. अन्य ऋणदाता बेंक हसे आदि के अधीन केवल संग्रह खाता खोल सकते हैं कि ऐसे संग्रह खाते में जमा की गई धनराशि ऐसी धनराशि प्राप्त होने के दो व दिवसों के भीतर, उधारकर्ता के कि चाल खात को खोल गए उपपुंतन बेंक के सीसी/ओडी खाते में प्रोप्त कर दी जाएगी। 3. गैर. ऋणदाता बेंक ऐसे उधारकर्ता के लिए बेंक हो चालू खाता खोल सकते हैं। 1. एक अनिवार्य एक्को तंज अपीक्षत है। 2. वहीं (तियद नहीं हैं, तो चालू खाता नहीं खोला। जा सकता है) 2. इंग ऋणदाता है 3. वहीं (यदि नहीं हैं, तो चालू खाता नहीं खोला जा सकता है) 3. इंग ऋणदाता है 3. इंग हमारी में अपते के अधिकत है। 3. इंग हमारी में अपते के अधिकत है। 4. पक अनिवार्य एक्को वंज अपीक्षत है। 5. केवल एक्को प्रवेश केवल अपीक्षत है। 5. केवल एक्को प्रवेश केवल अपीक्षत है। 5. केवल एक्को प्रवेश की जाएगी। 4. जातिक संग्रह खातो में जमा राशि या संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इन खातों में डेबिट उक्त एक्को खाते में आय भेजने के उद्देश्य तक सीमित जाएगी। 5. केवल संग्रह खातों में जमा राशि या संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 5. केवल संग्रह खाते बेंल एक्का खाता खोल सकते हैं। 5. केवल संग्रह खाते खोल सकते हैं। 5. केवल संग्रह खाती संग्रह खाते खोल सकते हैं के केवल ऊपर यथा निर्धारित संग्रह खाते खोल सकते हैं। |
| | क्या | 5. गैर- ऋणदाता बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के लिए कोई चालू खाता नहीं खोलेंगे क्या पीएनबी ऋणदाता है हाँ (ऋणदाता बैंक द्वारा चालू खाता खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है) नहीं (गैर- ऋणदाता बैंक केवल ऊपर यथा निर्धारित संग्रह खाते खोल सकते है) |
| | | प्रयोजन के लिए खाते। 6. ऐसे बेंकों के उधारकर्ताओं के लिए करों, शुल्कों, सांविधिक देयताओं आदि को संग्रह करने के लिए अधिकृत बैंकों के साथ खोले गए खाते, प्रेसे करों, चुंगी, सांविधिक देयताओं आदि को संगृहीत करने हेतु अधिकृत नहीं हैं। 7. मुद्रा की सोर्सिंग के लिए व्हाइट लेबल एटीएम संचालकों और उनके एजेंटों के खाते। यह छूट कैश-इन ट्रांजिट (सीआईटी) कंपनियों/के पुनःपूर्ति एजेंसियों (सीआरएएस) को दी जाएगी क्योंकि वे अनिवार्य रूप से एक समान गतिविधि करते हैं। |
| 4. फेमा, 1999 के तहत अनुमत खाते। 5. आईपीओ/एनएफओ/एफपीओ/शेयर बायबैक/लाभांश के भुगतान/ वाणिज्यिक पत्र जारी करना/ डिबेंचर का आवंटन /ग्रेच्युटी आदि के प्रयोजन के लिए खाते। 6. ऐसे बैंकों के उधारकर्ताओं के लिए करों, शुल्कों, सांविधिक देयताओं आदि को संग्रह करने के लिए अधिकृत बैंकों के साथ खोले गए खाते, जो ऐसे करों, चुंगी, सांविधिक देयताओं आदि को संगृहीत करने हेतु अधिकृत नहीं हैं। 7. मुद्रा की सोर्सिंग के लिए व्हाइट लेबल एटीएम संचालकों और उनके एजेंटों के खाते। यह छूट कैश-इन ट्रांजिट (सीआईटी) कंपनियों/कैश पुनःपूर्ति एजेंसियों (सीआरएएस) को दी जाएगी क्योंकि वे अनिवार्य रूप से एक समान गतिविधि करते हैं। | चिनपुत्र के माध्यम से मेरे (हमारे दारा बताए गए उपरोक्त तथ्यों (पहलुओं में किसी भी प्रकार) | 8. अंतर-बैंक खातें 9. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआईएस) जैसे एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी के खाते। 10. विशिष्ट खाते जो अन्य नियामकों/विनियामक विभागों/केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कानूनों और विशिष्ट निर्देशों के तहत निर्धारित हैं। 11. केंद्र या राज्य सरकारों/नियामक निकाय/न्यायालयों/जांच एजेंसियों आदि के आदेशों द्वारा संलग्न खाते, जिनमें ग्राहक कोई विवेकाधीन डेबि नहीं कर सकता है। खातों की उपर्युक्त श्रेणियों से संबंधित योजना विशिष्ट दस्तावेज खाता खोलने के फॉर्म के साथ प्रस्तुत किए जाए। वनपत्र में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने के मामले में पीएनबी को सूचित करने का वचन देता/देती/देते हूँ/हैं। मैं/हम यह भी समझते हैं कि उपरोक्त घो गर के परिवर्तन के बारे में पीएनबी को सूचित करना मेरी/हमारी एकमात्र जिम्मेदारी होगी। गों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के मामले में नई घोषणा सह वचनपत्र प्रदान करने के लिए भी सहमत हैं। मैं/हम पीएनबी द्वारा कहे जाने पर चालू खाता बंद बंध में आरबीआई/बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करने का वचन देता/देती/देते हूँ/हैं। |



| DERTAKING: CREDIT FACILITY FROM TH | DANKINGSTSTEM | ANNEXURE |
|--|---|--|
| ICANT CIF NO.: | | DATE: |
| ID: | | |
| DUNT NAME: | | |
| | | |
| DERTAKING : CREDIT FACILITY FROM TH | BANKING SYSTEM | |
| I/WE AM/ARE AVAILING CREDIT FACILITY(IES) FROM THE | BANKING SYSTEM AS DETAILED BELOW (can open CA subject to following provision | ns): |
|] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | , | |
| O. NAME OF THE LENDING INSTITUTION(S) BRANC | H ADDRESS OF THE BRANCH (WITH EMAIL AND PIN NUMBER) | TYPE OF CREDIT EXPOSURE AMOUNT IN CROR |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL CREDIT EXPOSURE LESS THAN RS 5.00 CROF | DECLARATION CUM UNDERTAKIN I/WE UNDERTAKE TO INFORM YOU IMMEDIATELY IF AND WHEN THE SUM O | |
| | RS.5.00 CRORE OR MORE. I/WE ALSO UNDERSTAND THAT WHEN THE CREDIT EXPOSURE IS RS. 5.00 | O CRORE OR MORE MY/OUR ACCOUNT SHALL |
| | GOVERNED BY PARA 2 (I) AND PARA 2 (II) (A) OR (B) AS THE CASE MAY BE | 5 Short Shir |
| TOTAL CREDIT EXPOSURE 5 CRORE OR MORE | CURRENT ACCOUNT CAN BE OPENED IN ANY ONE OF THE BANKS (AT THE | LEOPTION OF THE BORROWER) WITH WHICH IT F |
| WHETHER CUSTOMER IS HAVING CC-OD FACILITY | CC/OD FACILITY, PROVIDED THAT THE BANK HAS AT LEAST 10% OF THE BORROWER. | HE EXPOSURE OF THE BANKING SYSTEM TO TH |
| YES (CA CAN BE OPENED SUBJECT TO CONDITIONS | 2. OTHER LENDING BANKS MAY OPEN ONLY COLLECTION ACCOUNT SUBJE SUCH COLLECTION ACCOUNTS WILL BE REMITTED WITHIN TWO WORKIN | NG DAYS OF RECEIVING SUCH FUNDS, TO THE CC/ |
| GIVEN IN COLUMN 3) | ACCOUNT MAINTAINED WITH THE AFORESAID BANK MAINTAINING CURRE 3. NON-LENDING BANKS SHALL NOT OPEN ANY CURRENT ACCOUNT FOR SU | |
| | 4. IN CASE NONE OF THE LENDERS HAS AT LEAST 10% EXPOSURE OF THE HAVING THE HIGHEST EXPOSURE MAY OPEN CURRENT ACCOUNTS. | |
| NO, IN CASE OF CUSTOMERS WHO HAVE NOT AVAIL | D WHETHER DURIS LENDED NO (IE NO CA CANNOT RE OPENED) | |
| CC/OD FACILITY FROM ANY BANK, BANKS MAY OPEI CURRENT ACCOUNT AS UNDER:- | | W. (2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 |
| SORROWERS WITH EXPOSURE FROM THE BANKING SYSTE | YES (CAN OPEN CA SUBJECT TO FOLLOW | ING CONDITIONS) |
| DF RS. 50 CRORE OR MORE | A MANDATORY ESCROW MECHANISM WILL BE REQUIRED. ONLYTHE ESCROW MANAGING BANK WILL OPEN THE CURRENT ACCOUNT. | NT. |
| SORROWERS WITH EXPOSURE FROM THE BANKING SYSTE OF RS. 5 CRORE OR MORE BUT LESS THAN RS. 50 CRORE. | \$\$ OTHER LENDERS CAN OPEN COLLECTION ACCOUNTS SUBJECT TO FROM THESE COLLECTION ACCOUNTS TO THE SAID ESCROW ACCOUN | |
| , no 5 ono 12 on 10 1 | AND THE BORROWER. 4. WHILE THERE IS NO PROHIBITION ON AMOUNT OR NUMBER OF CREDI | ITS IN 'COLLECTION ACCOUNTS' DEBITS IN TH |
| | ACCOUNTS SHALL BE LIMITED TO THE PURPOSE OF REMITTING THE PRO 5. NON-LENDING BANKS SHALL NOT OPEN ANY CURRENT ACCOUNT FOR | OCEEDS TO THE SAID ESCROW ACCOUNT |
| | | NG OF CURRENT ACCOUNTS BY THE LENDING BAN |
| | WHE THEN FIND IS LENDER 123 (THENE IS NO RESTRICTION ON OF EASI | VOOL CONNENT ACCOUNTS BY THE LENDING BAN |
| | NO (NON-LENDING BANKS MAY OPEN ON | ILY COLLECTION ACCOUNTS AS DEFINED ABOVE |
| EXEMPTED ACCOUNTS IRRESPECTIVE OF CREDIT | ACCOUNTS FOR REAL ESTATE PROJECTS MANDATED UNDER SE DEVELOPMENT) ACT 2016 FOR THE PURPOSE OF MAINTAINING 7 | |
| EXPOSURE. | HOMEBUYERS. 2. NODAL OR ESCROW ACCOUNTS OF PAYMENT AGGREGATOR | DC/DDEDAID DAVMENT INSTRUMENT ISSUEDS (|
| | SPECIFIC ACTIVITIES AS PERMITTED BY DEPARTMENT OF PAYME | |
| | PAYMENT AND SETTLEMENT SYSTEMS ACT, 2007. 3. ACCOUNTS FOR SETTLEMENT OF DUES RELATED TO DEBIT CARI | D/ATM CARD/CREDIT CARD ISSUERS/ACQUIRERS. |
| | 4. ACCOUNTS PERMITTED UNDER FEMA. 1999. | |
| | 5. ACCOUNTS FOR THE PURPOSE OF IPO/NFO/FPO/SHARE BUYBA | CK/DIV/IDENID DAVMENT/ISSUANIOS OF CONVESS |
| | PAPERS/ALLOTMENT OF DEBENTURES/GRATUITY, ETC. | SK/DIVIDEND PATMENT/1350ANCE OF COMMERC |
| | 6. ACCOUNTS FOR PAYMENT OF TAXES, DUTIES, STATUTORY D COLLECT THE SAME, FOR BORROWERS OF SUCH BANKS WHICH | |
| | DUTIES, STATUTORY DUES ETC. 7. ACCOUNTS OF WHITE LABEL ATM OPERATORS AND THEIR AGEN | NTS FOR SOLIRCING OF CURRENCY THE EXEMPT |
| | WILL EXTEND TO CASH-IN TRANSIT (CIT) COMPANIES/CASH ESSENTIALLY CARRY OUT A SIMILAR ACTIVITY. | |
| | 8. INTER-BANKACCOUNTS | |
| | 9. ACCOUNTS OF ALL INDIA FINANCIAL INSTITUTIONS (AIFIS), VIZ., | EXIMBANK, NABARD, NHB, AND SIDBI |
| | 10. SPECIFIC ACCOUNTS WHICH ARE STIPULATED UNDER VARIOUS | STATLITES AND SPECIFIC INSTRUCTIONS OF OTI |
| | REGULATORS/REGULATORY DEPARTMENTS/CENTRAL AND ST. | ATE GOVERNMENTS. |
| | 11. ACCOUNTS ATTACHED BY ORDERS OF CENTRAL BODY/COURTS/INVESTIGATING AGENCIES ETC. WHEREI | |
| | DISCRETIONARY DEBITS. SCHEME SPECIFIC DOCUMENTS RELATED TO ABOVE CATEGORIES O | OF ACCOUNTS TO BE SUBMITTED WITH THE AOF |
| | HE ABOVE DECLARATION CUM UNDERTAKING REGARDING MY/ OUR CC/OD/ OTHE | ER CREDIT FACILITIES. I/WE ALSO UNDERSTAND T |
| ALSO AGREE TO PROVIDE FRESH DECLARATION CUM U | DING ANY CHANGES TO THE ABOVE FACTS/ASPECTS STATED BY ME/US, BY MEDIU DERTAKING IN CASE OF ANY CHANGES TO THE ABOVE FACTS/ASPECTS STAT | TED BY ME / US IN THE ABOVE DECLARATION |
| RTAKING. I/WE ALSO AGREE TO CLOSE THE CURRENT ACCONG / MAINTENANCE OF MY/OUR CURRENT ACCOUNT(S). | UNT AS AND WHEN DEMANDED BY PNB. I/WE HEREBY UNDERTAKE TO ABIDE BY TH | EEXTANT GUIDELINES OF RBI/BANK REGARDING |
| E STRIKE OFF THE INAPPLICABLE OPTION. | S COLLECTION ACCOUNT TO ESCROW ACCOUNT AT THE FOLLOWING FREQUEN | CY· |
| | SPECIFY | |

Signature of Applicant/s



| नेयम के अनुसार निवास का देश | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|--------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|------|------|------|
| आवेदक का सीआईएफ नं.: | | | | | | | | केवल | कार्याल | नय के उ | पयोग हेत् | तु | | ति | थिः | | | | | |
| संस्था का नाम: | | | 1 | _ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| संस्था का खाता सं. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| एस का कर निवासी: हाँ नहीं | (यदि 'हाँ' है त | പ്പി കുവമു ദ് | ਹੈ। ਅਤਿਹਾਜ : | उपलक्षा कर | ाएं) रा ए | स टीआई | _{ਵੇਧਜ} . | | | | | | | | | | | F | ATCA | & CR |
| दि कर निवासी यूएस का है, तो व्यक्ति कहाँ | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | · ((1-4-4-) | ' 17 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' | (1 515114 | | | | | | | | | | | | | | |
| एस व्यक्ति हाँ नहीं | (यूएस का कर निव | वासी यूएस व | का व्यक्ति | है, अनुदेश ' | ' जे' देखें) | | | | | | | | | | | | | | | |
| क निर्दिष्ट यूएस व्यक्ति (अनुदेश 'के' देखें): | हाँ नहीं | (यदि | निर्दिष्ट यूए | स व्यक्ति हाँ | में है, तो इ | काई यूएस | न रिपोर्ट व | क रने यो | ग्य है) | | | | | | | | | | | |
| एस के अलावा भारत के बाहर का कर निवा | सी: हाँ न | हीं | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| दे 'हाँ' है तो कृपया देश का कोड बताएं | | ्—् एवं टीआईए | एन/ कार्य | त्मिक समक | a): | | | | | | | T | | | | | | 7 | | |
| | यदि यूएस के | | | | | ' में हैं. तो | डकाई च | ाहे निम्न | लिखित | 1 में से वि | ्रा इसी भी : | श्रेणी में | ⊥⊥ आती हं | L | | | | | ٦ | |
| (निम्नलिखित श्रे | भ्रेणी से जैसा लागू ह | हो टिक कर | रें- यदि नि | म्नलिखित १ | श्रेणी में से व | गेई भी "ह | हाँ" में चि | न्हित ना | हीं किया | ा जाता है | , तो खा | ता 'अन | य रिपोर्ट | करने य | गेग्य खा | ता' है) | | | | |
| कोई भी निगम जिसके स्टॉक का नियमित | रूप से एक या अधि | वेक स्थापित | प्रतिभूति | बाजार में क | ारोबार होता | है। हाँ | - | ाहीं | | | | | | | | | | | | |
| . कोई भी निगम जो ऊपर (i) में वर्णित निगम | की संबंधित इकाई | है है हाँ | नही | f | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. सरकारी इकाई हाँ | नहीं | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७. अंतर्राष्ट्रीय संगठन हाँ | नहीं | | | | | य | दि मद (i | | | | ो 'हाँ' में करने योग | | | ाया है, | | | | | | |
| . जतरायुद्राय सगठन हा | | | | | | | | | - | | | | | | | | _ | | | |
| | नहीं | | | | गवि टक | र्ट च चो १ | भागन का | 211 21112 | T ACT AC | ਹ ਰਿਕਾ | ਜੀ ਵੈ ਕੀਤ | च टी व | | शक्तावा | भागन ने | के बार | T | 7 | | |
| ॅ. केन्द्रीय बैंक हाँ | नहीं | | | | यदि इक का कर | ाई न तो १ निवासी है | | | | | | | | | | | | | | |
| . केन्द्रीय बैंक हाँ I. वित्तीय संस्थान हाँ हर उद्देश्य हेतु कोई निवासी नहीं हाँ दि 'हाँ' है तो कृपया उस देश का कोड जहाँ इर | नहीं नहीं काई का मूल कार्या | | | | का कर | | | स्थान प | | नेवासी | | | | | | | | | | |
| . केन्द्रीय बैंक हाँ I. वित्तीय संस्थान हाँ र उद्देश्य हेतु कोई निवासी नहीं हाँ दि 'हाँ' है तो कृपया उस देश का कोड जहाँ इस् विध कर निवास*: हाँ यदि इकाई है | नहीं | दि 'हाँ' है, र | तो कृपया स के अल | नीचे की ता | का कर लिका भरें) ठ बाहर भी | निवासी है | प्र है, तो उस | स्थान प् | ार कर र् ा का कं | नेवासी | हेतु कोई | है, | ो नहीं व | हो 'हाँ' | में भरा | | | | | |
| . केन्द्रीय बैंक हाँ I. वित्तीय संस्थान हाँ जर उद्देश्य हेतु कोई निवासी नहीं हाँ दि 'हाँ' है तो कृपया उस देश का कोड जहाँ इर | नहीं | दि 'हाँ' है, र | तो कृपया स के अल | नीचे की ता | का कर लिका भरें) ठ बाहर भी | निवासी है | प्र है, तो उस | स्थान प् | ार कर र् ा का कं | नेवासी | हेतु कोई | है, | ो नहीं व | हो 'हाँ' | में भरा | | | | | |
| . केन्द्रीय बैंक हाँ I. वित्तीय संस्थान हाँ र उद्देश्य हेतु कोई निवासी नहीं हाँ दि 'हाँ' है तो कृपया उस देश का कोड जहाँ इत् विध कर निवास*: हाँ यदि इकाई है | नहीं नहीं का मूल कार्या (र्या निर्दिष्ट यूएस व्यक्ति नहीं है | दि 'हाँ' है, र क्ते और यूए इं, लेकिन यू | तो कृपया स के अल एस के अ | नीचे की तां गावा भारत वे लावा एक दे ान सं. या स | का कर लिका भरें) 5 बाहर भी श से अधिव | कर निवास इंदेशों में अधिकार | म है, तो उस म है, तो इ भारत के | देश देश इकाई के बाहर व | ार कर र् ा का कं | नेवासी | हेतु कोई | है, के पास | वेविध वि | हो 'हाँ' नेवास है | में भरा ः | जाएगा |] | ोआईए | न), | |
| . केन्द्रीय बैंक हाँ I. वित्तीय संस्थान हाँ र उद्देश्य हेतु कोई निवासी नहीं हाँ दि 'हाँ' है तो कृपया उस देश का कोड जहाँ इर विध कर निवास*: हाँ यदि इकाई है | नहीं नहीं का मूल कार्या (र्या निर्दिष्ट यूएस व्यक्ति नहीं है | दि 'हाँ' है, र क्ते और यूए इं, लेकिन यू | तो कृपया स के अल एस के अ | नीचे की तां गावा भारत वे लावा एक दे ान सं. या स | का कर लिका भरें) > बाहर भी श से अधिव मकक्ष, यदि | कर निवास इंदेशों में अधिकार | म है, तो उस म है, तो इ भारत के | देश देश इकाई के बाहर व | ार कर र् ा का कं | नेवासी | हे तु कोई र निवास : इकाई ^{दे} | है, के पास | विविध वि | हो 'हाँ' नेवास है | में भरा ः | जाएगा |] | ोआईए | न), | |
| . केन्द्रीय बैंक हाँ I. वित्तीय संस्थान हाँ र उद्देश्य हेतु कोई निवासी नहीं हाँ दि 'हाँ' है तो कृपया उस देश का कोड जहाँ इर विध कर निवास*: हाँ यदि इकाई है | नहीं नहीं का मूल कार्या (र्या निर्दिष्ट यूएस व्यक्ति नहीं है | दि 'हाँ' है, र क्ते और यूए इं, लेकिन यू | तो कृपया स के अल एस के अ | नीचे की तां गावा भारत वे लावा एक दे ान सं. या स | का कर लिका भरें) > बाहर भी श से अधिव मकक्ष, यदि | कर निवास इंदेशों में अधिकार | म है, तो उस म है, तो इ भारत के | देश देश इकाई के बाहर व | ार कर र् ा का कं | नेवासी | हे तु कोई र निवास : इकाई ^{दे} | है, के पास | विविध वि | हो 'हाँ' नेवास है | में भरा ः | जाएगा |] | ोआईए | न), | |
| . केन्द्रीय बैंक हाँ I. वित्तीय संस्थान हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ | नहीं नहीं का मूल कार्या (र्या निर्दिष्ट यूएस व्यक्ति नहीं है | दि 'हाँ' है, र क्ते और यूए इं, लेकिन यू | तो कृपया स के अल एस के अ | नीचे की तां गावा भारत वे लावा एक दे ान सं. या स | का कर लिका भरें) > बाहर भी श से अधिव मकक्ष, यदि | कर निवास इंदेशों में अधिकार | म है, तो उस म है, तो इ भारत के | देश देश इकाई के बाहर व | ार कर र् ा का कं | नेवासी | हे तु कोई र निवास : इकाई ^{दे} | है, के पास | विविध वि | हो 'हाँ' नेवास है | में भरा ः | जाएगा |] | ोआईए | न), | |
| . केन्द्रीय बैंक हाँ I. वित्तीय संस्थान हाँ हर उद्देश्य हेतु कोई निवासी नहीं हाँ दि 'हाँ' है तो कृपया उस देश का कोड जहाँ इर विध कर निवास*: हाँ यदि इकाई है 2. यदि वह निर्दिष्ट यूएस के अलावा भारत के बाहर कर नि | नहीं नहीं का मूल कार्या (र्या निर्दिष्ट यूएस व्यक्ति नहीं है | दि 'हाँ' है, र क्ते और यूए इं, लेकिन यू | तो कृपया स के अल एस के अ | नीचे की तां गावा भारत वे लावा एक दे ान सं. या स | का कर लिका भरें) > बाहर भी श से अधिव मकक्ष, यदि | कर निवास इंदेशों में अधिकार | म है, तो उस म है, तो इ भारत के | देश देश इकाई के बाहर व | ा का कं | नेवासी | हे तु कोई र निवास : इकाई ^{दे} | है, के पास | विविध वि | हो 'हाँ' नेवास है | में भरा ः | जाएगा |] | ोआईए | न), | |
| . केन्द्रीय बैंक हाँ I. वित्तीय संस्थान हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ | नहीं नहीं का मूल कार्या (र्या निर्दिष्ट यूएस व्यक्ति नहीं है | दि 'हाँ' है, र क्ते और यूए इं, लेकिन यू | तो कृपया स के अल एस के अ | नीचे की तां गावा भारत वे लावा एक दे ान सं. या स | का कर लिका भरें) > बाहर भी श से अधिव मकक्ष, यदि | कर निवास इंदेशों में अधिकार | म है, तो उस म है, तो इ भारत के | देश देश इकाई के बाहर व | ा का कं | नेवासी जोड बिविध क शहरः | हे तु कोई र निवास : इकाई ^{दे} | है, के पास | विविध वि | हो 'हाँ' नेवास है | में भरा ः | जाएगा |] | ोआईए | न), | |
| केन्द्रीय बैंक हाँ I. वित्तीय संस्थान हाँ र उद्देश्य हेतु कोई निवासी नहीं हाँ दे 'हाँ' है तो कृपया उस देश का कोड जहाँ इर विध कर निवास*: हाँ यदि इकाई है 2. यदि वह निर्दिष्ट : यूएस के अलावा भारत के बाहर कर नि पता* पंक्ति 1: पंक्ति 2: पंक्ति 3: | नहीं नहीं का मूल कार्या नहीं (र्या निर्दिष्ट यूएस व्यक्ति नहीं है वास देश | दि 'हाँ' है, र | तो कृपया स्स के अल एस के अ कर पहच | नीचे की तां गावा भारत वे लावा एक दे गन सं. या स जारी | का कर लिका भरें) 5 बाहर भी ११ से अधिव मकक्ष, यदि किया गया | कर निवासी है 5 देशों में अधिकार है | म है, तो उस भारत के श्वीत्र द्वारा | देश | ा का कं | नेवासी जोड चिविच क स है, ते शहरः [| हेतु कोई र र निवास इकाई दे पहचान | है, के पास प्रकार ईअ | वेविवध िं | हो ' हाँ' नेतेवास है गुन, कंप् | में भरा [:] | प्राप्ता संस् | ब्बा (सं व करें) | | | |
| केन्द्रीय बैंक हाँ I. वित्तीय संस्थान हाँ र उद्देश्य हेतु कोई निवासी नहीं हाँ दे 'हाँ' है तो कृपया उस देश का कोड जहाँ इव विध कर निवास*: हाँ यदि इकाई है 2. यदि वह निर्दिष्ट : यूएस के अलावा भारत के बाहर कर नि | नहीं नहीं का मूल कार्या नहीं (र्या निर्दिष्ट यूएस व्यक्ति नहीं है वास देश | दि 'हाँ' है, र | तो कृपया स्स के अल एस के अ कर पहच | नीचे की ता गावा भारत वे लावा एक दे जारी | का कर लिका भरें) 5 बाहर भी ११ से अधिव मकक्ष, यदि किया गया | कर निवासी हैं क देशों में अधिकार अधिकार | म है, तो उस भारत के श्वीत्र द्वारा | देश | ा का कं | नेवासी जोड चिविच क स है, ते शहरः [| हे तु कोई र निवास : इकाई ^{दे} | है, है, प्रकार ईअ | वेविवध िं | हो 'हाँ' | ं। | जाएगा व्यान संस् | ्र्या (र्स ग करें) | | | |
| केन्द्रीय बैंक हाँ I. वित्तीय संस्थान हाँ र उद्देश्य हेतु कोई निवासी नहीं हाँ दे 'हाँ' है तो कृपया उस देश का कोड जहाँ इर विध कर निवास*: हाँ यदि इकाई है 2. यदि वह निर्दिष्ट : यूएस के अलावा भारत के बाहर कर नि पता* पंक्ति 1: पंक्ति 2: पंक्ति 3: | नहीं नहीं का मूल कार्या नहीं (र्या निर्दिष्ट यूएस व्यक्ति नहीं है वास देश | दि 'हाँ' है, र | तो कृपया स्स के अल एस के अ कर पहच | नीचे की ता गावा भारत वे लावा एक दे जारी | का कर लिका भरें) 5 बाहर भी श से अधिव मकक्ष, यदि किया गया | कर निवासी हैं क देशों में अधिकार अधिकार | म है, तो उस भारत के श्वीत्र द्वारा | देश | ा का कं | नेवासी जोड चिविच क स है, ते शहरः [| हेतु कोई र र निवास इकाई दे पहचान | है, है, प्रकार ईअ | विविवध ि | हो 'हाँ' | ं। | जाएगा व्यान संस् | ्र्या (र्स ग करें) | | | |
| तेकन्द्रीय बैंक हाँ I. वित्तीय संस्थान हाँ र उद्देश्य हेतु कोई निवासी नहीं हाँ दे 'हाँ' है तो कृपया उस देश का कोड जहाँ इव विध कर निवास*: हाँ यदि इकाई है 2. यदि वह निर्दिष्ट : यूएस के अलावा भारत के बाहर कर नि पता* पंक्ति 2: पंक्ति 3: यूएस के अलावा भारत के बाहर कर नि पता* | नहीं नहीं का मूल कार्या नहीं (र्या निर्दिष्ट यूएस व्यक्ति नहीं है वास देश | दि 'हाँ' है, र | तो कृपया स्स के अल एस के अ कर पहच | नीचे की ता गावा भारत वे लावा एक दे जारी | का कर लिका भरें) 5 बाहर भी श से अधिव मकक्ष, यदि किया गया | कर निवासी हैं क देशों में अधिकार अधिकार | म है, तो उस भारत के श्वीत्र द्वारा | देश | ा का कं | नेवासी जोड शहरः [राज्यः [पिनः] | हेतु कोई र र निवास इकाई दे पहचान | है, है, प्रकार ईअ | विविवध ि | हो 'हाँ' | ं। | जाएगा व्यान संस् | ्र्या (र्स ग करें) | | | |
| . केन्द्रीय बैंक हाँ I. वित्तीय संस्थान हाँ र उद्देश्य हेतु कोई निवासी नहीं हाँ दि 'हाँ' है तो कृपया उस देश का कोड जहाँ इर विध कर निवास*: हाँ यदि इकाई है 2. यदि वह निर्दिष्ट : यूएस के अलावा भारत के बाहर कर नि पता* पंक्ति 2: पंक्ति 3: यूएस के अलावा भारत के बाहर कर नि पता* पंक्ति 1: पंक्ति 2: पंक्ति 3: | नहीं नहीं का मूल कार्या नहीं (र्या निर्दिष्ट यूएस व्यक्ति नहीं है वास देश | दि 'हाँ' है, र | तो कृपया स्स के अल एस के अ कर पहच | नीचे की ता गावा भारत वे लावा एक दे जारी | का कर लिका भरें) 5 बाहर भी श से अधिव मकक्ष, यदि किया गया | कर निवासी हैं क देशों में अधिकार अधिकार | म है, तो उस भारत के श्वीत्र द्वारा | देश | ा का कं | नेवासी शहरः [पिनः | हेतु कोई र र निवास इकाई दे पहचान | है, है, प्रकार ईअ | विविवध ि | हो 'हाँ' | ं। | जाएगा व्यान संस् | ्र्या (र्स ग करें) | | | |
| ं. केन्द्रीय बैंक हाँ ं. वित्तीय संस्थान हाँ ं. वित्तीय संस्थान हाँ ं. वित्तीय संस्थान हाँ ं. वित्तीय संस्थान हाँ ं. वित्तीय संस्थान हाँ ं. विं 'हाँ' है तो कृपया उस देश का कोड जहाँ इव विविध कर निवास*: हाँ यदि इकाई है 2. यदि वह निर्दिष्ट यूएस के अलावा भारत के बाहर कर नि पता* पंक्ति 1: पंक्ति 2: पंक्ति 3: यूएस के अलावा भारत के बाहर कर नि पता* | नहीं नहीं का मूल कार्या नहीं (र्या निर्दिष्ट यूएस व्यक्ति नहीं है वास देश | दि 'हाँ' है, र | तो कृपया स्स के अल एस के अ कर पहच | नीचे की ता गावा भारत वे लावा एक दे जारी | का कर लिका भरें) 5 बाहर भी श से अधिव मकक्ष, यदि किया गया | कर निवासी हैं क देशों में अधिकार अधिकार | म है, तो उस भारत के श्वीत्र द्वारा | देश | ा का कं | नेवासी जोड शहरः [राज्यः [पिनः] | हेतु कोई र र निवास इकाई दे पहचान | है, है, प्रकार ईअ | विविवध ि | हो 'हाँ' | ं। | जाएगा व्यान संस् | ्र्या (र्स ग करें) | | | |



| COUNT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|--|--|---|--|-----------------------------|--------|---------------------|-----------------------------|--|--|------------|--------------------------|------------------------------|----------|---------|-------|----------|--------|
| APPLICAN | IT CIF NO | D.: | | | | T | | | | | | | F | OR O | FFICE USI | ONLY | ′ | | DATE | :: | | | | |
| ENTITY NA | Г | /" <u> </u> | | \top | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | • | |
| | L | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | |
| ENTITY AC | CCOUNT | NUMBE | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X RESIDEN | NT OF US | s: YES | NC | | (IF 'YE : | S ', PLE | EASE PRO | VIDE U | S TIN) | US TIN | : | | | | | | | | | | | | FATCA | A & CR |
| TAX RESID | ENT OF | US, WHE | THERT | HE PERS | ON IS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JS PERSON | N YES | N | | (A TAX | RESIDE | ENT O | F US IS U | S PERS | ON, SEE | INSTRU | ICTION | 'J') | | | | | | | | | | | | |
| PECIFIED | US PERS | ON (SEE | INSTRU | CTIONS | 'K') YI | ES | NO | (1 | F SPECIF | TED US | PERSC | N IS Y | YES , THE | N THE E | ENTITY IS US | REPORTA | BLE) | | | | | | | |
| X RESIDEN | NT OUTS | IDE IND | A OTHE | R THAN | US: YE | s | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| YES', PLEA | SE PRO | /IDE COI | JNTRY C | ODE | | | TIN / FUN | CTION | IAL EQUI | VALEN | Т: | | | | | | | | | | | | | |
| | IF TA | AX RESID | | | | | | | | | | | | | FOLLOWING (| | | | | | | EGOI | RY | |
| ANY COR | RPORATI | ON THE | | | | | | | | | | | | | | YES | NO | | 7 | | • | | | |
| ANY COR | RPORATI | ON THA | IS A RE | .ATED F | NTITY | OF A | CORPOR | ATION | DESCRIB | ED IN (|) ABOV | E | YES | NO | | | | | _ | | | | | |
| A GOVE | | | | YES | | NO | | | | · | | | | | | | | | | | | | | |
| ANINTE | | | | | |]] NO | | | | | IF Al | NY OI | F THE IT | | O (VI) IS TICI | | | | I SI TNU | NOT AN | I | | | |
| A CENTR | | | | YES | |] NO | | | - | L | | | | | IER REPORTA | | | | | | | | | |
| ACLIVIII | VAL DAIN | IX. | | 16 | <u> </u> |] | | | | | | | | | ENT OF INDI FIELD NO RES | | | | | | | 4 | | |
| . = | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | YES | | NO | | | L | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESIDEN | CE FOR | TAX PUR | POSE | YES | <u> </u> |]] NO | | OFFIC | L E OF THE | E ENTIT | Y LOC | ATED | | | RY CODE | | | | | | | | | |
| RESIDEN YES' PLEA JLTIPLE TA | CE FOR SE PROV | TAX PUR /IDE , CC DENCY*: | POSE UNTRY | YES | <u> </u> | NO | | | | | | ATED | | | RY CODE | | | | | | | | | |
| YES' PLEA JLTIPLE TA | CE FOR SE PROV AX RESII | TAX PUR /IDE , CC DENCY*: | POSE UNTRY YES IFIED US | YES CODE W NO PERSOI | HERE T | NO THE PI (IF 'Y | RINCIPAL | ASE FIL | LL THE TA | ABLE BE | ELOW) | A OTH | HER THA | COUNT | RY CODE | | | | | LE TAX F | RESIDEI | NCY. | | |
| YES' PLEA JLTIPLE TA IF AN ENT 2. IF IT IS COUN | CE FOR SE PROV AX RESII FITY IS A NOT A S | TAX PUR //IDE , CC DENCY*: SPEC SPECIFIE TAX RES | YES FIED US PER | YES CODE W NO PERSOI SON BL | HERE TO AND AND JT HAS | NO THE PI (IF 'Y ALSO | RINCIPAL YES', PLE. HAS A TA RESIDENCE | AX RES | IDENCY (JTSIDE IN | ABLE BB | ELOW) DE INDI. THER T | A OTH | HER THA US IN MC | COUNT N US, TH RE THA | HE ENTITY HAN ONE COUN | NTIFICAT | ENTIT | Y, HAS | MULTIP N, COMF | ANY IDI | | | IMUN NG | BER |
| YES' PLEA JLTIPLE TA IF AN ENT 2. IF IT IS COUN | CE FOR SE PROV AX RESII FITY IS A | TAX PUR //IDE , CC DENCY*: SPEC SPECIFIE TAX RES | YES FIED US PER | YES CODE W NO PERSOI SON BL | HERE TO AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND | NO THE PI (IF 'Y ALSO | RINCIPAL YES', PLE. HAS A TA RESIDENCE | AX RES | LL THE TA | ABLE BB | ELOW) DE INDI. THER T | A OTH | HER THA US IN MC | COUNT N US, TH RE THA | HE ENTITY HAN ONE COUN | ITRY THE | ENTIT | Y, HAS | MULTIP N, COMF | ANY IDI | | | IMUN NG | BER |
| YES' PLEA JLTIPLE TA IF AN ENT 2. IF IT IS COUN | CE FOR SE PROV AX RESII FITY IS A NOT A S NTRY OF | TAX PUR //IDE , CC DENCY*: SPEC SPECIFIE TAX RES | YES FIED US PER | YES CODE W NO PERSOI SON BL | HERE TO AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND | NO THE PI (IF 'Y ALSO | RINCIPAL YES', PLE. HAS A TA RESIDENCE | AX RES | IDENCY (JTSIDE IN | ABLE BB | ELOW) DE INDI. THER T | A OTH | HER THA US IN MC | COUNT N US, TH RE THA | HE ENTITY HAN ONE COUN | NTIFICAT | ENTIT | Y, HAS | MULTIP N, COMF | ANY IDI | | | DN NUMI | BER |
| YES' PLEA JETIPLE TA IF AN ENT 2. IF IT IS COUN OTHE | CE FOR AX RESII FITTY IS A NOT A S NTRY OF ER THAN | TAX PUR //IDE , CC DENCY*: SPEC SPECIFIE TAX RES | YES FIED US PER | YES CODE W NO PERSOI SON BL | HERE TO AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND | NO THE PI (IF 'Y ALSO | RINCIPAL YES', PLE. HAS A TA RESIDENCE | AX RES | IDENCY (JTSIDE IN | ABLE BB | ELOW) DE INDI. THER T | A OTH | HER THA US IN MC | COUNT N US, TH RE THA | HE ENTITY HAN ONE COUN | NTIFICAT | ENTIT | Y, HAS | MULTIP N, COMF | ANY IDI | | | DIN NUMI | BER |
| YES' PLEA ULTIPLE TA IF AN ENT 2. IF IT IS COUN OTHE | CE FOR SE PROV AX RESII FITY IS A NOT A S NTRY OF ER THAN RESS* | TAX PUR //IDE , CC DENCY*: SPEC SPECIFIE TAX RES | YES FIED US PER | YES CODE W NO PERSOI SON BL | HERE TO AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND | NO THE PI (IF 'Y ALSO | RINCIPAL YES', PLE. HAS A TA RESIDENCE | AX RES | IDENCY (JTSIDE IN | ABLE BB | ELOW) DE INDI. THER T | A OTH | HER THA US IN MC | COUNT N US, TH RE THA | HE ENTITY HAN ONE COUN | NTIFICAT | ENTIT | Y, HAS | MULTIP N, COMF | ANY IDI | | | DN NUMI | BER |
| PRESIDENT YES' PLEA ULTIPLE TA . IF AN ENT 2. IF IT IS COUN OTHE ADDR | CE FOR ASE PROVIDED TO THE PR | TAX PUR //IDE , CC DENCY*: SPEC SPECIFIE TAX RES | YES FIED US PER | YES CODE W NO PERSOI SON BL | HERE TO AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND | NO THE PI (IF 'Y ALSO | RINCIPAL YES', PLE. HAS A TA RESIDENCE | AX RES | IDENCY (JTSIDE IN | ABLE BB | ELOW) DE INDI. THER T | A OTH | HER THA US IN MC | COUNT N US, TH RE THA | HE ENTITY HAN ONE COUNTY IDE (CI | NTIFICAT | ENTIT | Y, HAS | MULTIP N, COMF | ANY IDI | | | NUM NUMI | BER |
| YES' PLEA JITIPLE TA IF AN ENT 2. IF IT IS COUN OTHE ADDR LINE 2 LINE 2 | CE FOR SE PROV AX RESII FITY IS A NOT A S NTRY OF ER THAN RESS* 1: | TAX PUR //IDE , CC DENCY*: SPEC SPECIFIE TAX RES US | YES UNTRY OF THE PROPERTY OF T | YES ODE W NO PERSON BL | N AND | NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO N | RINCIPAL YES', PLE. DHAS A TA RESIDENCE TIFF | AX RES OLIES | IDENCY (JTSIDE IN NTIFICAT D BY JUF | DUTSIE BOUTSIE | DE INDI. | OR E | HER THA US IN MO | N US, TH | HE ENTITY HAN ONE COUNTY IDE (CITY: | NTIFICATION (NO. 1), EIN O | FION T | YPE (TI | MULTIP N, COMF ASE SPE | PANY IDI | ENTIFIC | CATIC | | |
| PRESIDENT YES' PLEA JITIPLE TA IF AN ENT 2. IF IT IS COUN OTHE ADDR LINE 2 LINE 2 COUN | CE FOR SE PROV AX RESII FITY IS A NOT A S NTRY OF ER THAN RESS* 1: | TAX PUR //IDE , CC DENCY*: SPEC SPECIFIE TAX RES US | YES UNTRY OF THE PROPERTY OF T | YES ODE W NO PERSON BL | N AND | NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO N | RINCIPAL YES', PLE. DHAS A TA RESIDENCE TIF | AX RES OLI AX IDE | IDENCY (JTSIDE IN | ABLE BIODUTSIE | DE INDI. THER T JMBER TION | OR E | HER THA US IN MO | N US, TH | HE ENTITY HAN ONE COUNTY IDE | NTIFICAT | ENTITION T | Y, HAS YPE (TI ER, PLE | MULTIP N, COMF | PANY IDI | ENTIFIC | CATIC | | |
| PRESIDENT YES' PLEA JITIPLE TA IF AN ENT 2. IF IT IS COUN OTHE ADDR LINE 2 LINE 2 COUN | CE FOR AX RESII FITY IS A NOT A S NTRY OF ER THAN RESS* 1: | TAX PUR //IDE , CC DENCY*: SPEC SPECIFIE TAX RES US | YES UNTRY OF THE PROPERTY OF T | YES ODE W NO PERSON BL | N AND | NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO N | RINCIPAL YES', PLE. DHAS A TA RESIDENCE TIF | AX RES OLI AX IDE | IDENCY (JTSIDE IN NTIFICAT | ABLE BIODUTSIE | DE INDI. THER T JMBER TION | OR E | HER THA US IN MO | N US, TH | HE ENTITY HAN ONE COUNTY IDE | NTIFICATION OF THE PROPERTY OF | ENTITION T | Y, HAS YPE (TI ER, PLE | MULTIP N, COMF | PANY IDI | ENTIFIC | CATIC | | |
| PRESIDENT YES' PLEA JIT PLE TA IF AN ENT 2. IF IT IS COUN OTHE ADDR LINE 2 LINE 2 COUN OTHE | CE FOR SE PROV AX RESII FITY IS A NOT A S NTRY OF RESS* 1: UTRY OF RESS* | TAX PUR //IDE , CC DENCY*: SPEC SPECIFIE TAX RES US | YES UNTRY OF THE PROPERTY OF T | YES ODE W NO PERSON BL | N AND | NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO N | RINCIPAL YES', PLE. DHAS A TA RESIDENCE TIF | AX RES OLI AX IDE | IDENCY (JTSIDE IN NTIFICAT | ABLE BIODUTSIE | DE INDI. THER T JMBER TION | OR E | HER THA US IN MO | N US, TH | HE ENTITY HAN ONE COUNTY IDE (CITY: STATE: PIN: IDE (CI | NTIFICATION OF THE PROPERTY OF | ENTITION T | Y, HAS YPE (TI ER, PLE | MULTIP N, COMF | PANY IDI | ENTIFIC | CATIC | | |
| PRESIDENT YES' PLEA ULTIPLE TA IF AN ENT 2. IF IT IS COUN OTHE LINE 3 COUN OTHE | CE FOR SE PROV AX RESII FITY IS A NOT A S NTRY OF RESS* 1: UTRY OF RESS* | TAX PUR //IDE , CC DENCY*: SPEC SPECIFIE TAX RES US | YES UNTRY OF THE PROPERTY OF T | YES ODE W NO PERSON BL | N AND | NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO N | RINCIPAL YES', PLE. DHAS A TA RESIDENCE TIF | AX RES OLI AX IDE | IDENCY (JTSIDE IN NTIFICAT | ABLE BIODUTSIE | DE INDI. THER T JMBER TION | OR E | HER THA US IN MO | N US, TH | HE ENTITY HAN ONE COUNTY IDE | NTIFICATION OF THE PROPERTY OF | ENTITION T | Y, HAS YPE (TI ER, PLE | MULTIP N, COMF | PANY IDI | ENTIFIC | CATIC | | |
| COUN OTHE ADDR LINE 2 LINE 3 COUN OTHE | CE FOR ASE PROVIDED TO THE PR | TAX PUR //IDE , CC DENCY*: SPEC SPECIFIE TAX RES US | YES UNTRY OF THE PROPERTY OF T | YES ODE W NO PERSON BL | N AND | NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO N | RINCIPAL YES', PLE. DHAS A TA RESIDENCE TIF | AX RES OLI AX IDE | IDENCY (JTSIDE IN NTIFICAT | ABLE BIODUTSIE | DE INDI. THER T JMBER TION | OR E | HER THA US IN MO | N US, TH | HE ENTITY HAN ONE COUNTY IDE (CITY: STATE: PIN: IDE (CI | NTIFICATION OF THE PROPERTY OF | ENTITION T | Y, HAS YPE (TI ER, PLE | MULTIP N, COMF | PANY IDI | ENTIFIC | CATIC | | |